भारतीय प्रेस परिषद
नई दिल्ली

प्रेस परिषद समीक्षा

(1 अप्रैल 2023 – 30 जून 2023)

त्रैमासिक पत्रिका

वर्ष 25 जुलाई, 2023 अंक-3

भारतीय प्रेस परिषद के संबंध में

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण एवं प्रेस के स्तरों को बनाये रखने और उनमें सुधार करने के दोहरे उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद का पहली बार गठन किया गया। परिषद एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, जिसकी अधिकारिता प्राधिकारियों के साथ-साथ प्रेस पर भी है। यह क्रमश: प्रेस की स्वतंत्रता अथवा नीति के उल्लंघन पर प्रेस द्वारा और प्रेस के विरूद्ध शिकायतों पर निर्णय देती है।

प्रेस परिषद के अध्यक्ष परिपाटी के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। परिषद में 28 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, पांच संसद के दोनों सदनों में से होते हैं और तीन सांस्कृतिक, साहित्यिक व विधि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा क्रमश: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, साहित्य अकादमी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नामित किए जाते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवावधि तीन वर्ष की होती है।

शिकायत दर्ज करने हेतु प्रक्रिया
प्रेस के विरूद्ध शिकायत

कोई भी व्यक्ति, किसी समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका के विरूद्ध पत्रकारिता आचरण और रूचि के मान्य नैतिक सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए प्रेस परिषद में शिकायत दर्ज कर सकता है। आम जनता में से कोई भी व्यक्ति, संपादक, श्रमजीवी पत्रकार, समाचारपत्रों के कर्मचारी अथवा स्वतंत्र पत्रकार के व्यावसायिक कदाचार के विरूद्ध भी शिकायत कर सकता है।

प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम 1979 के अनुसार, निम्नलिखित अवधि के भीतर परिषद के सम्मुख शिकायत दर्ज की जाएगी :

(i) दैनिक समाचारपत्र, समाचार एजेंसियां और साप्ताहिक समाचारपत्र दो माह के भीतर

(ii) अन्य मामलों में चार माह के भीतर बशर्ते पूर्व तिथि के संबद्ध प्रकाशन का शिकायत में हवाला दिया जाये।

सबसे पहले संपादक को लिखें

शिकायतकर्ता, जिस समाचार को जनता की रूचि के विरूद्ध अपराध अथवा पत्रकारिता नीति का उल्लंघन समझते हैं, उसकी ओर समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका के संपादक का ध्यानाकृष्ट करते हुए जांच विनियमों के अंतर्गत सबसे पहले उन्हें लिखना ज़रूरी है। ऐसे पूर्व संदर्भ से संपादक

को पहली बार में मामले से निबटने का मौका दिया जाता है और इस प्रकार, परिषद को शिकायत भेजे जाने से पहले प्रतिवादी को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उचित अवसर भी दिया जाता है। यह विचार करने की बात है कि कुछ मामलों में शिकायतकर्ता को गलत सूचना मिली हो या तथ्यों का गलत अर्थ निकाला गया हो। दूसरी तरफ यह अनजाने में हुई गलती का भी मामला हो सकता है जिसे संपादक स्वीकार करने और संशोधित करने के लिए तैयार हो। शिकायतकर्ता के संतुष्ट होने पर मामला खत्म हो जाएगा।

जहां समाचारपत्र/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं का ध्यानाकृष्ट करने के पश्चात्, कोई व्यक्ति शिकायत को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है, तो उसे संपादक के साथ हुए पत्र व्यवहार की प्रतियां भी शिकायत के साथ संलग्न करनी चाहिए। यदि संपादक की ओर से कोई उत्तर प्राप्त न हुआ हो, तो शिकायत में इसका उल्लेख करना चाहिए।

शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत में उन समाचारपत्रों/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं के संपादक अथवा पत्रकार का नाम तथा पता लिखना चाहिए जिसके विरूद्ध शिकायत की गई हो। वह मामला अथवा समाचार जिनकी शिकायत की गई हो, की मूल कतरन अथवा स्व-अनुप्रमाणित प्रति (अंग्रेज़ी अनुवाद, यदि समाचार देशी भाषा में है) शिकायत के साथ भेजी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता को लिखना चाहिए कि समाचार या पैराग्राफ या वह सामग्री जिसकी शिकायत की गई है, किस प्रकार आपत्तिजनक है। उनके पास यदि इस विषय में कोई अन्य विवरण हो, तो उसे भी भेजना चाहिए। किसी सामग्री को प्रकाशित न किए जाने की शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता को यह बताना होगा कि इससे किस प्रकार पत्रकारिता नीति का उल्लंघन हुआ है।

परिषद किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में न्यायाधीन हो। शिकायतकर्ता को घोषणा करनी होगी कि "अपनी संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, उन्होंने परिषद के सामने सभी संबद्ध तथ्य रख दिए हैं तथा शिकायत में कथित किसी मामले के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।" एक अन्य घोषणा करना भी ज़रूरी है कि - "परिषद द्वारा जांच के दौरान यदि शिकायत में कथित मामला न्यायालय की कार्यवाही का विषय बन जाता है, तो वे इसकी सूचना तुरंत परिषद को देंगे।"

प्रेस की स्वतंत्रता के दमन संबंधी शिकायतें

समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका, पत्रकार या कोई भी संस्थान या व्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में दखल देने, प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने अथवा अतिक्रमण के लिए केंद्र या राज्य सरकार या किसी संगठन या व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत कर सकता है। ऐसी शिकायतों में कथित

उल्लंघन का पूरा विवरण होना चाहिए, जिसके बाद परिषद द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में दी गई निर्धारित जांच प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

परिषद द्वारा व्यक्त किए गए विचार दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं (i) यह नहीं हो सकता कि प्रेस की स्वतंत्रता के दुरूपयोग पर कोई ध्यान न दे अथवा उसका विरोध न करे और (ii) प्रेस को स्वयं अपने हित में अश्लील अथवा अन्य आपत्तिजनक लेखन नहीं करने चाहिए जो प्रेस में से ही गठित परिषद जैसे निष्पक्ष निर्णायक द्वारा पत्रकारिता नीति के मान्य मानकों के अनुरूप नहीं समझे जाते हैं क्योंकि इससे प्रेस की अत्यधिक बहुमूल्य स्वतंत्रता में ही कमी होगी।

अपनी शिकायतें अथवा पूछताछ निम्नलिखित पते पर करें :-

सचिव,
भारतीय प्रेस परिषद,
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

फोन : 011-24366404/05 (एक्स. 307 और 315)
फैक्स : 24368725
ई-मेल : secy-pci@nic.in, so.complaints-pci@gov.in,
so.meetings-pci@gov.in
वैबसाइट : www.presscouncil.nic.in

भारतीय प्रेस परिषद

सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अध्यक्ष: न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई

14वीं सेवावधि

सदस्य	**संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया**	**समाचारपत्र**
	भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के संपादक (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (क))	
श्री अंकुर दुआ	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, मुज्जफरनगर बुलेटिन, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
डॉ बलदेव राज गुप्ता	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	समूह संपादक, एक्सप्रेस न्यूज, हिंदी दैनिक, मध्य प्रदेश
डॉ. खैदेम अथौबा मीतेई	एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन	निवासी संपादक, ह्यूयेन लानपाओ, मणिपुरी दैनिक, मणिपुर
श्री प्रकाश दुबे	एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन	समूह संपादक, दैनिक भास्कर, हिंदी दैनिक, महाराष्ट्र
डॉ. सुमन गुप्ता	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, जन मोर्चा, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
रिक्त*	-	-
	संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार {धारा 5 की उप-धारा (3) का खंड (क)}	
श्री अंशु चक्रवर्ती	प्रेस क्लब, कोलकाता	श्रमजीवी पत्रकार, आज काल, बंगला दैनिक, पश्चिम बंगाल
श्री जय शंकर गुप्ता	प्रेस एसोसिएशन	संवाददाता, देशबंधु, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री किंगशुक प्रमाणिक	प्रेस क्लब, कोलकाता, ओडिशा पत्रकार संघ, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, संगबाद प्रतिदिन, बंगला दैनिक, पश्चिम बंगाल

** अधिसूचना प्रक्रिया चल रही है।*

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
श्री प्रजनानंद चौधुरी	पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, आनंद बाजार पत्रिका, बंगला दैनिक कोलकाता
श्री विनोद कोहली	चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन	श्रमजीवी पत्रकार, उत्कल मेल, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री गुरबीर सिंह	मुंबई प्रेस क्लब, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, इंडियन एसोसि_ एशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, तमिलनाडु
श्री प्रसन्ना कुमार मोहंती	ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, इंडस वैली टाइम्स, अंग्रेजी पाक्षिक, ओडिशा
	बड़े, मध्यम और छोटे समाचार पत्रों के स्वामी और प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ख)}	
रिक्त*	-	-
रिक्त*	-	-
श्री गुरिंदर सिंह	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन और छोटे-मध्यम-बड़े समाचारपत्र सोसायटी	इंडियन ओबजर्वर, अंग्रेजी पाक्षिक, नई दिल्ली
श्री एल.सी भारतीय	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन	आकाशदीप, हिंदी साप्ताहिक, राजस्थान
श्रीमती आरती त्रिपाठी	अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र संघ (एआईएसएनए) एवं भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ	जय प्रदेश, हिन्दी साप्ताहिक, उत्तर प्रदेश
श्री श्याम सिंह पंवार	भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ एवं अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र संघ (एआईएसएनए)	जन सामना, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश

** उक्त श्रेणी में एकमात्र अधिसूचित एसोसिएशन इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(4) के तहत नामों का पैनल दर्ज नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप उक्त श्रेणी के तहत दो रिक्तियां हो गई।*

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचार एजेंसी
समाचार एजेंसियों के प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ग)}		
श्री जी. सुधाकर नायर	प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई)	कार्यकारी संपादक, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) नई दिल्ली
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद और साहित्य अकादमी से नामित व्यक्ति {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (घ)}		
प्रो जे. एस. राजपूत	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	
रिक्त*	भारतीय विधिज्ञ परिषद	
श्री माधव कौशिक	साहित्य अकादमी	
लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित सांसद {धारा 5 की उपधारा (3) का खंड (ङ)}		
रिक्त**	लोक सभा	
रिक्त**	लोक सभा	
रिक्त**	लोक सभा	
श्री राकेश सिन्हा	राज्य सभा	
रिक्त**	राज्य सभा	

सचिव : नंगसंग्लेम्बा आओ

** प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6 (4) के तहत श्री शैलेन्द्र दुबे, 29 मई 2023 से परिषद के सदस्य नहीं रहे।*

*** इस श्रेणी में अधिसूचना अभी प्राप्त होनी है।*

विषय सूची

संपादक की कलम से		1
संक्षिप्त विवरण		3
1	पत्रकारिता जगत से	6
2	स्वच्छता पखवाड़ा रिपोर्ट - 2023	11
3	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रिपोर्ट - 2023	14
4	तिमाही के दौरान परिषद द्वारा जारी की गयी प्रेस विज्ञप्तियों का संग्रह	19
5	प्रेस द्वारा दर्ज मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची (धारा 13 के अंतर्गत)	24
6	प्रेस के विरूद्ध दर्ज मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची (धारा 14 के अंतर्गत)	25
7	परिषद के न्यायनिर्णय	30

संपादक की कलम से

प्रिय पाठकों,

प्रेस परिषद समीक्षा के जुलाई 2023 अंक के लिए आपका स्वागत है, जिसमें इस वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान भारतीय प्रेस परिषद द्वारा किए गए सलाहकार और अर्ध-न्यायिक कार्रवाई का व्यापक विवरण दिया गया है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और पत्रकारिता मानदंडों के उन्नयन के लिए परिषद के अथक प्रयासों के बारे में आपको बहुमूल्य जानकारी प्रदान करना है।

निम्नलिखित पृष्ठों में, आपको 1 अप्रैल से 30 जून, 2023 की अवधि के दौरान परिषद द्वारा की गई कार्रवाइयों का विवरण मिलेगा। यह प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार और समाचारपत्रों एवं समाचार एजेंसियों में नीतिगत मानकों के संरक्षण और उनकी प्रगति के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद ने दिनांक 29.05.2023 की परिषद की बैठक में 38 मामलों में निर्णय पारित किए। इसके अतिरिक्त, परिषद ने कई घटनाओं का स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। इनमें पत्रकार और उसके परिवार पर हमला, पत्रकारों पर हमला और उनकी गिरफ्तारी तथा मीडिया कर्मियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने की अन्य घटनाएं जैसे मामले शामिल हैं।

परिषद ने समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने से परहेज नहीं किया। अश्लील और अभद्र विज्ञापन तथा ऑनलाइन सट्टेबाजी संबंधी सामग्री प्रकाशित करने के लिए कई समाचारपत्रों के खिलाफ स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया गया।

इसके अलावा, पत्रकारों की अगली पीढ़ी को पोषित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर हमें गर्व है। परिषद ने 16 मई, 2023 के नोटिस के माध्यम से अपने चौथे इंटर्नशिप कार्यक्रम, ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की।

इसके अलावा, स्वच्छ भारत अभियान के महत्व को बनाए रखने के लिए परिषद ने 10-24 अप्रैल 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है, जिसका उद्देश्य हमारे परिसर को व्यवस्थित और साफ करना था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून 2023 को, प्रेस परिषद के सभी कर्मचारियों को योग सत्र में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया क्योंकि भारतीय प्रेस परिषद का मानना है कि योग

जीवन का एक तरीका है जो हमारे कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ रखने में सहायता करता है। हमने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया। उक्त अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद के कर्मियों ने ई-शपथ ली।

मैं, हमारे एक अधिकारी, श्री टी. गऊ खनगिन के निधन पर अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करने के लिए कुछ समय लेना चाहूंगा। उनके परिवार में उनके तीन बेटे, पत्नी और भारतीय प्रेस परिषद में हम - बड़ा परिवार है। मैं हमारे पूर्व सदस्य और अनुभवी पत्रकार श्री शीतला सिंह के निधन पर भी शोक व्यक्त करता हूं।

जैसा कि हम पिछली तिमाही की उपलब्धियों और चुनौतियों पर विचार करते हैं, हम उन सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं - प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, नीतिगत मानकों को बनाए रखना और भारत में मीडिया उद्योग को आगे ले जाना।

हमें उम्मीद है कि आपको "प्रेस परिषद समीक्षा" का यह अंक ज्ञानवर्धक और सूचनाप्रद लगेगा।

भवदीय,

संपादक

प्रेस परिषद समीक्षा

संक्षिप्त विवरण

परिषद की कार्यप्रणाली

यह भारतीय प्रेस परिषद की त्रैमासिक पत्रिका "प्रेस परिषद समीक्षा" का जुलाई अंक है, जो 1 अप्रैल से 30 जून, 2023 तक की अवधि को कवर करता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद का उद्देश्य भारत में समाचारपत्र और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने के साथ प्रेस की स्वतंत्रता को संतुलित करना है। तिमाही के दौरान परिषद के पास कुल 287 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 66 शिकायतें प्रेस द्वारा असामाजिक तत्वों और प्राधिकारियों के खिलाफ प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए दर्ज की गईं और 221 मामले प्रेस के खिलाफ पत्रकारिता नीति के उल्लंघन के लिए दर्ज किए गए। परिषद ने 38 मामलों में निर्णय आदेश पारित किए, जबकि जांच के लिए अपर्याप्त आधार के कारण तिमाही के दौरान 233 मामले बंद कर दिए गए। परिषद ने प्रेस परिषद (जांच की प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियमन 13 के अनुरूप प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित 9 घटनाओं में स्वप्रेरणा से भी कार्रवाई की। परिषद ने तिमाही के दौरान केवल एक बैठक 29 मई, 2023 को आयोजित की।

परिषद द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियां

समीक्षाधीन तिमाही के दौरान परिषद ने निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मामलों पर बारह (12) प्रेस विज्ञप्तियां जारी कीं:

(क) सरकार या अन्य प्राधिकारियों द्वारा इसे भेजे जाने वाले मामले या पत्रकारिता नीति या विभिन्न मुद्दों से संबंधित मामले।

(ख) परिषद ने अश्लील और अशालीन विज्ञापनों के प्रकाशन, पत्रकारों पर हमले, पत्रकारों की गिरफ्तारी और ऑनलाइन सट्टेबाजी एवं जुआ प्लेटफार्मों के विज्ञापन प्रकाशित करने से संबंधित मामलों में स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया।

(ग) ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम, 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए।

सभी प्रेस विज्ञप्तियों को समयानुसार (कालक्रम के अनुसार) अध्याय VI के रूप में रखा जा रहा है।

परिषद का पुनर्गठन

श्री विनोद के. जोस को श्रमजीवी पत्रकार, जो संपादक हैं, की श्रेणी के तहत भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से 25.10.2021 को अपना

इस्तीफा दे दिया और प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6(5) के अनुसार तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया था।

उनके इस्तीफे के कारण हुई रिक्त को प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6(6) के अनुसार भरा गया था, यानी नामांकन उसी तरह किया जाता है जैसे व्यक्ति, जिसके कारण रिक्त हुई है, को नामांकित किया गया था, यानी संपादक श्रेणी में तीन अधिसूचित व्यक्ति संगमों से नामों के नए पैनल आमंत्रित किए गए थे और दायर किए गए दस्तावेजों तथा पार्टियों (पक्षों) द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के बाद, माननीय अध्यक्ष ने श्री पराग कारान्दिकर को नामांकित करते हुए दिनांक 17.05.2023 को आदेश पारित किया।

परिषद द्वारा की गई गतिविधियाँ

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद ने निम्नलिखित गतिविधियाँ कीं:

1. स्वच्छता पखवाड़ा

10-24 अप्रैल, 2023 के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन के तहत भारतीय प्रेस परिषद कार्यालय परिसर में एक सफाई अभियान चलाया गया।

परिषद ने कॉन्फ्रेंस हॉल, रिकॉर्ड रूम, एडमिन के स्टोर रूम और भारतीय प्रेस परिषद के विभिन्न अनुभागों में अलग-अलग दिनों में सफाई अभियान चलाया।

2. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2023

परिषद के सचिवालय में 21 जून, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सत्र के दौरान आसन करने में कर्मचारियों ने काफी उत्साह दिखाया। दिल्ली विश्वविद्यालय के योग प्रशिक्षक की मदद से कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस प्रयोजन के लिए, परिषद के कर्मचारियों को योग मैट के साथ योग लोगो टी-शर्ट प्रदान की गई।

कर्मचारियों के लिए "तनाव से राहत के लिए योग के लाभ" विषय पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख स्थानों पर बैनर लगाए गए।

3. नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून, 2023 को परिषद के सचिवालय में मनाया गया। भारतीय प्रेस परिषद के कर्मियों ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर ई-प्रतिज्ञा ली।

"नशा मुक्त भारत" विषय पर स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में परिषद के चौदह (14) कर्मचारियों ने भाग लिया। सर्वश्रेष्ठ तीन विजेताओं ने नकद पुरस्कार जीता। भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख स्थानों पर बैनर लगाए गए।

4. ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम, 2023

परिषद ने मासिक इंटर्नशिप कार्यक्रम का चौथा सत्र यानी ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम (एसआईपी), 2023 आयोजित किया। एसआईपी, 2023 के लिए पात्र पत्रकारिता छात्रों से आवेदन 16 मई, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 5 जून, 2023 थी। सचिवालय को भारत के विभिन्न हिस्सों से 146 आवेदन प्राप्त हुए। और योग्यता के आधार पर 15 छात्रों को 3 जुलाई, 2023 से 1 अगस्त, 2023 तक आयोजित इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए चुना गया।

प्रेस एवं पंजीकरण अपीलीय बोर्ड (पीआरएबी)

प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 8(ग) भारतीय प्रेस परिषद को उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत किसी घोषणा के गैर-प्रमाणीकरण या धारा 8(ख) के तहत बाद में इसके रद्दीकरण से संबंधित मजिस्ट्रियल आदेशों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का आदेश देती है। भारतीय प्रेस परिषद के बोर्ड में अध्यक्ष और परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नामित एक अन्य सदस्य होते हैं।

******

पत्रकारिता जगत से

सबसे खतरनाक वायरस है फेक न्यूज़ः अनुराग

फेक न्यूज़ पर लगाम लगाने के लिए फैक्ट चेक को महत्त्वपूर्ण बताते हुए केंन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस फर्जी सूचनाएं हैं। लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तक सही जानकारियां पहुंचाना महत्वपूर्ण है। वह शुक्रवार को IIMC में भारतीय सूचना सेवा ग्रुप–ए के प्रशिक्षु अधिकारियों के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में विचार व्यक्त करते हुए केद्रीय सूचना एंव प्रसारण मंत्री ने कहा कि बेहतर कम्युनिकेशन, सरकार और लोगों के बीच दूरी घटाने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास जागता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज के युग में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सही सूचना के प्रयोग से आम आदमी किसी भी विषय पर सही निर्णय ले सकता है। अधिकारियों को यह तय करना है जनता तक सही जानकारी पहुंचे।

नवभारत टाइम्स
नई दिल्ली
01/04/2023

सरकार ने मीडिया संस्थानों को आनलाइन सट्टेबाजी संबंधी विज्ञापन को लेकर किया आगाह

सरकार ने गुरूवार को मीडिया संस्थानों को सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापनों को लेकर आगाह किया। मुख्यधारा के अंग्रेजी और हिंदी अखबारों में इस तरह की विज्ञापन सामग्री प्रकाशित होने के कुछ दिन बाद यह परामर्श जारी किया गया है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अंग्रेजी और हिंदी अखबारों में कथित तौर पर सट्टेबाजी की पेशकश करने वाली वेबसाइट के विज्ञापनों और प्रचार सामग्री को प्रकाशित करने के हालिया उदाहरणों को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है।

मंत्रालय ने एक परामर्श में मीडिया संस्थानों, मीडिया मंचों और आनलाइन विज्ञापन बिचौलियों को सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापन या प्रचार सामग्री से परहेज करने की सलाह दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि अखबारों, टेलीविजन चैनल और आनलाइन समाचार प्रकाशकों सहित सभी मीडिया माध्यमों को सलाह जारी की गई है और ऐसे विशिष्ट उदाहरण पेश किए गए हैं, जहां हाल के दिनों में मीडिया में इस तरह के विज्ञापन दिखाई दिए हैं। मंत्रालय ने एक विशिष्ट सट्टेबाजी मंच द्वारा दर्शकों को अपनी वेबसाइट पर एक स्पोर्ट्स लीग देखने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी आपत्ति जताई, जो प्रथम दृष्टया कापीराइट अधिनियम, 1957 का उल्लंघन प्रतीत होता है।

जनसत्ता
नई दिल्ली
07/04/2023

फर्जी खबरों की पहचान के लिए नियमों में बदलाव पर चल रहा मंथनः किरण रिजिजू

केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि फर्जी, झूठी और तोड़–मरोड़कर पेश की जाने वाली खबरों की पहचान के लिए नियमों में संशोधन को परामर्श प्रक्रिया के जरिये किया जा रहा है। इसे लागू करने से पहले विचार–विमर्श की जरूरत है। रविवार को मध्य कश्मीर की जरूरत है। रविवार को मध्य कश्मीर के बड़गाम में कानूनी सहायता कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

रिजिजू का यह बयान ऐसे समय आया है जब इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना तकनीक मंत्रालय ने गत गुरूवार को सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन नियम 2023 को अधिसूचित किया है।

दैनिक जागरण
नई दिल्ली
10/04/2023

पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बनेगा एसओपी

माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्यारों के पत्रकार के रूप में पहुंचने की घटना ने पत्रकारों की सुरक्षा की सुरक्षा को लेकर सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ऐसी घटनाओं के दोबारा होने से बचने और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गृह मंत्रालय को एसओपी बनाने को कहा है।

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद गृह मंत्रालय ने एसओपी बनाने का काम शुरू कर दिया है। एसओपी तैयार करने की समय सीमा तय नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि किसी भी घटना की कवरेज के दौरान पत्रकारों की पहचान से लेकर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश बनाना होगा। इसका पालन देश में सभी पुलिस को करना होगा। देशभर में हजारों न्यूज चैनल, अखबार और लाखों डिजिटल मीडिया को देखते हुए पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। बताते चलें कि अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपित पत्रकार के रूप में आए थे। इस कारण पुलिस ने न तो उन्हें रोका और न ही जांच की।

दैनिक जागरण
नई दिल्ली
17/04/2023

पत्रकारों व मीडिया की स्वतंत्रता के सिकुड़ते दायरे पर चिंता जताई

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आईडब्लूपीसी में पैनल चर्चा आयोजित की गई। इसमें पत्रकार, अर्थशास्त्री और लेखक प्रेम शंकर झा, वरिष्ठ पत्रकार पामेला फिलिपोस, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा और स्तंभकार व लेखक आशुतोष शामिल थे। बैठक की अध्यक्षता आईडब्ल्यूपीसी अध्यक्ष शोभना जैन ने की।

इस अवसर पर सभी पैनलिस्टों ने मीडिया और पत्रकारों की स्वतंत्रता के सिकुड़ते दायरों पर चिंता व्यक्त कीं। पत्रकार प्रेम शंकर झा ने इस बात पर जोर दिया कि पत्रकारों के लिए संसद भवन और मंत्रालयों तक आसान पहुंच कितनी महत्त्वपूर्ण है। तेज तर्रार संपादकों और वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट द्वारा प्रदान की गई दोहरी सुरक्षा के कमजोर होने पर अफसोस जताया। आशुतोष ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे हमारी समृद्ध विविधता और सभ्यतागत विरासत आज छीनी जा रही है। आज तो देखा जा रहा है वह 'न केवल एक लोकतांत्रिक, बल्कि एक सांस्कृतिक संकट' है, जहां सवाल करने की कोई आजादी नहीं है। पामेला फिलिपोस ने कहा कि वर्तमान समय पत्रकारों के लिए महान संकट का समय है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का पर्याय है। उन्होंने कॉरपोरेट मीडिया के एकत्रीकरण पर चिंता व्यक्त की। उमाकांत लखेड़ा ने कहा कि सरकार को स्वतंत्र प्रेस से सबसे बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि स्वतंत्र प्रेस सरकारों को उनकी कमियों के बारे में सूचित कर सकती है और सुधार करने में उनकी मदद कर सकती है।

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने आईडब्ल्यूपीसी को संदेश के जरिए प्रेस स्वतंत्रता पर चर्चा आयोजित करने के लिए आईडब्ल्यूपीसी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह मीडिया ही था, जिसने जमनत को आकार दिया। एक विश्वसनीय लोकतांत्रिक समाज सुनिश्चित करने के लिए मीडिया को अपने कर्तव्यों को सच्चाई और जिम्मेदारी से निभाना चाहिए और राह में आने वाली प्रत्येक चुनौती का समाधान करना चाहिए।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली
05/05/2023

बिना पूर्व मंजूरी विज्ञापन नहीं छपेगाः चुनाव आयोग

कर्नाटक में कोई भी पार्टी या उम्मीदवार चुनाव के दिन और एक दिन पहले मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) से मंजूरी के बिना प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराएगा। 10 मई को मतदान के पहले निर्वाचन आयोग ने रविवार को यह निर्देश दिया।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सोमवार को थमने वाला है। राजनीतिक दलों को जारी परामर्श में निर्वाचन आयोग ने शिष्ट तरीके से प्रचार अभियान पर भी जोर दिया। संपादकों

को एक अलग पत्र में आयोग ने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के पत्रकारिता आचरण के मानदंड उनके समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञपनों सहित सभी मामलों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। आयोग ने कर्नाटक के समाचार पत्रों के संपादकों को लिखे एक पत्र में कहा, अगर जिम्मेदारी से इनकार किया जाता है, तो इस बारे में पहले ही स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी निर्वाचन आयोग की ओर से परामर्श जारी किया गया है।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली
08/05/2023

पत्रकार शीतला सिंह का निधन

वरिष्ठ पत्रकार शीतला सिंह का मंगलवार को 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शीतला सिंह को मुलायम सरकार ने यश भारती सम्मान से नवाज़ा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली
17/05/2023

पूरी तरह जांच के बाद ही कोई खबर प्रकाशित करे प्रेस : अदालत

अदालत ने कहा कि प्रेस को अपना कोई लेख प्रकाशित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी सीमा का उल्लंधन नहीं कर रहा है। उसे वैसी बातें नहीं प्रकाशित करनी चाहिए जो किसी संस्था या व्यक्ति के लिए अपमानजनक हो। वह कोई सामग्री तभी प्रकाशित करे जब यह विधिवत सत्यापित हो और यह मानने के पर्याप्त साक्ष्य हों कि प्रकाशित लेख सही है और यह सत्य है तथा प्रकाशन जनता की भलाई के लिए है।

कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रविंदर बेदी ने इस बात पर जोर दिया कि पत्रकारों को किसी लेख प्रकाशित करने को लेकर नीति बनायी गई है, जो सर्वभौमिक है। उसे मानहानिकारक कारकों से परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेखन के समय सामान्य मानदंडो का पालन करने की आवश्यकता है।

ऐसे मानदंडों में बिना सच्चाई के किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ अपमानजनक कुछ भी प्रकाशित नहीं किया जाना है। सच्चाई के लिए कोई बचाव नहीं है। न्यायधीश ने कहा कि प्रेस को जनहित में सार्वजनिक निकायों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों को उजागर करने का अधिकार है। लेकिन ऐसी सामग्री अकाट्य सबूतों पर आधारित होनी चाहिए और संबंधित स्रोत से जांच एवं सत्यापन के बाद प्रकाशित की जानी चाहिए। उसके साथ ही ऐसी सामग्री प्रकाशित किए जाने से पहले आरोप लगे व्यक्ति या संस्था का पक्ष भी सुना जाना चाहिए और उसका वक्तव्य होना चाहिए।

अदालत ने यह बात वर्ष 2016 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पूर्व अधीक्षण अभियंता आत्मा राम के खिलाफ एक पाक्षिक समाचार पत्र में छपे लेख के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसपर किसी के तबादले को लेकर रिश्वत देने का झूठा आरोप लगाया गया है जो मानहानिकारक है।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली
01/06/2023

कोर्ट की खबर में संयम बरतेंः एच सी

केरल हाई कोर्ट ने गुरूवार को मीडिया से अदालती मामलों की खबरें देते समय जिम्मेदारी भरा पत्रकारिता व्यवहार अपनाने को कहा। अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयानों से वादी की गरिमा और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। बेंच ने सीएम विजयन के प्राइवेट सेक्रेटरी की पत्नी प्रिया वर्गीस की कन्नूर विश्वविद्यालय में मलयालम एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति से संबंधित मुकदमें की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि ऐसे अवसर आते हैं जब शैक्षणिक मामलों में फैसला किसी न किसी वजह से मीड़िया का ध्यान खींचता है। ऐसे में कोर्ट को लगातार अखबार और चैनल की चर्चाओं के कारण होने वाली अतिरिक्त व्याकुलता से निपटना पड़ता है।

नवभारत टाइम्स
नई दिल्ली
23/06/2023

स्वच्छता पखवाड़ा, 10-24 अप्रैल, 2023 रिपोर्ट

10-24 अप्रैल, 2023 के बीच, स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन के दौरान, भारतीय प्रेस परिषद को आवंटित परिसर के भीतर सफाई अभियान चलाया गया

भारतीय प्रेस परिषद (भा.प्रे.प.) को सूचना भवन में आवंटित परिसर में 10-11 अप्रैल, 2023 को स्वच्छ भारत पखवाड़ा के दौरान, स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। प्रेस परिषद ने 10-11 अप्रैल, 2023 के बीच स्वच्छ भारत पखवाड़ा के दौरान, परिषद के संगोष्ठी कक्ष में स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान की कुछ तस्वीरें (स्वच्छता अभियान से पहले और इसके बाद की तस्वीरें संलग्न हैं)।

पहले **बाद में**

स्वच्छता पखवाड़ा, 12 से 14 अप्रैल, 2023 तक

उपर्युक्त उद्धृत अवधि के दौरान, भारतीय प्रेस परिषद के रिकॉर्ड रूम के अंदर सफाई अभियान चलाया गया। परिषद के कर्मचारियों द्वारा फाइलों के रैकों की सफाई की गई। नीचे दी गई कुछ तस्वीरें, किए गए कार्य की झलक प्रस्तुत करती हैं।

पहले **बाद में**

स्वच्छता पखवाड़ा, 17-18 अप्रैल, 2023 तक

उपर्युक्त उद्धृत अवधि के दौरान भारतीय प्रेस परिषद के विभिन्न अनुभागों में सफाई अभियान चलाया गया और समुचित प्रकार से सफाई की गई। स्वच्छता अभियान की कुछ तस्वीरें (पहले और बाद की) संलग्न हैं।

पहले **बाद में**

स्वच्छता पखवाड़ा, 19 से 20 अप्रैल, 2023 तक

इस दौरान परिषद के कर्मचारियों द्वारा भारतीय प्रेस परिषद को आवंटित परिसर में समुचित सफाई और गलियारों के सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया। स्वच्छता अभियान की फोटो संलग्न है।

21 अप्रैल, 2023 को स्वच्छता पखवाड़ा

इस अवधि के दौरान परिषद के कर्मचारियों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के कमरों की समुचित प्रकार से सफाई की गई। साफ़-सफ़ाई के बाद कक्ष में फ़ाइलें और मेजों को व्यवस्थित किया गया। स्वच्छता अभियान की कुछ तस्वीरें संलग्न हैं।

पहले **बाद में**

24 अप्रैल, 2023 को स्वच्छता पखवाड़ा

स्वच्छता पखवाड़ा के विशेष अभियान के तहत परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में, प्रशासन अनुभाग के स्टोर रूम में सफाई की गई। अस्त-व्यस्त फाइलों को फाइल रैक में ठीक से व्यवस्थित किया गया और कमरे की भली-भांति सफाई की गयी। स्वच्छता अभियान की कुछ तस्वीरें संलग्न हैं।

पहले **बाद में**

भारतीय प्रेस परिषद

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2023

परिषद के सचिवालय में 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सत्र के दौरान आसनों के प्रदर्शन में कर्मचारियों ने काफी उत्साह दिखाया। भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख स्थानों पर बैनर लगाए गए।

21 जून, 2023 को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए:

निबंध लेखन प्रतियोगिता

"Benefit of Yoga for Stress Relief" विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। परिषद के कर्मचारियों ने प्रतियोगिता में सक्रिय रूप से भाग लिया और प्रविष्टियों की समुचित जांच के बाद, सर्वश्रेष्ठ तीन विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए।

प्रशिक्षण सत्र

भारतीय प्रेस परिषद के संगोष्ठी कक्ष में सुबह 11 बजे एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय से एक योग प्रशिक्षक आए और उन्होंने योग के लाभों पर व्याख्यान दिया, उसके बाद योग प्रशिक्षक की देखरेख में, परिषद के कर्मचारियों द्वारा आसन किए गए। इसके लिए परिषद के कर्मचारियों को योगा लोगो की टी-शर्ट के साथ योग मैट भी प्रदान किए गए।

सत्र के दौरान ली गई तस्वीरें यहां नीचे दी गई हैं:

INTERNATIONAL DAY OF YOGA 2023

भारतीय प्रेस परिषद्
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
Soochna Bhawan, 8 CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003

पीआर संख्या 16/2023-24/पीसीआई दिनांक: 27.04.2023

प्रेस विज्ञप्ति

दैनिक जागरण, दिल्ली संस्करण के विभिन्न अंकों में अश्लील और अशिष्ट विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए भारतीय प्रेस परिषद ने लिया स्वत: संज्ञान

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2023: भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष माननीय श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने दैनिक जागरण के दिल्ली संस्करण के विभिन्न अंकों में अश्लील और अशिष्ट विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए उनके विरुद्ध स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया है। इन विज्ञापनों में पत्रकारिता के आचरण के मानक संस्करण, 2022 के मानक 2-विज्ञापन (iv, v), मानक 28- अश्लीलता और अशिष्टता से बचा जाए (i) का उल्लंघन किया गया है।

दैनिक जागरण समाचारपत्र, दिल्ली संस्करण के संपादक को जवाब दर्ज़ कराने हेतु, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

******

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल *E-Mail* : pcibpp@gmail.com वेबसाइट *Website* : www.presscouncil.nic.in

पीआर संख्या 17/2023-24/पीसीआई दिनांक: 05.05.2023

प्रेस विज्ञप्ति

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में "घातक रिपोर्टर" समाचारपत्र के संपादक, श्री अरविंद सिंह जादौन और उनके परिवार के सदस्यों पर हुए जानलेवा हमले के मामले में भारतीय प्रेस परिषद ने लिया स्वत: संज्ञान।

भारतीय प्रेस परिषद ने "घातक रिपोर्टर" समाचारपत्र के संपादक, श्री अरविंद सिंह जादौन और उनके परिवार के सदस्यों पर हुए घातक हमले पर चिंता व्यक्त की है। इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष महोदया ने मध्य प्रदेश सरकार को तथ्यों के आधार पर यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया है।

******

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल E-Mail : pcibpp@gmail.com वेबसाइट Website : www.presscouncil.nic.in

पीआर संख्या 18/2023-24/पीसीआई दिनांक: 04.05.2023

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय प्रेस परिषद ने, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के विज्ञापन प्रकाशित करके पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2022 का उल्लंघन करने के लिए दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, हिंदुस्तान टाइम्स और द टेलीग्राफ के खिलाफ स्व-प्रेरणा से लिया संज्ञान

भारतीय प्रेस परिषद ने प्रमुख समाचारपत्रों में ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के विज्ञापन प्रकाशित किए जाने पर चिंता व्यक्त की। भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष महोदया ने इस मामले में स्व-प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, हिंदुस्तान टाइम्स और द टेलीग्राफ के संपादकों को पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2022 के मानक 2- विज्ञापन (v), (xxii) का उल्लंघन करने और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 13.06.2022, 03.10.2022 और 06.04.2023 की मीडिया परामर्शिकाओं का पालन न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया है।

******

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल E-Mail : pcibpp@gmail.com वेबसाइट Website : www.presscouncil.nic.in

पीआर संख्या 19/2023-24-बी/पीसीआई दिनांक: 09.05.2023

प्रेस विज्ञप्ति

लुधियाना में टाइम्स नाउ के पत्रकार की गिरफ्तारी पर भारतीय प्रेस परिषद ने लिया स्व-प्रेरणा से संज्ञान

भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष, श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने जहां एक महिला पत्रकार को पत्रकारिता की ड्यूटी करने से रोकने के लिए गिरफ्तार करने की घटना का संज्ञान लिया है। अध्यक्ष ने पंजाब राज्य सरकार से टिप्पणियां मंगवाने के निदेश दिए हैं।

******

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल E-Mail : pcibpp@gmail.com वेबसाइट Website : www.presscouncil.nic.in

पीआर संख्या 20/2023-24/पीसीआई दिनांक: 08.05.2023

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय प्रेस परिषद ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को कवर करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पत्रकार पर किए गए हमले की घटना का स्व-प्रेरणा से लिया संज्ञान

भारतीय प्रेस परिषद ने, दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को कवर करने की कोशिश करने पर पत्रकार, सुश्री साक्षी जोशी के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने और उन्हें प्रवेश करने से रोकने तथा उन्हें हिरासत में लेने के लिए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की है। इस मामले में स्व-प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए, भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने मामले के तथ्यों पर संबंधित अधिकारियों से जल्द से जल्द रिपोर्ट मंगवाने का निदेश दिया है।

******

प्रेस द्वारा दर्ज़ मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची
(धारा 13 के अंतर्गत)

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
समाचारकर्मियों का उत्पीड़न			
1.	श्री एस.एन. श्याम, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रेस पुरुष संघ, पटना की पुलिस प्रशासन के विरुद्ध शिकायत। (13/144/2018-19-पीसीआई)	29.05.2023	निदेश के साथ समाप्त
2.	श्री सरताज खान, पत्रकार, कौमी पत्रिका और श्री शौकत अली, ब्यूरो चीफ, कौमी पत्रिका, गाजियाबाद, यूपी की श्री सर्वेश और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, लोनी, गाजियाबाद, यूपी के विरुद्ध शिकायत। (13/135/2019-20-पीसीआई)	29.05.2023	मामला वापिस लेने के कारण समाप्त
3.	श्री आशीष तिवारी, मुख्य संपादक, महामृतुंज्य दर्शन, एटा, यू.पी. की पुलिस प्रशासन व असामाजिक तत्वो के विरुद्ध शिकायत। (73/2021-बी-पीसीआई)	29.05.2023	निदेश के साथ समाप्त
प्रेस को सुविधाऐं			
4.	श्री सुखराज सिंह, प्रकाशक, सुखराज साप्ताहिक की निदेशक, जनसंपर्क विभाग, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ के विरुद्ध शिकायत। (213/2021-बी-पीसीआई)	29.05.2023	निदेश के साथ समाप्त
स्वप्रेरणा से संज्ञान			
5.	भूमि हथियाने की घटनाओं की कवरेज के लिए पत्रकार, श्री शशिकांत वारिशे की कथित हत्या पर स्व-प्रेरणा से संज्ञान। (एसएम/फरवरी/01/2023-बी)	29.05.2023	मामला बंद

प्रेस के विरुद्ध दर्ज़ मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची

(धारा 14 के अंतर्गत)

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
सिद्धांत और प्रकाशन			
1	मेसर्स यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड की संपादक, प्रलाप के विरुद्ध शिकायत। (14/529/2019-20-पीसीआई)	29.05.2023	निदेश के साथ समाप्त
2-4	श्री एस. श्रीकुमार श्रीधरन, चटनौर, केरल की संपादक, (i) जन्मभूमि, (ii) मातृभूमि, (iii) केरल कौमुदी, त्रिवेन्द्रम, केरल के विरुद्ध शिकायत। (623/2020-ए-पीसीआई)	29.05.2023	समाप्त
5	मेसर्स कालिका स्टील अलॉय प्राइवेट लिमिटेड की संपादक, गोकुलनीति, औरंगाबाद रोड, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत। (1824/2020-ए-पीसीआई)	29.05.2023	परिनिंदा
6	डॉ. लखन सिंह, निदेशक, आईसीएआर-अटारी की संपादक राष्ट्र सह्याद्री, पुणे के विरुद्ध शिकायत। (70/2021-ए-पीसीआई)	29.05.2023	आश्वासन के साथ समाप्त
7	श्री सुनील जी. गोडबोले की श्री गिरीश कुबेर, संपादक, लोकसत्ता, मराठी दैनिक, समाचारपत्र, मुंबई के विरुद्ध शिकायत। (376/2022-ए-पीसीआई)	29.05.2023	अवलोकन के साथ खारिज

8	श्री सुनील जी. गोडबोले की श्री गिरीश कुबेर, संपादक, लोकसत्ता, मराठी दैनिक, समाचारपत्र, मुंबई के विरुद्ध शिकायत। (229/2022-ए-पीसीआई)	29.05.2023	अवलोकन के साथ खारिज
9	श्री एच.आर. नाशिरकर, सीईओ, जिजाऊ कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती की संपादक, दैनिक जनसंचालन समाचार पत्र, बुलढाणा के विरुद्ध शिकायत। (478/2022-ए-पीसीआई)	29.05.2023	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
प्रेस और मानहानि			
10	श्री अरुण सिद्धू, लुधियाना, पंजाब की दैनिक जागरण, लुधियाना, पंजाब के विरुद्ध शिकायत। (2129/2020-ए)	29.05.2023	निदेश सहित समाप्त
11-12	श्री जगदीशचंद्र आर. पटेल, अध्यक्ष, श्रीजी केलवानी मंडल, सूरत, गुजरात की संपादक, दक्षिण गुजरात वर्तमान, साप्ताहिक समाचारपत्र, अहमदाबाद के विरुद्ध शिकायत। (1935/2020-ए & 104/2020-ए-पीसीआई)	29.05.2023	निदेश सहित समाप्त
13	श्री चितरंजन भास्कर पोल (सेवानिवृत्त आईआरएस) की संपादक, मराठी विश्वास के विरुद्ध शिकायत। (14/406/2019-20-पीसीआई)	29.05.2023	परिनिंदा

14	श्री सुरज्य कुमार दास, गुवाहाटी, असम की संपादक, अमर असोम, गुवाहाटी, असम के विरुद्ध शिकायत। (1797/2020-ए)	29.05.2023	निदेश सहित समाप्त
15	श्री वी. श्रीकुमार की संपादक, केरला कौमुदी-फ़्लैश के विरुद्ध शिकायत। (14/18/2019-20-पीसीआई)	29.05.2023	आश्वासन के साथ समाप्त
16	डॉ. अनुपमा कौशिक की संपादक, राज एक्सप्रेस के विरुद्ध शिकायत। (14/409/2019-20-पीसीआई)	29.05.2023	निदेश सहित समाप्त
17	श्री एस.एस.भागवत की लोकमत समाचार, चंद्रपुर, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत। (1889/2020-ए-पीसीआई)	29.05.2023	गैर-अनुसरण के कारण समाप्त
18	श्री आर.बी. माने, अधीक्षण अभियंता, एमएसईडीसीएल, वाशी की संपादक, स्प्राउट्स के विरुद्ध शिकायत। (470/2021-ए-पीसीआई)	29.05.2023	निदेश सहित समाप्त
19	श्री जी. गोडबोले, मुंबई की संपादक, लोकसत्ता के विरुद्ध शिकायत। (51/2020-ए-पीसीआई)	29.05.2023	ख़ारिज
20	श्री भाग्य एम.जी., अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, स्कैनरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटक की संपादक, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, चेन्नई और सुश्री बाला चौहान, वरिष्ठ विशेष संवाददाता, इंडियन एक्सप्रेस, चेन्नई के विरुद्ध शिकायत। (14/437/2019-20-पीसीआई)	29.05.2023	आश्वासन के साथ समाप्त

साम्प्रदायिक, जातीय, राष्ट्र-विरोधी तथा पंथ-विरोधी लेख			
21	श्री एस पुष्पवनम, सचिव, उपभोक्ता संरक्षण परिषद, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु की द हिंदू, चेन्नई के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (14/256/2019-20-पीसीआई)	29.05.2023	ख़ारिज़
22-23	श्री अनिल कुमार बाबूराव सोनकामले, औरंगाबाद की संपादक, दिव्य मराठी और लोकमत के विरुद्ध शिकायत। (14/419 & 613/2018-19-पीसीआई)	29.05.2023	चेतावनी के साथ खारिज
24	श्री मनोज एस. अग्रवाल की संपादक, आज का आनंद, पुणे के विरुद्ध शिकायत। (440/2021-ए-पीसीआई)	29.05.2023	तथ्य की कमी के कारण ख़ारिज
25	श्री सुनील गजानन गोडबोले की संपादक, लोकसत्ता, मुंबई के विरुद्ध शिकायत। (1877/2020-ए-पीसीआई)	29.05.2023	अवलोकन के साथ खारिज
स्व:प्रेरणा से संज्ञान			
26-33	दिनांक 23.12.2020 को पुधारी (ठाणे संस्करण), राजस्थान पत्रिका (मुंबई संस्करण), प्रवासी संदेश (मुंबई संस्करण), कल्याण (ठाणे संस्करण), पुण्य नगरी (ठाणे संस्करण), यशोभूमि (मुंबई संस्करण) और नवभारत (ठाणे संस्करण) द्वारा आपत्तिजनक समाचारों के प्रकाशन के संबंध में स्व-प्रेरणा से संज्ञान। (44,182,203,417,503,504,505, 1864/2020/एसएम/ए-पीसीआई)	29.05.2023	कार्यवाही बंद

परिषद के न्यायनिर्णय

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

न्यायनिर्णय

दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल संख्या 13/144/18-19-पीसीआई

शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
1. श्री एस.एन. श्याम, वरिष्ठ पत्रकार/प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रेस पुरुष संघ, पटना (बिहार)	मुख्य सचिव बिहार सरकार पटना (बिहार) सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, बिहार सरकार, पटना (बिहार) निदेशक, सूचना एव जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार, पटना (बिहार)

तथ्य

श्री एस.एन.श्याम, वरिष्ठ पत्रकार/प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रेस पुरुष संघ, पटना, बिहार ने पुलिस अधिकारियों पर समाचार कवरेज के दौरान पत्रकारों को बुरी तरह से पीटने का आरोप लगाते हुए, यह शिकायत दिनांकित 04.11.2018 दर्ज की है।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि दिनांक 2.11.2018 को कुछ पुलिस अधिकारी, पटना पुलिस लाइन में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और समाचार कवरेज के दौरान, पुलिस ने पत्रकारों/फोटोग्राफरों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता ने आगे सूचित किया कि घटना के दौरान 'हमारा समाज" के संवाददाता, श्री एस.एन. श्याम (शिकायतकर्ता), जन प्रहरी टाइम्स के क्राइम रिपोर्टर, श्री अमन सिंह बुरी तरह घायल हो गये। उनका आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने न तो उनका बयान दर्ज किया और न ही उन्हें कोई चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने भी इस घटना पर कोई संज्ञान नहीं लिया

है। शिकायतकर्ता ने, पत्रकारों को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए, परिषद से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

बिहार सरकार को 10.1.2019 को टिप्पणियों हेतु नोटिस जारी किए गए।

शिकायतकर्ता ने अपने अगले पत्र दिनांक 9.7.2019 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि बिहार सरकार ने इस मामले में कोई जवाब दर्ज नहीं किया है। उन्होंने पटना में पत्रकारों को हो रही कठिनाइयों के संबंध में कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए, परिषद से निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करने का अनुरोध किया है:

1. रिपोर्टरों को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाया जा सकता है।
2. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई जांच के बाद ही, दर्ज मामलों में पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इसके बाद ही किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए।
3. रिपोर्टरों के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच, डी.आई.जी. स्तर के अधिकारी द्वारा की जाए और पुलिस उसके बाद ही किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करे।
4. यदि पत्रकारों/फोटोग्राफरों/मीडिया कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज मामले झूठे साबित होते हैं, तो झूठे मामले दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
5. पत्रकारों/फ़ोटोग्राफ़रों/मीडियाकर्मियों को ड्यूटी के दौरान घायल होने पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जानी चाहिए ।

यह मामला 9.7.2019 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया और उसे स्थगित कर दिया गया।

<u>अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार से प्राप्त पत्र</u>

अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना ने अपने पत्र दिनांक 16.4.2021 के माध्यम से विभिन्न राज्य पुलिस अधिकारियों के पत्रों की प्रतियां नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अग्रेषित की हैं:

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना ने दिनांक 10.3.2020 को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें यह प्रस्तुत किया गया है कि सभी पुलिस स्टेशन प्रभारियों को पत्रकारों/फोटोग्राफरों को सुरक्षा प्रदान करने के निदेश दिये गये हैं। आगे विवेचित किया गया है कि 2.11.2018 को पटना पुलिस लाइन में घटित घटना के संबंध में, बुद्धा कॉलोनी थाने में विभिन्न चार मामले, मामला संख्या 435/18, 436/18, 437/18 और 438/18 दर्ज किये गये, जिनकी अभी जांच चल रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भागलपुर ने अपने पत्र दिनांक 12.3.2020 द्वारा सूचित किया है कि फोटो पत्रकार, श्री अजीत कुमार झा के साथ मारपीट के संबंध में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दिनांक 14.6.2015 को थाना आदमपुर में मामला संख्या 351/15 दर्ज किया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि जांच के दौरान पता चला कि घटना का कारण निजी था। इसके बाद जिले में पत्रकारों पर हमले का कोई दूसरा मामला सामने नहीं आया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर ने अपने पत्र दिनांक 20.02.2020 और 4.3.2020 के माध्यम से सूचित किया है कि पत्रकार, श्री नवीस कुमार रंजन के खिलाफ जिले में कोई मामला दर्ज नहीं है और न ही उन्हें हिरासत में भेजा गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि प्रेस परिषद द्वारा भेजी गयी शिकायत, मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित नहीं है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गया ने अपने पत्र दिनांक 9.3.2020 द्वारा सूचित किया है कि मामला पटना पुलिस से संबंधित है और शिकायत में उनके जिले की किसी भी घटना का कोई संदर्भ नहीं है।

अनुमण्डल पुलिस अधिकारी, सदर, बिहारशरीफ, नालन्दा ने अपने पत्र दिनांक 5.12.2019 द्वारा सूचित किया है कि पत्रकार, श्री अश्विनी कुमार उर्फ चुन्नू की हत्या के संबंध में तीन आरोपियों के विरूद्ध थाना हरनोट में धारा 302/201/120(ख) के तहत संख्या 153/19 दिनांक 15.04.2018 दर्ज किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक, सहरसा ने अपने पत्र दिनांक 12.3.2020 के माध्यम से सूचित किया है कि पत्रकार, श्री मनोज कुमार और अन्य के खिलाफ वर्ष 2016 में भूमि विवाद के संबंध में, एक प्रति शिकायत दर्ज की गई थी और दिनांक 28.9.2016 को आरोप पत्र दायर किया गया था। इस संदर्भ में, श्री संजीव कुमार एवं कांस्टेबल श्री अरूण कुमार एवं सौरव कुमार सहित मण्डल पुलिस अधिकारी, सदर, सहरसा के विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई की गयी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर उनके अंगरक्षकों द्वारा पत्रकार के साथ मारपीट करने, दुर्व्यवहार करने और उनका कैमरा छीनने के आरोप के संबंध में प्रस्तुत किया है कि जांच के दौरान, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और उनके अंगरक्षकों द्वारा पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करने की कोई घटना सामने में नहीं आयी।

पुलिस अधीक्षक, बंका बिहार ने अपने पत्र दिनांक 10.3.2020 द्वारा सूचित किया है कि बंका जिले में पत्रकार पर हमले के संबंध में कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सभी पुलिस अधिकारियों को पत्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निदेश दिये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक, कैमूर भभुआ, बिहार ने अपने पत्र दिनांक 9.3.2020 द्वारा सूचित किया है कि जिले में पत्रकार पर हमले के संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जिले में पुलिस द्वारा सभी पत्रकारों को उचित सम्मान दिया जाता है और उन्हें पूरा सहयोग दिया जाता है।

पुलिस अधीक्षक, बगहा, बिहार ने अपने पत्र दिनांक 12.3.2020 के माध्यम से सूचित किया है कि पत्रकारों की सुरक्षा या उनके उपकरणों को नुकसान पहुँचाने से संबंधित कोई मामला सामने नहीं आया और इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

पुलिस अधीक्षक, अररिया, बिहार ने अपने पत्र दिनांक 12.3.2020 द्वारा सूचित किया है कि जिले में पत्रकार पर हमले या दुर्व्यवहार के संबंध में कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सभी पुलिस अधिकारियों को पत्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निदेश दिये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया, बिहार ने अपने पत्र दिनांक 9.3.2020 द्वारा सूचित किया है कि जिले में पत्रकार पर हमले या दुर्व्यवहार के संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सभी पुलिस अधिकारियों को पत्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निदेश दिये गये हैं।

इस मामले की जांच समिति द्वारा 21.1.2020 और 26.8.2022 को फिर से सुनवाई की गई और मामले को स्थगित कर दिया गया।

<u>एडीजीपी, बिहार पटना से प्राप्त पत्र</u>

अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), बिहार, पटना ने अपने पत्र दिनांक 05.08.2022 के माध्यम से विवेचित किया है कि प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14(3) की उप-धारा (1) में ऐसा कुछ उल्लिखित नहीं है, जो परिषद को ऐसे किसी भी मामले की जांच करने के लिए सशक्त बनाता हो, जिसके संबंध में कोई भी कार्यवाही किसी भी न्यायालय में लंबित हो । उन्होंने आगे बताया कि पत्रकारों और सिनेमाटोग्राफरों से संबंधित 24 घटनाओं को दर्ज किया गया है और संबंधित जिलों से प्राप्त अद्यतन रिपोर्टों का अनुपालन किया गया है और उन्हें इस पत्र के साथ संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अधिकांश मामलों में घटनाओं के संबंध में जो मामले दर्ज किये गये थे, उनकी जांच पूरी कर अंतिम स्थिति माननीय न्यायालय के समक्ष रखी गई है।

<u>श्री हज़मत एच. अमानुल्लाह, अपर स्थायी परामर्शदाता, बिहार राज्य के माध्यम से विशिष्ट सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना से प्राप्त संचार</u>

श्री हजमत एच. अमानुल्लाह, अधिवक्ता, अपर स्थायी परामर्शदाता, बिहार राज्य, नई दिल्ली ने बिहार राज्य की ओर से दिनांक 22.08.2022 को आवेदन देकर विषयगत शिकायत को अस्वीकृत करने

की मांग की। उन्होंने प्रस्तुत किया कि बिहार राज्य यह प्रार्थना करते हुए, वर्तमान आवेदन दर्ज कर रहा है कि वर्तमान शिकायत को भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम ("अधिनियम") के प्रावधानों के आलोक में पढ़े गए नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII के नियम 11 के संदर्भ में, माननीय प्रेस परिषद द्वारा यह देखते हुए, अस्वीकृत/खारिज कर दिया जाए, कि परिषद के समक्ष वर्तमान कार्यवाही अधिनियम के तहत परिषद को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर होने के कारण उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और शिकायतकर्ता द्वारा जिन विभिन्न राहतों की मांग की गई है, वे भी प्रदान किए जाने योग्य नहीं हैं।

श्री हजमत एच. अमानुल्लाह, अधिवक्‍ता ने दिनांक 22.08.2022 के अपने अगले पत्र के माध्यम से विवेचित किया है कि वर्तमान कार्यवाही, भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत मान्य नहीं है। प्रतिवादी के परामर्शदाता ने प्रस्तुत किया कि प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 ("अधिनियम") की धारा 13(1) प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करने या समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर आदि को बनाए रखने और उनमें सुधार करने के माननीय परिषद के उद्देश्य को निर्दिष्ट करती है और अधिनियम की धारा 13(2), स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता और उसके सहायक कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों को सहायता और मार्गदर्शन देने के बारे में स्पष्ट करती है। प्रतिवादी ने विवेचित किया है कि अधिनियम के साथ-साथ उसके तहत बनाए गए विनियमों (जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है) के अवलोकन से, स्पष्ट रूप से पता चलता है कि माननीय प्रेस परिषद द्वारा जांच करने की शक्तियां किसी समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या श्रमजीवी पत्रकार के खिलाफ शिकायतों तक ही सीमित हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि शुरू की गई वर्तमान जांच कार्यवाही (जैसा कि दिनांक 30.01.2019 के पत्र के तहत बिहार राज्य को सूचित किया गया है) अधिनियम के दायरे से बाहर है और जारी रखने योग्य नहीं है। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

यह मामला 10.10.2022 को फिर से जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया और स्थगित कर दिया गया।

<u>बिहार सरकार से प्राप्त पत्र</u>

पुलिस महानिदेशक, नियंत्रण कक्ष, बिहार पुलिस, पटना ने अपने ईमेल दिनांक 13.12.2022 के माध्यम से, श्री ए.एच. अमानुल्लाह, बिहार राज्य के अपर स्थायी अधिवक्ता को संबोधित पुलिस उपमहानिरीक्षक (मानवाधिकार), बिहार पुलिस, पटना के पत्र दिनांक 12.12.2022 की एक प्रति भेजी है। इसके साथ-साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना का दिनांक 23.11.2022 का पत्र है। इसमें मामला संख्या 435/18, 436/18, 437/18 और 438/18 के तीन बिंदुओं/प्रश्नों पर निम्नलिखित विवरण प्रदान किया गया है।

बिंदु क्रमांक 1- किसी पत्रकार के क्या घटना में घायल होने के संबंध में कोई मामला दर्ज किया गया है?

जवाब

न्यू पुलिस सेंटर, पटना में कुछ कॉन्स्टेबलों ने दिनांक 2.11.2018 को हंगामा और तोड़फोड़ किया था और इस संबंध में थाना बुद्धा कॉलोनी में मामले संख्या 435/18, 436/18 और 437/18 दर्ज किये गये थे। इसी सिलसिले में पटना के मीडियाकर्मी, श्री सुनील कुमार समाचार कवरेज के लिए अपनी कार से न्यू पुलिस सेंटर आये थे। बवाल के दौरान, उपद्रवियों ने उनकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। न्यू पुलिस सेंटर में हुई घटना के दौरान किसी भी मीडियाकर्मी पर हमला नहीं किया गया, न ही कोई मीडियाकर्मी घायल हुआ।

बिंदु क्रमांक 2- यदि हां, तो घटना का विवरण और उस पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रदान करें।

जवाब

न्यू पुलिस सेंटर, पटना में हुई घटना के संबंध में, मीडियाकर्मी, श्री सुनील कुमार, पटना ने थाना बुद्धा कॉलोनी में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध आईपीसी की धारा147/148/149/341/427/504 के तहत मामला संख्या 438/18 दिनांक 2.11.2018 दर्ज कराया। जांच के दौरान, आईपीसी की उपर्युक्त धाराएं सत्य पाई गईं और अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अंतिम रिपोर्ट क्रमांक 324/22 दिनांक 29.7.2022 माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

बिंदु संख्या 3-घटना के दौरान, कितने उपद्रवी कॉन्स्टेबलों को बर्खास्त किया गया या उन पर कोई कार्रवाई की गई। उसका विवरण दें:

जवाब

शासनादेश क्रमांक 4522/18 एवं 4524/18 दिनांक 4.11.2022 के अनुसार, कुल 162 प्रशिक्षु महिला/पुरुष आरक्षियों को बर्खास्त किया गया, जिसमें से कुल 151 कर्मी, जिनके विरुद्ध न्यायालय के आदेश को देखते हुए पुनः विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गयी है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार में वापस लौट आये हैं। उक्त कर्मियों में से, एक महिला कांस्टेबल को पुनः सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है तथा एक प्रशिक्षु पुरुष कांस्टेबल से इसके संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके अलावा, घटना के दौरान कुल 23 कर्मियों को निलंबित कर, विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी थी, जिसमें से कुल 22 कर्मियों को निर्दोष पाया गया और एक कर्मी के खिलाफ अभी भी विभागीय कार्रवाई चल रही है।

प्रतिवादी ने बर्खास्त/निलंबित पुलिस कर्मियों का विवरण/सूची प्रस्तुत की है।

<u>जांच समिति की रिपोर्ट</u>

यह मामला दिनांक 10.10.2022 को पुनः जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं था, श्री अजमत एच. अमानुल्लाह और सुश्री तिरुपति बिहार सरकार की ओर से उपस्थित हुए।

श्री एस एन श्याम, वरिष्ठ पत्रकार/प्रदेश अध्यक्ष बिहार प्रेस पुरुष संघ, पटना (बिहार) ने दिनांक 04.11.2018 को एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ पुलिस अधिकारी 02.11.2018 को पटना पुलिस लाइन में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पत्रकारों द्वारा किए गए समाचार कवरेज के दौरान पुलिस ने पत्रकार/फोटोग्राफरों की पिटाई शुरू कर दी। शिकायतकर्ता ने बताया कि 'हमारा समाज' के संवाददाता, श्री एस.एन. श्याम (शिकायतकर्ता), जन प्रहरी टाइम्स के क्राइम रिपोर्टर, श्री अमन सिंह बुरी तरह घायल हो गये। कोई बयान दर्ज नहीं किया गया और उन्हें कोई चिकित्सा सहायता नहीं दी गई। यह आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की।

शिकायत के बाद 09.07.2019 को एक और पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें पुलिस द्वारा पत्रकारों के कथित उत्पीड़न की 24 घटनाओं का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता ने भारतीय प्रेस परिषद से शिकायत पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की गई हैं:

1. रिपोर्टरों को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाया जा सकता है।
2. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई जांच के बाद ही, दर्ज मामलों में पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तब तक पत्रकारों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जानी चाहिए।
3. रिपोर्टरों के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच डी.आई.जी. स्तर के अधिकारी द्वारा की जाए व पुलिस उसके बाद ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करें।
4. यदि पत्रकारों/फोटोग्राफरों/मीडिया कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज मामले झूठे साबित होते हैं, तो झूठे मामले दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
5. पत्रकारों/फ़ोटोग्राफ़रों/मीडियाकर्मियों को ड्यूटी के दौरान घायल होने पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए।

आज श्री एस.एन.श्याम उपस्थित नहीं हैं, हालाँकि वे पिछली सुनवाई में उपस्थित थे। श्री हजमत एच. अमानुल्लाह, अधिवक्ता और श्री तिरूपति गौरव शाही, अधिवक्ता बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिहार राज्य द्वारा दर्ज लिखित बयान में इस मामले से निपटने के लिए परिषद के अधिकार

क्षेत्र पर आपत्ति जताई गई है। जहां तक दिनांक 9.7.2019 के पत्र में उद्धृत घटनाओं का संबंध है, पुलिस महानिदेशक ने अपने पत्र दिनांक 5.8.22 के माध्यम से एक रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट एक तालिका के साथ है। तालिका में प्रत्येक घटना के बारे में आवश्यक परिशिष्टों के साथ जानकारी दी गई है। यह बताया गया है कि उक्त मामले न्यायाधीन हैं और प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (पी.सी. अधिनियम) की धारा 14(3) के अनुसार परिषद इन मामलों की जांच नहीं कर सकती। बिहार राज्य ने भी अपने लिखित वक्तव्य में 24 कथित घटनाओं की जानकारी दी है। दिनांक 2.11.2018 की घटना के संबंध में बताया गया है कि 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं और विधिनुसार जांच चल रही है।

सबसे पहले अधिकारिता संबंधी आपत्ति से निपटना आवश्यक है। प्रेस परिषद अधिनियम की प्रस्तावना के अनुसार, यह प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण करने और भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखने और उनमें सुधार करने के उद्देश्य से प्रेस परिषद की स्थापना करने का एक अधिनियम है। प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 13(2)(क) के अनुसार, परिषद का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण करना और भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखना और उनमें सुधार करना होगा। धारा 13(2)(ङ) के अनुसार, प्रेस परिषद को लोक-हित और लोक-महत्व के समाचारों के प्रदाय और प्रसार के निर्बंधन की किसी भी घटना पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि प्रेस परिषद को प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि पत्रकार, जो समाचार जगत के मुख्य खिलाड़ी हैं, सुरक्षित रहें। यदि पत्रकारों को धमकाया जाता है और उन्हें पीटा जाता है तो धारा 13(2)(ङ) लागू होती है, क्योंकि यह एक ऐसी घटना होगी, जिसके परिणामस्वरूप लोक- हित और लोक-महत्व की खबरों का प्रदाय और प्रसार प्रतिबंधित हो जाएगा। यदि पत्रकारों का दमन होगा, तो प्रिंट मीडिया का स्तर कायम नहीं रह पाएगा। सही और सच्ची खबरें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। यदि पत्रकारों पर हो रहे हमलों को अनदेखा किया गया, तो प्रेस परिषद का अस्तित्व ही बेमानी हो जाएगा। धारा 13(2)(ट) में प्रेस परिषद की जिम्मेदारियों का वर्णन करने के बाद बताया गया है कि प्रेस परिषद ऐसे अन्य कार्य कर सकती है जो धारा 13(2) में निर्धारित कार्यों के निर्वहन के लिए प्रासंगिक या सहायक हों। इसलिए, प्रेस परिषद पत्रकारों पर हमलों की घटनाओं का संज्ञान ले सकती है और उचित आदेश पारित कर सकती है या ऐसी टिप्पणियां कर सकती है, जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के उसके मुख्य कार्य के लिए अनुकूल होंगी। हालाँकि, इसे इस बात पर गौर करना होगा कि क्या ये हमले पत्रकारों को उनके पत्रकारिता संबंधी कर्तव्य को निभाने से रोकने के लिए किए गए हैं या ये हमले आपराधिक प्रकृति के किसी व्यक्तिगत विवाद का परिणाम हैं। जांच समिति को प्रथम दृष्ट्या यह नहीं लगता कि इस मामले में पत्रकार किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल थे या राजनीतिक उद्देश्यों के कारण कोई गलत या अतिरंजित विवरण दिया गया है। इसलिए अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के संबंध में जताई गई आपत्ति अपर्याप्त है और तदनुसार अस्वीकृत की जाती है।

जहां तक उन कई मामलों का सवाल है, जिनका शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 9.7.2019 में हवाला दिया है, जांच समिति इन मामलों में आगे नहीं जाना चाहती है। दिनांक 4.11.2018 की शिकायत का दायरा इस प्रकार बढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसा लगता है कि ये मामले न्यायाधीन हैं। यदि उनमें से प्रत्येक मामले के संबंध में विशिष्ट शिकायत की गई होती, तो शायद उन पर गौर किया जा सकता था। इसके अलावा, इस पत्र में की गई प्रार्थनायेँ बहुत व्यापक हैं। उन सभी को प्रेस परिषद द्वारा अनुमति नहीं दी जा सकती। उचित मामले में उनमें से कुछ पर विचार किया जा सकता है।

शिकायतकर्ता की मुख्य शिकायत दिनांक 2.11.2018 की घटना के संबंध में है, जहां उसे और एक अन्य पत्रकार, श्री अमन सिंह को कथित तौर पर पीटा गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें चोटें आयी थीं। प्रतिवादियों ने इस बात से इनकार किया है कि इसमें पुलिस की कोई निष्क्रियता है। आज बिहार राज्य के विद्वान परामर्शदाता ने एक संकलन दर्ज किया है, जिसमें दिनांक 2.11.2018 की घटना के संबंध में दर्ज की गई चार एफआईआर की प्रतियां शामिल हैं। यह विवेचित किया गया है कि ये मामले 150 प्रशिक्षु पुलिस कांस्टेबलों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किये गये हैं। जहां तक इन एफआईआर की बात है, तो ये उन प्रशिक्षु कांस्टेबलों के खिलाफ हैं, जो आंदोलन कर रहे थे और जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल थे। ये एफआईआर शिकायतकर्ता की शिकायत का निवारण नहीं करतीं। शिकायत से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता एवं श्री अमन एवं अन्य पत्रकारों के साथ मारपीट की गयी। उन्हें चोटें आईं। उनका प्राथमिक उपचार नहीं किया गया। उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया। इससे स्पष्ट है कि पुलिस ने शिकायतकर्ता और श्री अमन के बयान दर्ज नहीं किये हैं। राज्य सरकार ने भी इस घटना का संज्ञान नहीं लिया। जांच समिति को ऐसा लगता है कि पुलिस या राज्य द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत की जांच ही नहीं की गई। शिकायत की जांच की जानी चाहिए।

अत्यधिक सावधानी बरतते हुए, शिकायत की एक प्रति आज बिहार राज्य के विद्वान परामर्शदाता को दी गई। जांच समिति की राय है कि पुलिस को इस शिकायत को शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस को संबोधित शिकायत के रूप में मानना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए और इस पर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है शिकायतकर्ता और श्री अमन के बयान दर्ज करना। राज्य के परामर्शदाता द्वारा यह तर्क दिया गया कि न तो शिकायतकर्ता और न ही श्री अमन ने कोई एफ़आईआर दर्ज कराई। जांच समिति इस परिस्थिति को महत्व नहीं देती, क्योंकि माहौल इतना प्रतिकूल था कि वे पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने नहीं जा सकते थे। उन्हें चोटें आई थीं। वे स्पष्ट रूप से सदमे में थे। अत: यह तर्क अस्वीकार किया जाता है।

जांच समिति, तदनुसार, परिषद से संस्तुति करती है कि पुलिस को शिकायतकर्ता की शिकायत दिनांक 4.11.2018 को पुलिस को संबोधित शिकायत के रूप में मानने, इसकी जांच करने और उचित कदम उठाने का निदेश दिया जाए। ऐसा निदेश देकर शिकायत को समाप्त कर दिया जाए।

<u>निर्णय</u>

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और उपर्युक्त निदेश के साथ मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय
दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल संख्या 13/135/19-20-पीसीआई

शिकायतकर्ता

2. श्री सरताज खान,
पत्रकार,
शाह टाइम्स,
गाजियाबाद (यूपी)

श्री शौकत अली,
ब्यूरो चीफ,
कौमीपत्रिका, हिन्दी दैनिक,
गाजियाबाद (यूपी)

प्रतिवादी

1. मुख्य सचिव
उ.प्र. सरकार,
लखनऊ (यूपी)

2. सचिव,
गृह (पुलिस) विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ (यूपी)

3. पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश पुलिस,
पुलिस मुख्यालय,
लखनऊ (यूपी)

4. पुलिस अधीक्षक,
गाजियाबाद (यूपी)

5. डिप्टी कलेक्टर,
लोनी,
गाजियाबाद (यूपी)

6. श्री नन्द किशोर गुर्जर,
एमएलए, लोनी,
गाजियाबाद (यूपी)

7. श्री ललित शर्मा,
गाजियाबाद (यूपी)

8. श्री अलीमुद्दीन अंसारी,
   गाजियाबाद (यूपी)

9. श्री परवेज़ सलमानी,
   गाजियाबाद (यूपी)

10. श्री विकास मावी,
    गाजियाबाद (यूपी)

11. श्री प्रवीण उर्फ नीटू,
    गाजियाबाद (यूपी)

12. श्री पवन चौधरी,
    गाजियाबाद (यूपी)

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 19.9.2019 को श्री सरताज खान, पत्रकार, शाह टाइम्स, गाजियाबाद (यूपी) द्वारा डिप्टी कलेक्टर, लोनी, जिला गाजियाबाद और अन्य के खिलाफ समाचार कवरेज के दौरान कथित दुर्व्यवहार के लिए दर्ज की गई थी।

श्री सरताज खान, पत्रकार, शाह टाइम्स और श्री शौकत अली, ब्यूरो चीफ, कौमी पत्रिका, हिंदी दैनिक, गाजियाबाद (यूपी) ने दिनांक 4.11.2019 को परिषद में प्राप्त अपनी संयुक्त अदिनांकित शिकायत के माध्यम से सूचित किया है कि दिनांक 18.9.2019 को उप-जिला मजिस्ट्रेट, लोनी, गाजियाबाद एक अतिक्रमण को हटा रहे थे और कुछ पत्रकार समाचार कवरेज के लिए वहां पहुंचे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि समाचार कवरेज के दौरान, उप जिलाधिकारी, श्री सर्वेश के गनर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में उपजिला मजिस्ट्रेट को मौखिक रूप से अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद वे अपने साथी पत्रकारों के साथ इस संबंध में दिनांक 19.9.2019 को एमएलए लोनी, श्री नंद किशोर गुर्जर के कार्यालय पर धरना देने पहुंचे, जहां एमएलए के प्रतिनिधि, श्री ललित शर्मा और श्री विकास मावी ने उन्हें कार्यालय में बैठने के लिए कहा। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कुछ समय बाद 7-8 नकाबपोश व्यक्तियों ने उन दोनों पर बेरहमी से हमला किया, क्योंकि वे एक विशेष समुदाय से थे, और उन्होंने श्री सरताज खान (शिकायतकर्ता) का महंगा मोबाइल भी छीन लिया और वहां से भाग गए। शिकायतकर्ताओं ने आगे बताया कि वे दोनों बेहोश थे और उनके साथी पत्रकारों ने पुलिस को बुलाया और वे उन्हें अस्पताल ले गए और उनका मेडिकल चेकअप कराया और 7-8 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थाना लोनी बॉर्डर में आईपीसी की धारा 147/148/395/323/506 के तहत मामला संख्या 723/2019 दर्ज कराया, हालांकि पुलिस ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि लोनी एमएलए इस विरोध से

नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने उन पर हमला किया और हमले के वक्त एमएलए अपने कार्यालय में मौजूद थे। शिकायतकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया है कि एमएलए के सहयोगी भी उन पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। इस सन्दर्भ में भाजपा नेता, श्री अलीमुद्दीन ने थाना लोनी में उनके विरूद्ध लूट का झूठा मामला दर्ज कराया है तथा सोशल मीडिया/व्हाट्सएप पर भी शेयर कर उन्हें बदनाम किया है। शिकायतकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया है कि प्रतिवादियों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है और धमकी भी दी जा रही है। शिकायतकर्ताओं ने अपनी और अपने परिवार की जान को खतरे की आशंका जताते हुए परिषद से मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादियों को 1.1.2020 को जवाबी वक्तव्य हेतु नोटिस जारी किए गए।

श्री नंद किशोर गुर्जर, एमएलए, लोनी द्वारा दिया गया लिखित वक्तव्य

श्री नंद किशोर गुर्जर, एमएलए, लोनी ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांक 14.1.2020 के माध्यम से आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि शिकायत में लगाए गए आरोप काल्पनिक और मनगढ़ंत हैं। प्रतिवादी ने आगे कहा कि घटना के समय वह अपने लखनऊ स्थित आवास पर था। प्रतिवादी के अनुसार, सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट के गनर द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के संबंध में, शिकायतकर्ताओं को सक्षम अधिकारी/विभाग के समक्ष विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था, उनके कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने का कोई औचित्य नहीं था। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि छह पत्रकारों में से केवल दो पत्रकारों पर हमला किसी भी उद्देश्य को सिद्ध नहीं करता है। प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि पूरी घटना की जानकारी लेने पर उन्हें पता चला कि शिकायतकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना उनके कार्यालय के बाहर हुई थी, जो उनके आपसी झगड़े का नतीजा था। प्रतिवादी ने कहा कि लखनऊ प्रवास के दौरान उन्हें इस घटना की जानकारी मिली थी, जिसकी उन्होंने निंदा की थी और पुलिस को निष्पक्ष जांच के आदेश भी दिये थे। प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि वह चौथे स्तंभ का सम्मान करता है। उन्होंने परिषद से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

श्री परवेज़ सलमानी द्वारा दिया गया लिखित वक्तव्य

भाजपा नेता श्री परवेज़ सलमानी ने 24.1.2020 को परिषद में प्राप्त अपने लिखित वक्तव्य में विवेचित किया है कि शिकायत में लगाए गए आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं। प्रतिवादी ने कहा है कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ताओं द्वारा थाना लोनी बॉर्डर में दर्ज कराए गए मुकदमे में भी उसका नाम नहीं है। प्रतिवादी ने आशंका जताई है कि उसे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि वह मीडिया का सम्मान करता है। उन्होंने परिषद से मामले की निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया है।

पं. ललित शर्मा एवं श्री विकास मावी का लिखित वक्तव्य

पं. ललित शर्मा, एमएलए प्रतिनिधि और श्री विकास मावी, लोनी ने दिनांक 21.1.2020 को अपने संयुक्त लिखित वक्तव्य में बताया है कि शिकायत में लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत हैं। प्रतिवादियों के अनुसार, उन्होंने पत्रकारों के आने पर सम्मानपूर्वक उनके समक्ष, चाय प्रस्तुत की और उसके बाद एमएलए के लखनऊ में होने के कारण पत्रकार कार्यालय से चले गए। बाद में, उन्हें प्रशासन के माध्यम से शिकायतकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के बारे में पता चला। प्रतिवादियों ने कहा है कि जानकारी लेने के बाद उन्हें पता चला कि कथित हमला आपस में (शिकायतकर्ताओं) कुछ व्यक्तिगत मुद्दे को लेकर हुआ था। प्रतिवादियों ने यह भी कहा है कि वे चौथे स्तंभ का सम्मान करते हैं। उन्होंने परिषद से मामले की निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ताओं की प्रति टिप्पणियाँ दिनांकित 03.02.2020

शिकायतकर्ताओं ने 3.2.2020 को परिषद में प्राप्त अपनी संयुक्त अदिनांकित प्रति टिप्पणियों में कहा है कि श्री नंद किशोर गुर्जर, एमएलए द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य झूठा और मनगढ़ंत है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, घटना के समय प्रतिवादी, एमएलए गाजियाबाद के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि एमएलए को इस बात की जानकारी थी कि पत्रकार उनके कार्यालय में आ रहे हैं और गाजियाबाद जाने से पहले एमएलए और लोनी के सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट ने पूरी साजिश रची थी। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि घटना के बाद एमएलए ने व्हाट्सएप ग्रुप में यह भी लिखा कि 'अब विरोध कब है', जो पत्रकारों के प्रति एमएलए के व्यवहार को दर्शाता है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि समाचारपत्रों ने एमएलए कार्यालय में उन पर हुए हमले की खबर भी प्रकाशित की थी। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि एमएलए का व्यवहार, पत्रकारों के प्रति ठीक नहीं है और वे व्हाट्सएप ग्रुप पर पत्रकारों के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं।

श्री अलीमुद्दीन अंसारी द्वारा दिया गया लिखित वक्तव्य

श्री अलीमुद्दीन अंसारी, भाजपा नेता, लोनी ने दिनांक 5.2.2020 को अपने लिखित वक्तव्य में कहा है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। प्रतिवादी ने सूचित किया है कि शिकायतकर्ता उसके कार्यालय में आए और उन्हें धमकी दी और बंदूक की नोक पर उसके कार्यालय काउंटर से जबरन 10,000/- रुपये ले लिए। इस संबंध में उन्होंने शिकायतकर्ता के खिलाफ संबंधित थाने में मामला दर्ज कराया। उन्होंने परिषद से शिकायतकर्ता के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्ज़ की गईं प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ताओं ने दिनांक 18.3.2020 को परिषद में प्राप्त अपनी अदिनांकित प्रति टिप्पणियों के माध्यम से शिकायत को दोहराते हुए प्रस्तुत किया है कि श्री परवेज सलमानी, ललित शर्मा और अलीमुद्दीन अंसारी द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य झूठे, भ्रामक और मनगढ़ंत हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि हमला एमएलए के कार्यालय में हुआ है। शिकायतकर्ताओं ने आगे कहा है कि हमलावर उसी कमरे से आए थे, जिसमें प्रतिवादी, श्री ललित शर्मा और श्री विकास मावी गए थे। शिकायतकर्ताओं ने यह भी कहा है कि प्रतिवादी, श्री परवेज़ सलमानी ने भारतीय प्रेस परिषद को गुमराह किया है। दरअसल, श्री परवेज़ सलमानी भी नकाबपोश हमलावरों में से एक थे और घटना के बाद उन्होंने उन्हें धमकी भी दी थी और मामला वापस लेने का दबाव भी बनाया था। शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि पुलिस जांच में प्रतिवादी, श्री अलीमुद्दीन अंसारी द्वारा लगाए गए 10,000/- रुपये की लूट के आरोप, की शिकायत झूठी और निराधार पाई गई है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला दिनांक 1.3.2023 को नई दिल्ली में सुनवाई के लिए जांच समिति के समक्ष आया।

शिकायतकर्ता, श्री सरताज खान एवं श्री शौकत अली उपस्थित हैं। श्री राकेश सिंह चौहान और श्री कवींद्र कुमार उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सुश्री पूनम मिश्रा, एसीपी पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, श्री रति गुप्ता, नायब तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर, लोनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, श्री कुंदन कुमार, श्री नंद किशोर गुर्जर, एमएलए, लोनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और श्री ललित शर्मा, श्री अलीमुद्दीन अंसारी, श्री परवेज सलमानी, श्री विकास भावी और श्री प्रवीण शर्मा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

शिकायतकर्ताओं द्वारा हमें सूचित किया गया है कि यह मामला सुलझ गया है। शिकायतकर्ता नंबर 1, श्री सरताज़ खान और शिकायतकर्ता नंबर 2, श्री शौकत अली ने नोटरीकृत हलफनामा दर्ज़ किया है जिसमें यह विवेचित किया गया है कि यह मामला सुलझ गया है और वे शिकायत को आगे जारी रखना नहीं चाहते हैं। जांच समिति के समक्ष दिए गए हलफनामे और वक्तव्य के मद्देनजर, जांच समिति परिषद से शिकायतकर्ताओं को अपनी शिकायत वापस लेने की अनुमति देने की संस्तुति करती है। जांच समिति संस्तुति करती है कि मामले को परिषद द्वारा तदनुसार समाप्त किया जा सकता है।

<u>निर्णय</u>

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए मामले को वापस लेने/ सुलझने के कारण इसे समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल संख्या 73/2021-बी-पीसीआई

शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
3. श्री आशीष तिवारी, मुख्य संपादक, महामृत्युंज्य दर्शन, एटा (उ.प्र.)	1. मुख्य सचिव, उ.प्र. सरकार, लखनऊ (उ.प्र.) 2. सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, उ.प्र. सरकार, लखनऊ (उ.प्र.) 3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) 4. पुलिस अधीक्षक, जिला मेरठ, (उ.प्र.) 5. श्री संजीव कुमार, सुपुत्र श्री विशन लाल, मेरठ (उ.प्र.)

<u>तथ्य</u>

यह शिकायत दिनांक 05.03.2021 को श्री आशीष तिवारी, मुख्य संपादक, महामृत्युंज्य दर्शन साप्ताहिक, एटा (यूपी) द्वारा पुलिस अधिकारियों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आलोचनात्मक लेखन के प्रकाशन के कारण उन्हें झूठे मामले में फंसाने के आरोप में दर्ज़ की गई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने अपने समाचारपत्र के अंक दिनांकित 28.01.2021 में पुलिस प्रशासन की आलोचना और माफिया की अवैध गतिविधियों को उजागर करते हुए एक समाचार प्रकाशित किया था। उनकी सही रिपोर्टिंग से नाराज होकर, पुलिस अधीक्षक, क्राइम, मेरठ और तेल माफिया ने माफिया के माध्यम से, शिकायतकर्ता के विरुद्ध थाना प्रतापपुर, जिला मेरठ में जबरन वसूली और मारपीट का झूठा मामला दर्ज कराया। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि जब उसने मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री अजय साहनी से संपर्क किया, तो उन्होंने उसे जेल भेजने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादियों द्वारा की गई कार्रवाई प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने परिषद से प्रतिवादियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादियों को जवाबी वक्तव्य हेतु नोटिस दिनांक 17.8.2021 जारी किए गए और उसके बाद दिनांक 03.11.2021 को समयबद्ध अनुस्मारक जारी किया गया।

<u>अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य</u>

श्री राजीव सभरवाल, अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन, मेरठ ने दिनांक 9.2.2022 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से, पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन, मेरठ के जरिये प्राप्त, दिनांक 31.1.2022 की जांच रिपोर्ट पेश की है, जिसमें यह बताया गया है कि श्री संजीव कुमार की शिकायत के आधार पर, दिनांक 5.2.2021 को, श्री आशीष तिवारी (शिकायतकर्ता) के विरुद्ध आईपीसी की धारा 386/506 के तहत एफआईआर संख्या 070/2021 दर्ज की गई थी। आगे बताया गया है कि जांच के दौरान, आईपीसी की धारा 386 को हटा दिया गया है और आईपीसी की धारा 506 के स्थान पर धारा 504/507 आईपीसी को जोड़ा गया और शिकायतकर्ता के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 321/2021 दिनांक 30.8.2021 दाखिल किया गया। सभी दस्तावेज दिनांक 30.11.2021 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये। प्रतिवादी ने बताया कि शिकायतकर्ता और श्री संजीव कुमार के बीच पेट्रोल पंप के समझौते के संबंध में व्यक्तिगत विवाद था। प्रतिवादी ने कहा है कि मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

शिकायतकर्ता से प्राप्त पत्र

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 17.6.2022 के माध्यम से आरोप लगाया है कि पुलिस ने जबरन उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 386/506 के तहत मामला संख्या 070/2021 दर्ज किया है। उन्होंने मामले में जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

श्री संजीव कुमार द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य

श्री संजीव कुमार (प्रतिवादी संख्या 5) ने अपने ईमेल दिनांक 23.02.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता एक पेट्रोल पंप चला रहा था, जो शिकायतकर्ता की मां को आवंटित किया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि आपसी समझ से उन्होंने उसी पंप को किराए पर देने का फैसला किया और 5 साल के लिए एक पंजीकृत समझौता हुआ, जिसके लिए आरटीजीएस के माध्यम से 15 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया था। लगभग 4 महीने तक पंप चलाने के बाद प्रतिबद्धता अनुसार, बिक्री बहुत कम रही और उन्हें घाटा होने लगा। प्रतिवादी के अनुसार, उन्होंने चर्चा के लिए उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे फोन या उनके पते पर संपर्क नहीं हो सका। उन्होंने आगे कहा कि जब उन्होंने पंप को संबंधित कंपनी को सौंप दिया, तब भी वे उनका पता नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि श्री आशीष तिवारी जेल में थे। प्रतिवादी ने आगे बताया कि 25.01.2021 को उसे शिकायतकर्ता का फोन आया, जिसने कहा कि उसे 24 लाख रुपये दे दो, अन्यथा किराए के हत्यारों द्वारा उसे गोली मार दी जाएगी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया और उनकी जांच में यह पाया गया कि जिस नंबर से उन्हें कॉल आया था वह शिकायतकर्ता का ही है और इसलिए, उन्होंने धारा 386 और 506 के तहत एफआईआर संख्या 0070 दर्ज की। प्रतिवादी ने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता और उसकी मां धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल थे।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला दिनांक 2.3.2023 को नई दिल्ली में सुनवाई के लिए जांच समिति के समक्ष आया। शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित था, जबकि श्री राकेश सिंह चौहान एवं श्री कवीन्द्र कुमार उ0प्र0 के मुख्य सचिव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक, मेरठ की ओर से श्री कुँवर सिंह, उपनिरीक्षक उपस्थित हुए।

दिनांक 5.3.2021 को श्री आशीष तिवारी, मुख्य संपादक, महामृत्युंज्य दर्शन साप्ताहिक, एटा द्वारा पुलिस प्रशासन और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध, आलोचनात्मक लेखन के प्रकाशन के कारण झूठे मामले में फंसाने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है।

जांच समिति ने उपस्थित, श्री तिवारी की बातें सुनीं। उनकी दलीलों से ऐसा लगता है कि श्री तिवारी और प्रतिवादी संख्या 5, श्री संजीव कुमार, जो उपस्थित नहीं हैं, के बीच वास्तव में एक व्यक्तिगत विवाद है। विवाद एक पेट्रोल पंप से संबंधित है, जो श्री आशीष तिवारी की मां को आवंटित है। जांच समिति इस व्यक्तिगत विवाद से संबंधित तथ्यों की सत्यता या किसी अन्य बात पर नहीं जाना चाहती। श्री तिवारी की मुख्य शिकायत से यह लगता है कि उनकी मां अभी भी पेट्रोल पंप की हकदार हैं। हालाँकि, श्री संजीव कुमार ने उनकी माँ को धोखा दिया और 9 हजार लीटर पेट्रोल और 18 हजार लीटर डीजल चुरा लिया। श्री तिवारी के अनुसार, जबकि पुलिस ने प्रतिवादी संख्या 5, श्री संजीव कुमार की एफआईआर दर्ज की, लेकिन उन्होंने श्री तिवारी की शिकायत की न तो जांच की है और न ही कोई मामला दर्ज किया है। श्री कुँवर सिंह पुलिस अधीक्षक, मेरठ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दी, कि "अगर श्री आशीष तिवारी पुलिस से संपर्क करते हैं, तो पुलिस उनकी शिकायत को ध्यान में रखेगी और उसकी जांच करेगी और विधिनुसार उसका समाधान करेगी"। जांच समिति इस स्टेटमेंट को स्वीकार करती है। इन परिस्थितियों में, जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि उपर्युक्त निदेशों के साथ शिकायत को समाप्त किया जा सकता है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और उपर्युक्त निदेशों के साथ शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

प्रेस को सुविधाऐं

न्यायनिर्णय

दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल संख्या 213/2021-बी-पीसीआई

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
4. श्री सुखराज सिंह, प्रकाशक, द सुखराज, साप्ताहिक समाचारपत्र	1. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, चंडीगढ़, पंजाब

चंडीगढ़

2. उप निदेशक, प्रेस
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
चंडीगढ़, पंजाब

<u>तथ्य</u>

यह शिकायत दिनांक 31.08.2021 को श्री सुखराज सिंह, प्रकाशक, द सुखराज साप्ताहिक, चंडीगढ़ द्वारा निदेशक, जनसंपर्क, पंजाब, चंडीगढ़ के विरुद्ध कथित तौर पर मान्यता कार्ड जारी न करने के लिए दर्ज़ की गई है।

शिकायतकर्ता ने बताया है कि सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी साप्ताहिक समाचारपत्र के कम से कम एक प्रेस संवाददाता या संपादक को राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जा सकती है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मान्यता कार्ड के लिए आवेदन करने के बावजूद उसे वह जारी नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि 'द सुखराज', पंजाब साप्ताहिक एक नियमित साप्ताहिक है और वर्ष 1974 से पटियाला से प्रकाशित हो रहा है। इसके अलावा, साप्ताहिक सरकारी/अर्ध सरकारी विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु डीएवीपी, उत्तर रेलवे, डीपीआर पंजाब और डीपीआर हरियाणा के साथ सूचीबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि एक बार डीपीआरओ, पटियाला, पंजाब द्वारा पुलिस सत्यापन करवाया गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें मान्यता कार्ड जारी नहीं किया गया है, जबकि उनके राज्य के कई स्वीकृत/गैर अनुमोदित साप्ताहिकों ने अपने नाम पर मान्यता कार्ड जारी करवा लिया है। उन्होंने परिषद से अनुरोध किया है कि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पंजाब को उनके साप्ताहिक को मान्यता जारी करने के लिए निदेशित किया जाए और डीआईपीआर पंजाब के विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई की जाए।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 24.11.2021 के माध्यम से कहा है कि वह विज्ञापन बिल और प्रकाशन की प्रति जमा करने के लिए 22 नवंबर, 2021 को निदेशक, सूचना और जनसंपर्क विभाग, पंजाब चंडीगढ़ के कार्यालय गए थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि तब उसे भारतीय प्रेस परिषद में शिकायत दर्ज करने के लिए, उप निदेशक, श्री असविंदर ग्रेवाल द्वारा धमकी दी गई और अपमानित किया गया और उसे भारतीय प्रेस परिषद से मान्यता प्राप्त करने के लिए कहा गया।

टिप्पणियों के लिए नोटिस निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, चंडीगढ़ को 08.11.2021 को जारी किया गया था, जिसके बाद 24.12.2021 को जवाबी वक्तव्य के लिए एक नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पंजाब द्वारा दर्ज़ टिप्पणियाँ

निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पंजाब ने दिनांक 20.01.2022 के अपने उत्तर में कहा है कि विभाग, पत्रकारों के मान्यता कार्ड 'पंजाब मीडिया मान्यता नियम-2009' के अनुरूप जारी करता है। जिला स्तर पर कार्यरत पत्रकारों की मान्यता हेतु सम्बन्धित डीपीआरओ द्वारा मान्यता कार्ड जारी किये जाने हेतु नियमानुसार संस्तुति मुख्यालय को भेजी जाती है। उन्होंने आगे कहा कि मान्यता के उद्देश्य से शिकायतकर्ता, सुखराज साप्ताहिक समाचारपत्र के प्रकाशक श्री सुखराज से निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि डीपीआरओ, पटियाला के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 'सुखराज साप्ताहिक' समाचारपत्र किसी भी एजेंसी द्वारा नहीं बेचा जाता है और न ही इसकी कोई काउंटर बिक्री है और न ही यह समाचारपत्र जिला लोक संपर्क अधिकारी, पटियाला के कार्यालय में प्राप्त हो रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि डीपीआरओ, पटियाला से प्राप्त लिखित रिपोर्ट में, रिकॉर्ड को देखने के बाद यह पाया गया है कि श्री सुखराज ने वर्ष 2012 में विभागीय कार्ड जारी करने के लिए कार्यालय से संपर्क किया था, उस समय सामान्य औपचारिकता के अनुसार, उनके रिकॉर्ड सर्कुलेशन और काउंटर सेल आदि की जांच की गई थी, जैसा कि अन्य पत्रकारों के मामलों में विभागीय कार्ड जारी करने के लिए किया जाता था। उस समय भी समाचारपत्र के परिचालन और काउंटर बिक्री के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली थी, इसीलिए श्री सुखराज सिंह का पहचान पत्र जारी करने के मामले पर विचार नहीं किया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने विभागीय कार्ड जारी किए जाने के लिए विभाग से संपर्क नहीं किया और न ही उक्त अवधि में उसका समाचारपत्र कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज़ प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणी दिनांक 21.02.2022 के माध्यम से अपनी शिकायत को दोहराते हुए कहा है कि उसका समाचारपत्र वर्ष 1974 से नियमित रूप से पटियाला से प्रकाशित किया जा रहा है और समाचार एजेंसी द्वारा केवल साप्ताहिक रूप से बेचा जाता है और इसकी प्रति, डीपीआरओ पटियाला/डीपीआर पंजाब सहित जिला/राज्य स्तर पर सरकारी कार्यालयों को हर सप्ताह डाक द्वारा भेजी जा रही है। उन्होंने आगे विवेचित किया कि जब वह डीपीआरओ कार्यालय, पटियाला गए तो उन्होंने उन्हें बताया कि उनका मामला डीपीआर, चंडीगढ़ के पास लंबित है और जब वह डीपीआरओ कार्यालय चंडीगढ़ गए, तो उन्होंने उन्हें कभी भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि इसी तरह के साप्ताहिक ''गैरत'' और कुछ अन्य साप्ताहिक प्रकाशनों को, जोकि पटियाला से प्रकाशित हो रहे थे, उन्हें डीपीआरओ पटियाला/डीपीआर पंजाब की संस्तुति पर मान्यता और सरकारी आवास मिला था, लेकिन उन्हें उक्त विभाग द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई थी। उन्होंने एक बार फिर परिषद से प्रतिवादियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पंजाब द्वारा दर्ज़ प्रत्युत्तर

निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पंजाब, चंडीगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 18.05.2022 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि विभाग मान्यता कार्ड जारी करने के लिए शिकायतकर्ता के नाम पर विचार कर सकता था, यदि इसकी संस्तुति, संबंधित जिला जनसंपर्क कार्यालय, अर्थात्, पटियाला द्वारा मान्यता नियम, 2009 और इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ की गई होती।

शिकायतकर्ता से प्राप्त पत्र

शिकायतकर्ता ने पत्र दिनांक 07.06.2022 के माध्यम से विवेचित किया है कि उसने पहले ही नीति (नियम) के अनुसार अपने पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ जिला लोक संपर्क अधिकारी, पटियाला को नियत प्रोफॉर्मा में मान्यता के लिए आवेदन कर दिया है। उन्होंने आगे ये भी बताया है कि दिनाँक 06.09.2011 को जिला जनसंपर्क अधिकारी, पटियाला ने उनका आवेदन स्वीकार कर लिया था और दिनाँक 27.09.2021 को उन्होंने प्रेस पहचान पत्र जारी कर दिया था। शिकायतकर्ता ने कहा है कि प्रेस आई.कार्ड जारी होने के बाद वह अपनी मान्यता के बारे में पूछताछ करने के लिए जिला लोक संपर्क विभाग, पटियाला गए, लेकिन तत्कालीन डीपीआरओ ने उन्हें बताया कि उनका मामला प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि उनके आवेदन को स्वीकार करने के बाद डीपीआरओ, पटियाला की संस्तुति के साथ उनका पुलिस सत्यापन भी किया गया था, फिर संबंधित विभाग यह क्यों कह रहा है कि डीपीआरओ, पटियाला के कार्यालय में कोई विवरण/दस्तावेज नहीं है। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क विभाग पंजाब, चंडीगढ़ भारतीय प्रेस परिषद को गलत जानकारी दे रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि दिनांक 22.02.2022 को जब वह निदेशक, जनसंपर्क विभाग, पंजाब, चंडीगढ़ से मिलने गया, तो वे उनके साथ उप सचिव, पंजाब सिविल सचिवालय (पीसीएस) के पास गए और उन्हें मान्यता कार्ड जारी करने का निदेश दिया। लेकिन उप सचिव ने बताया कि उप निदेशक (प्रेस) कार्यालय में उपस्थित नहीं हैं और यह सुनिश्चित किया कि जब वह लौटेंगे, तो वह उनसे मान्यता कार्ड जारी करने के लिए कहेंगे। लेकिन आज तक उन्हें वह कार्ड नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उप निदेशक (प्रेस), श्री असविंदर ग्रेवाल उनके विरुद्ध 'व्यक्तिगत रंजिश' रखते हैं और दिनांक 06.09.2021 से उन्हें परेशान कर रहे हैं और उन्हें मान्यता कार्ड जारी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने परिषद से अनुरोध किया है कि वह विभाग, डीपीआर, पंजाब, चंडीगढ़ को उनके मामले पर विचार करने का निदेश दें।

यह मामला 11.10.2022 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया और स्थगित कर दिया गया।

निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पंजाब से प्राप्त अन्य पत्र

निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पंजाब ने अपने ईमेल पत्र दिनांक 16.10.2022 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्री सुखराज सिंह, प्रकाशक, सुखराज साप्ताहिक, पटियाला की शिकायत के संबंध में जांच मुख्य कार्यालय और निदेशक जनसंपर्क, अधिकारी, पटियाला के कार्यालय के रिकॉर्ड को सूक्ष्मता से देखने के बाद मुख्यालय के स्तर पर की गई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के बाद यह पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत के समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज बिना किसी सच्चाई के गढ़े गए हैं। प्रतिवादी ने कहा है कि पंजाब सरकार की मान्यता नीति के क्रम संख्या 8 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "यह स्पष्ट किया जाता है कि मान्यता एक सुविधा है न कि अधिकार"। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि श्री सुखराज (शिकायतकर्ता) द्वारा पीसीआई को प्रस्तुत किए गए पीले पहचान पत्र के संबंध में सूचना और जनसंपर्क विभाग, पंजाब के मुख्यालय ने डीपीआरओ, पटियाला के कार्यालय के रिकॉर्ड को सावधानीपूर्वक सत्यापित किया, जिससे पता चला कि श्री। सुखराज सिंह, प्रकाशक, सुखराज साप्ताहिक को वर्ष 2011 में, इससे एक साल पहले या बाद में न तो पीला पहचान पत्र जारी किया गया है और न ही मान्यता कार्ड जारी किया गया है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता ने फर्जी तरीकों से जाली पीले आईडी कार्ड सहित नकली दस्तावेजों के आधार पर मान्यता प्राप्त करने के इरादे से, न केवल भारतीय प्रेस परिषद का कीमती समय बर्बाद किया है, बल्कि यह भी संदेह है कि उसने भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ आउटरीच (पहले डीएवीपी) के साथ गलत तरीके से पैनलबद्ध होकर सरकारी विज्ञापन प्राप्त करके राजकोष को चूना लगाया होगा। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि पंजाब के सभी डीपीआरओ की रिपोर्ट के अनुसार, सुखराज साप्ताहिक का किसी भी जिले में कोई परिचालन नहीं है। प्रतिवादी ने कहा है कि शिकायतकर्ता ने मान्यता प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेज तैयार करके पत्रकारिता के महान पेशे को बदनाम किया है। इसलिए, फर्जी प्रमाण पत्रों और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऐसे व्यक्ति को मान्यता देना घोर जालसाजी और धोखाधड़ी के बराबर है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता नीति के विरुद्ध है। प्रतिवादी ने भारतीय प्रेस परिषद से अनुरोध किया है कि शिकायतकर्ता, श्री सुखराज सिंह द्वारा गढ़ी गई झूठी शिकायत को नैसर्गिक न्याय, सुविवेक और समानता के सिद्धांतों पर तुरंत खारिज किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ तुरंत मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें बाधक होने के नाते सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखा जा सके, जिससे पत्रकारिता नीति में अटूट विश्वास को मजबूत किया जा सके।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 2.3.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष फिर से सुनवाई के लिए आया।

यह शिकायत दिनांक 31.8.2021 को श्री सुखराज सिंह, प्रकाशक, द सुखराज, साप्ताहिक समाचारपत्र, चंडीगढ़ द्वारा निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, चंडीगढ़, पंजाब के विरुद्ध मान्यता कार्ड जारी न करने के लिए दर्ज़ की गई। श्री सुखराज सिंह उपस्थित हैं और प्रतिवादी संख्या 1 के लिए, सुश्री सोनाली गिरि, आईएएस, निदेशक, डीआईपीआर, पंजाब उपस्थित हैं और प्रतिवादी संख्या 2 के लिए, श्री हाकम थापर, डीपीआरओ, पटियाला सहित श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त एपीआरओ,पटियाला उपस्थित हैं। जांच समिति ने पक्षों को विस्तार से सुना है और पाया है कि इस प्रश्न में तथ्यों और विधि के विवादित प्रश्न शामिल हैं। प्रतिवादी नंबर 1 का मामला यह है कि शिकायतकर्ता, श्री सुखराज सिंह जालसाजी का दोषी है, जिसका शिकायतकर्ता द्वारा जोरदार खंडन किया जा रहा है।

आरएनआई रिकॉर्ड पर भरोसा करते हुए शिकायतकर्ता का मामला यह है कि उसका साप्ताहिक परिचालन 15050 है और जांच समिति को फॉर्म 2 की एक प्रति प्रस्तुत की गई है, जो शिकायतकर्ता के समाचारपत्र के संबंध में वार्षिक विवरणी है। इसकी प्रतियां प्रतिवादी को भी दे दी गई हैं। यह जालसाजी है या नहीं, इसका निर्णय पीसीआई नहीं कर सकती, यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मामले की परिस्थितियों में, जांच समिति की राय में श्री सुखराज सिंह को मान्यता के लिए प्रतिवादी को एक नया आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए और प्रतिवादी को विधिनुसार इस पर विचार करना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अगर उन्हें लगता है कि यह कोई जालसाजी है, तो उन्हें उन संस्थानों की मदद से उक्त कथित जाली दस्तावेजों की जांच करने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए, जो ऐसे कार्य करते हैं या ऐसे कदम उठाते हैं जो उन्हें आवश्यक लगते हैं। शिकायतकर्ता को प्रतिवादी के साथ सहयोग करना होगा और जब उसे बयान देने या कोई सामग्री जमा करने के लिए बुलाया जायेगा, जिसे प्रतिवादी अपनी जांच में चाहता है, तो वह प्रतिवादी के कार्यालय का दौरा करेगा। प्रतिवादी शिकायतकर्ता को उचित अवसर देगा। पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, प्रतिवादी एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगा और उसकी प्रति शिकायतकर्ता को भी देगा। प्रतिवादी को यह आदेश प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जांच समिति यह स्पष्ट करती है कि उसने किसी भी पक्ष के मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से और विधिनुसार की जानी चाहिए।

आवेदन के स्वतंत्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए, जांच समिति को, प्रतिवादियों को, भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य, श्री विनोद कोहली को उस समिति का सदस्य बनने का अनुरोध करने का निदेश देना उचित लगता है, जो भारतीय प्रेस परिषद द्वारा तैयार किए गए मॉडल मान्यता/विज्ञापन नियम-2014 के नियम 4(बी) को ध्यान में रखते हुए मान्यता के लिए शिकायतकर्ता के मामले पर विचार करेगा।

जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि शिकायत को उपर्युक्त शर्तों को ध्यान में रखते हुए समाप्त किया जाए।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करके कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार है और निदेश के साथ मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

स्वप्रेरणा से संज्ञान

न्यायनिर्णय

दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. एसएम/फरवरी/01/2023-बी

5. भूमि हथियाने की घटनाओं की कवरेज के लिए पत्रकार श्री शशिकांत वारिशे की कथित हत्या पर स्व-प्रेरणा से संज्ञान।

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद ने परिषद के सदस्य द्वारा इस बात पर ध्यान आकर्षित करने पर कि एक कुख्यात भू-माफिया, जिसका खुलासा पत्रकार, श्री शशिकांत वारिशे ने अपने लेखों की श्रृंखला के माध्यम से किया था, ने दिनदहाड़े महाराष्ट्र के पत्रकार की हत्या कर दी, के संबंध में स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया। यह बताया गया है कि घटना से एक दिन पहले श्री शशिकांत वारिशे ने महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक विवादास्पद तेल रिफाइनरी परियोजना पर दिनांक 06.02.2023(सोमवार) को एक विस्फोटक लेख लिखा था, जिसमें भूमि हथियाने के लिए एक भू-माफिया को चित्रित किया गया था, जिस पर कथित भू-माफिया श्री पंढरीनाथ विद्याधर अंबेरकर ने श्री शशिकांत वारिशे को अपनी एसयूवी के नीचे घसीटा(जो समाचार रिपोर्टों के अनुसार उनके द्वारा चलायी जा रही थी) और पत्रकार को घातक चोटें पहुंचाई और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। पत्रकार पर हमले और हत्या की इस घटना की यूएनआई और आईएफजे जैसे कई मीडिया संगठनों ने निंदा की है ।

इसके अलावा, श्री संजय देसाई, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई ने बताया कि प्रस्तावित रिफाइनरी में कई हितधारक हैं। जिन निवेशकों ने संबंधित भूमि में करोड़ों रुपये का निवेश किया है, वे भू-माफिया, राजनेता,

नौकरशाह, तेल कंपनियां, संबंधित ठेकेदार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार आदि हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला हितधारकों के हित से जुड़ा है, क्योंकि उनके द्वारा इसमें करोड़ों रुपये का निवेश किया गया है। उन्होंने आगे बताया है कि घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालाँकि, उन्हें संदेह है कि मामले में शामिल सरकारी अधिकारी जैसे पुलिस प्रशासन, अभियोजक, मामले में आरोपी को जमानत दिलाने में मदद कर सकते हैं।

अध्यक्ष, प्रेस परिषद ने स्व-प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए दिनांक 10.02.2023 को महाराष्ट्र सरकार से मामले के तथ्यों पर एक रिपोर्ट मांगी।

<u>पुलिस अधीक्षक, रत्नागिरी, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट</u>

श्री धनंजय कुलकर्णी, पुलिस अधीक्षक, रत्नागिरी, महाराष्ट्र (प्रतिवादी संख्या (3) ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट दिनांकित 21.02.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि मामला आईपीसी की धारा 302, महाराष्ट्र मीडियाकर्मियों और मीडिया संस्थानों (हिंसा और क्षति या संपत्ति के नुकसान की रोकथाम) अधिनियम, 2017 की धारा-4 के तहत दर्ज किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद, राजापुर पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारियों ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि श्री शशिकांत वारिशे, पत्रकार घायल हो गए थे और उन्हें राजापुर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद, उन्हें चिरायु अस्पताल, रत्नागिरी और बाद में सिटी अस्पताल, कोल्हापुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि श्री पंढरीनाथ विद्याधर अंबेरकर को उक्त अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था और उन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 16.02.2023 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था और बाद में दिनांक 28.02.2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि जांच के दौरान प्रथम दृष्टया, यह पता चला कि दिनांक 06.02.2023 को, मृतक श्री शशिकांत शंकर वारिशे ने आरोपी, श्री पंढरीनाथ विद्याधर अंबेरकर के खिलाफ आरोप लगाते हुए जमीन हड़पने के संबंध में समाचारपत्र में एक लेख प्रकाशित किया था, जिसके कारण श्री पंढरीनाथ विद्याधर अंबेरकर नाराज हो गए और जानबूझकर अपने वाहन की श्री शशिकांत वारिशे की मोटर साइकिल से टक्कर मार दी। उन्होंने आगे कहा कि एक विशेष जांच दल नियुक् त किया गया है, जिसमें कई अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक स्तर के एक अधिकारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जांच की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इस पर कार्रवाई चल रही है।

<u>जांच समिति की रिपोर्ट</u>

यह मामला 18.04.2023 को मुंबई में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। श्री धनंजय

कुलकर्णी, पुलिस अधीक्षक, रत्नागिरी, महाराष्ट्र, श्री सुजीत एस.मिश्रा, विधि अधिकारी और सुश्री वैशाली माने, उपविभागीय अधिकारी, रत्नागिरी जांच समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

प्रेस परिषद ने महाराष्ट्र के पत्रकार, श्री शशिकांत वारिशे की हत्या के संबंध में स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया है। श्री वारिशे की हत्या कुख्यात भू-माफियाओं ने दिनदहाड़े कर दी थी। ऐसा लगता है कि मृतक, श्री शशिकांत वारिशे ने अपने लेखन के माध्यम से भू-माफियाओं को बेनकाब किया था। यह वाकई बेहद गंभीर घटना है और इससे संकेत मिलता है कि ऐसे माफिया को बेनकाब करने वाले पत्रकार कितने असुरक्षित हैं। रत्नागिरी के पुलिस अधीक्षक, श्री धनंजय कुलकर्णी उपस्थित हैं। उन्होंने इस अपराध के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। ऐसा प्रतीत होता है कि थाना राजापुर में यह अपराध आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत अपराध संख्या 19/2023 और महाराष्ट्र मीडियाकर्मी एवं मीडिया संस्थान (हिंसा और क्षति या संपत्ति के नुकसान की रोकथाम) अधिनियम, 2017 की धारा-4 के तहत दर्ज है।

श्री कुलकर्णी ने जांच समिति को सूचित किया कि जांच चल रही है और जल्द ही आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। चूंकि अपराध दर्ज हो चुका है और आरोप पत्र दाखिल होने वाला है, इसलिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14(3) के तहत, जांच समिति के लिए मामले की जांच करना संभव नहीं है। जांच समिति केवल यही आशा और विश्वास करती है कि पुलिस इस हत्या को प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला माने और इस पर तुरंत कार्रवाई करे तथा यह सुनिश्चित करे कि आरोपी को सजा मिले।

जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि वह इस तथ्य को देखते हुए कि अपराध पंजीकृत/दर्ज किया गया है और आरोप पत्र दाखिल किया जाने वाला है, शिकायत बंद करे।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपराध दर्ज किया गया है और आरोप पत्र दाखिल किया जाने वाला है, शिकायत बंद करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 14/529/2019-20-पीसीआई

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
1. मेसर्स यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड (यूसीएल), पी.ओ. बिरला विकास,सतना, मध्य प्रदेश।	संपादक, प्रलाप खबर एक नज़र में, साप्ताहिक टैब्लॉयड, सतना, मध्य प्रदेश

<u>तथ्य</u>

यह शिकायत दिनांक 21.12.2019 को मेसर्स यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड (यूसीएल), सतना (म.प्र.) द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, संपादक, प्रलाप खबर एक नज़र में (साप्ताहिक), सतना (म.प्र.) के विरुद्ध कथित तौर पर यूसीएल से संबंधित गलत, भ्रामक और पक्षपातपूर्ण समाचार लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है। आक्षेपित समाचारों की तारीखें और शीर्षक इस प्रकार हैं;-

क्र.सं.	दिनांक	शीर्षक
1.	23/09/2019	यूसीएल प्रबंधन और नमिता श्रमिकों को बना रहे अपंग
2.	30/09/2019	तानाशाह का अड्डा बना यूसीएल – “कमलनाथ सरकार के निर्देशों का पालन नहीं, उपसंचालक नमिता बनीं कठपुतली”
3.	7/10/2019	यूसीएल कर रहा श्रमिकों का शोषण - कमलनाथ सरकार पर भारी पड़ रहे अधिकारी, नमिता नाम की रह गई उपसंचालक
4.	14/10/2019	घटिया केबिल का निर्माण कर रहा यूसीएल
5.	21/10/2019	यूसीएल की साख पर मैनेजमेंट लगा रहा बट्टा – केबल की होती है ओपन हार्ट सर्जरी

दिनांक 23/09/2019 के समाचार लेख में बताया गया है कि मजदूरों के शोषण का एक उदाहरण, सतना में संचालित यूसीएल कंपनी में देखा जा सकता है। यह कंपनी केबल बनाती है। आगे बताया गया है कि सरकार की ओर से कंपनियों के लिए दिशानिदेश तय किए गए हैं, लेकिन हकीकत में कंपनियां अपने गरीब कर्मचारियों के लिए इनका पालन नहीं करती हैं। परिणामस्वरूप, हर दूसरे दिन, कोई न कोई कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसे शारीरिक चोटें आती हैं। यूसीएल कंपनी में अधिकतर

श्रमिक विकलांग हो रहे हैं। तथापि, घायल श्रमिकों को, उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार मुआवजा और अन्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसे उसी संस्करण में शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। ऐसा सबसे ज्यादा सतना शहर में देखा जा रहा है। इसके अलावा, यह बताया गया है कि जब श्रीमती नमिता तिवारी, उप निदेशक, उद्योग सुरक्षा एवं स्वास्थ्य ने सतना का दौरा किया, तो उच्च अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों की परवाह नहीं की, बल्कि उन लोगों का पक्ष लिया, जो यूसीएल के प्रबंधन की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। यह बताया गया है कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्रीमती नमिता के सतना प्रवास के दौरान, उनके लिए भोजन और रहने की व्यवस्था की।

दिनांक 30/09/2019 के समाचार में, यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने घोषणा की, कि राज्य में बेरोजगारी कम करने के लिए राज्य के सभी उद्योगों को, स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार प्रदान करना आवश्यक है। लेकिन यूसीएल कंपनी प्रबंधन राज्य सरकार के फैसले को नकार कर, पूरी तरह से सरकार की अवहेलना कर रही है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि प्रबंधन अपने ही हिसाब से चल रहा है। यह बताया गया है कि यूसीएल कंपनी के कर्मियों को उच्च अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। आगे बताया गया है कि श्रीमती नमिता, उप निदेशक, उद्योग सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को आने वाले कुछ दिनों में यूसीएल कंपनी में कार्यरत और नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों द्वारा घेरा जाएगा। ये कर्मचारी, श्रीमती नमिता के मनमाने व्यवहार के खिलाफ, कार्यकर्ता मंत्री और प्रभारी मंत्री से भी शिकायत करेंगे। यह भी बताया गया है कि अगर सरकार द्वारा अपनायी जा रही अनियमितताओं की जांच कराये, तो सच्चाई सामने आ जायेगी।

दिनांक 07/10/2019 के समाचार में बताया गया कि यूसीएल कई वर्षों से अपने श्रमिकों का शोषण कर रहा है, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी उद्योगों में मध्य प्रदेश राज्य के 70% श्रमिकों को रोजगार देने का निदेश दिया था, लेकिन वास्तव में, यूसीएल में काम करने वाले 90 प्रतिशत कर्मचारी, मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं। आगे बताया गया है कि विद्वान एसजेएम, सतना के न्यायालय ने यूसीएल को दोषी पाया और 22 अप्रैल, 2019 को उस पर 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया।

दिनांक 14/10/2019 के समाचार में प्रकाशित किया गया है कि यूसीएल कंपनी निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए, घटिया केबल का निर्माण करके और राज्यों को आपूर्ति कर रही है, जिसके कारण कई उपभोक्ताओं ने अपने संबंधित ऑर्डर रद्द कर दिए हैं। यह बताया गया है कि उच्च प्रशासनिक अधिकारी, जांच के नाम पर सतना आते हैं और यूसीएल कंपनी के गेस्ट हाउस में रुकते हैं और औपचारिकता निभाकर चले जाते हैं।

दिनांक 21/10/2019 के समाचार में यह बताया गया है कि सतना में एक प्रसिद्ध यूसीएल कंपनी के उच्च अधिकारियों द्वारा केबल निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है। आगे बताया गया है कि इस कंपनी के अधिकारी ग्राहकों को धोखा दे रहे हैं। कारोबार की दृष्टि से यूसीएल कंपनी का ग्राफ नीचे आ रहा है।

आक्षेपित समाचारों में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि मेसर्स यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड, भारतीय केबल उद्योग में अग्रणी है, जिसे वर्ष 1962 में स्थापित किया गया था और यूसीएल द्वारा सतना, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में यूसीएल ने अपने ग्राहकों और बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धियों के बीच बिजली केबल के क्षेत्र में अपने त्रुटिहीन काम के लिए पर्याप्त प्रतिष्ठा अर्जित की है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि गलत, असत्यापित, भ्रामक और विकृत समाचारों के प्रकाशन से प्रतिवादी समाचारपत्र ने यूसीएल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है।

शिकायतकर्ता ने 04.12.2019 को प्रतिवादी समाचारपत्र का ध्यान आक्षेपित समाचार लेखों की ओर आकर्षित किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने भारतीय प्रेस परिषद से शिकायत पर संज्ञान लेने और प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 और उसके संबद्ध नियमों के तहत, प्रतिवादी के विरुद्ध जांच शुरू करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी संपादक को 24.02.2021 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसके बाद 13.01.2021 को एक अनुस्मारक जारी किया गया।

<u>प्रतिवादी द्वारा लिखित वक्तव्य</u>

प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 02.02.2021 को लिखित वक्तव्य के माध्यम से विवेचित किया है कि मेसर्स यूनिवर्सल केबल्स (यूसीएल) द्वारा दर्ज़ शिकायत पूरी तरह से झूठी, आधारहीन, मनगढ़ंत है और स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि वे समाचार स्वयं नहीं बनाते, बल्कि समाचार एकत्र करते हैं और उसे परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। उन्होंने बताया कि यूसीएल के संबंध में, समाचारपत्र में प्रकाशित तथ्य, पूरी तरह से सत्य, सटीक और सही हैं और उचित चैनलों के माध्यम से उनके द्वारा प्राप्त उचित रिपोर्टों पर आधारित हैं और अकाट्य तथ्यों तथा सबूतों द्वारा समर्थित हैं एवं समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा बनाई गई पत्रकारिता नीति और पत्रकारिता के आचरण के मानकों के अनुसार हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादियों को, शिकायतकर्ता से कोई व्यक्तिगत रंजिश या राजनीतिक द्वेष नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति या किसी कॉर्पोरेट संस्था को बदनाम करना नहीं है, बल्कि बिना किसी डर और पक्षपात के जनता को सच्चाई बताना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता और उसके अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर जनता से सच्चाई छिपाने का प्रयास किया। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

<u>शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज़ प्रति टिप्पणियाँ</u>

शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत को दोहराते हुए दिनांक 19.04.2021 की प्रति टिप्पणियों के माध्यम से, लिखित वक्तव्य में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्येक कथन, प्रस्तुतियों, आरोपों और

दावों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि प्रतिवादी उनके दावों को साबित करने में विफल रहे कि, वर्तमान शिकायत में दिए गए दावे कथित तौर पर झूठे हैं। उन्होंने कहा है कि यूसीएल ने अपने 13वें, 14वें, 15वें, 16वें और 17वें संस्करण में उक्त टैब्लॉइड में प्रकाशित, कथित समाचार रिपोर्टों में विरोधाभास, पूर्वाग्रह, अशुद्धि और दुर्भावना के बारे में विस्तार से बताया है, जिसे संक्षिप्तता के कारण दोहराया नहीं जा रहा है, और इसे उसके प्रत्युत्तर के भाग के रूप में पढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि विशिष्ट आरोपों पर प्रतिवादी की सामान्य और/या टाल-मटोल वाली प्रतिक्रिया, संदेह से परे साबित करती है कि शिकायत की सामग्री सत्य और सही है और प्रतिवादी ने जानबूझकर पत्रकारिता नीति के मानक के प्रत्येक प्रावधान का उल्लंघन किया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि शिकायत में प्रस्तुत प्रस्तुतियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी की आपत्तियों को अस्पष्ट, टालमटोल करने वाली और कानून के विपरीत होने के कारण, सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला दिनांक 1.3.2023 को सुनवाई के लिए जांच समिति के समक्ष आया। श्री नरेंद्र एम. शर्मा और सुश्री शुभांगी तिवारी, अधिवक्ता, शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित हुए, प्रतिवादी समाचारपत्र का प्रतिनिधित्व, श्री पुष्पेंद्र मिश्रा और सुश्री सोनी मोकोइया, अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

यह शिकायत दिनांक 21.12.2019 को मेसर्स यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड (यूसीएल), सतना (म.प्र.) द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, संपादक, प्रलाप खबर एक नजर में, साप्ताहिक टैब्लॉयड, सतना, म.प्र. के विरुद्ध, कथित तौर पर यूसीएल से संबंधित गलत, भ्रामक और पक्षपातपूर्ण समाचार लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की गई है। आक्षेपित समाचारों की तारीखें और शीर्षक इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	दिनांक	शीर्षक
1.	23/09/2019	यूसीएल प्रबंधन और नमिता श्रमिकों को बना रहे अपंग
2.	30/09/2019	तानाशाह का अड्डा बना यूसीएल – "कमलनाथ सरकार के निर्देशों का पालन नहीं, उपसंचालक नमिता बनीं कठपुतली"
3.	7/10/2019	यूसीएल कर रहा श्रमिकों का शोषण - कमलनाथ सरकार पर भारी पड़ रहे अधिकारी, नमिता नाम की रह गई उपसंचालक
4.	14/10/2019	घटिया केबिल का निर्माण कर रहा यूसीएल
5.	21/10/2019	यूसीएल की साख पर मैनेजमेंट लगा रहा बट्टा – केबल की होती है ओपन हार्ट सर्जरी

जांच समिति ने शिकायतकर्ता के अधिवक्ता, श्री नरेंद्र शर्मा और 'प्रभात खबर एक' के संपादक, श्री पुष्पेंद्र मिश्रा को सुना। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की मूल शिकायत यह है कि यूसीएल के बारे में जो कुछ भी प्रकाशित किया गया है, वह स्पष्ट रूप से गलत है और इससे यूसीएल की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान हुआ है तथा यूसीएल को वित्तीय नुकसान भी हुआ है। परामर्शदाता ने प्रस्तुत किया कि 'पत्रकारिता के आचरण के मानकों' के अनुसार, यूसीएल के पक्ष को प्रकाशित करना प्रतिवादी का दायित्व था, हालांकि, यूसीएल से कभी संपर्क नहीं किया गया। परामर्शदाता ने बताया कि प्रतिवादी समाचारपत्र के हर अंक में ऐसे ही असत्य लेख प्रकाशित करता रहता है। जब इस बारे में श्री पुष्पेंद्र मिश्रा, संपादक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भविष्य में यूसीएल के बारे में इस तरह की कोई खबर प्रकाशित नहीं की जाएगी। जांच समिति इस कथन को स्वीकार करती है। इस बीच, जांच समिति शिकायतकर्ता को आवश्यक कार्रवाई के लिए, चार सप्ताह की अवधि के भीतर पूरे मामले का अपना पक्ष, प्रतिवादी समाचारपत्र को और रिकॉर्ड के लिए पीसीआई के सचिवालय को सौंपने का निदेश देती है। श्री पुष्पेन्द्र, संपादक ने सहमति व्यक्त की है कि उक्त वर्तन को उनके समाचारपत्र द्वारा प्रमुख पृष्ठ पर प्रकाशित किया जायेगा। जांच समिति इस कथन को भी स्वीकार करती है। जांच समिति परिषद को उपर्युक्त निदेश के साथ शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायतकर्ता के वर्तन को प्रमुख स्थान पर प्रकाशित करने के निदेश के साथ मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 623-624&1637/2020-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
2-4 श्री एस. श्रीकुमार श्रीधरन, अक्करकुन्नाथु, रेवती, ममपल्लीकुन्नम, चथन्नूर, केरल	संपादक, जन्मभूमि दैनिक, त्रिवेन्द्रम।

संपादक,
मातृभूमि,
कोझिकोड।

संपादक,
केरल कौमुदी,
त्रिवेन्द्रम।

<u>तथ्य</u>

दिनांक 9.5.2020 की ये शिकायतें श्री एस. श्रीकुमार श्रीधरन, चथन्नूर, केरल द्वारा (1) "जन्मभूमि दैनिक" (2) "मातृभूमि दैनिक" और (3) केरल कौमुदी के विरुद्ध उनके अंक दिनांकित 09 मई 2020 में क्रमशः ***"Young Lady at home after having violated quarantine***", "***Action following law against five persons for violation quarantine norms whilst undergoing government institutional quarantine***" और "***Five persons jumped institutional quarantine – Traced, returned and a case registered***" (शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया अंग्रेजी अनुवाद) शीर्षकों के तहत कथित रूप से अपमानजनक और निराधार समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई हैं।

समाचारों में बताया गया कि एक युवती ने राज्य की सीमा पार करने के बाद कोविड-19 क्वारंटाइन प्रोटोकॉल के मानकों का उल्लंघन किया है। महिला चेन्नई में कार्यरत थी और उसे उसके पिता और बहन द्वारा कार से चेन्नई से वापस लाया गया था। एरियानकवुशे पहुंचने पर, अधिकारियों द्वारा कोल्लम में कार्तिका होटल में उन्हें सरकारी संस्थागत क्वारंटाइन का निदेश दिया गया और इसके साथ ही उनके पिता और बहन को होम क्वारंटाइन का निदेश दिया गया। हालांकि, युवती के पिता होटल की सुविधाओं का जिक्र करते हुए, उसे कार्तिका होटल से अपने घर ले आए। बाद में, चथन्नूर पुलिस अधिकारियों द्वारा उस युवती को एम्बुलेंस द्वारा वापस कोल्लम के क्वारंटाइन केंद्र में लाया गया और एक पुलिस मामला दर्ज किया गया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि समाचार झूठे, मानहानिकारक और अप्रमाणित तथ्य वाले हैं। उन्होंने विवेचित किया कि वह 7 मई 2020 की रात को अपनी दो बेटियों के साथ तमिलनाडु से केरल जा रहे थे। उन्हें आर्यनकावु में केरल अंतरराज्यीय सीमा पर चेक-पोस्ट द्वारा क्वारंटाइन की सलाह दी गई थी, जहां अधिकारियों ने उन्हें घर पर क्वारंटाइन करने के लिए कहा और उनकी दो बेटियों को एक संस्थागत क्वारंटाइन केंद्र में क्वारंटाइन करने की सलाह दी गई। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि 7 मई 2020 की देर रात को कोई महिला कर्मचारी/नर्स नहीं होने

के कारण, जगह असुरक्षित लगने पर, उसने राज्य क्वारंटाइन केंद्र में अपर्याप्त सुविधाओं के संबंध में, पुलिस शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने कोल्लम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि बाद में उन्हें एक और क्वारंटाइन सेंटर में रहने का सुझाव दिया गया, लेकिन वैध कारणों से, उन्होंने क्वारंटाइन में अपनी बेटियों के रहने के लिए इसे सुरक्षित नहीं समझा और उन्होंने 8 मई 2020 को राज्य स्वास्थ्य मंत्री को राज्य क्वारंटाइन केंद्रों पर अपर्याप्त प्रबंधन के बारे में एक पत्र लिखा। शिकायतकर्ता ने बताया कि उक्त कारणों से वह अपनी दोनों बेटियों को घर ले आये और उन सभी ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया। उन्होंने कहा है कि प्रतिवादी समाचारपत्रों ने कथित तौर पर झूठी खबर प्रकाशित की है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जो उनके अनुसार झूठी है, क्योंकि उन्होंने राज्य क्वारंटाइन केंद्र में अपर्याप्त प्रबंधन के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की थी और साथ-साथ हर बार राज्य को अपनी गतिविधियों की सूचना दी थी। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि प्रतिवादी समाचारपत्रों ने उसकी अनुमति के बिना उसके घर की तस्वीरें भी प्रकाशित की हैं और उसके खिलाफ अपमानजनक समाचार प्रकाशित करने से पहले उससे किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं की है।

(1) "जन्मभूमि दैनिक" और (2) "मातृभूमि दैनिक" को 02.09.2020 को और (3) केरल कौमुदी को 13.11.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

<u>प्रतिवादी मातृभूमि दैनिक का लिखित वक्तव्य</u>

मातृभूमि दैनिक के संपादक ने दिनांक 17.9.2020 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि मातृभूमि में कथित "झूठी, अपमानजनक और अप्रमाणित खबरों के प्रसारण" पर शिकायतकर्ता की आपत्ति गलत और निराधार है। शिकायतकर्ता ने अपनी पहचान के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया। रिपोर्ट में केवल जगह का नाम [जो प्रासंगिक है] दिया गया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने समाचार में कहीं भी यह नहीं कहा है कि शिकायतकर्ता या उसके साथ कोई भी "फरार" हो गया। प्रतिवादी ने क्वारंटाइन का "उल्लंघन" (मलयालम में लैंगिचू) किया गया है, शब्द का प्रयोग किया है। सामान्य शब्द, शिकायतकर्ता के "बच्चे" का इस्तेमाल किया गया है और उनके लिंग का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि शिकायतकर्ता ने चतुराई से इस बात से इनकार नहीं किया है कि पुलिस द्वारा उसके और दो अन्य लोगों के खिलाफ क्वारंटाइन के उल्लंघन के लिए एफ़आईआर दर्ज की गई थी, न ही उन्होंने समाचार रिपोर्ट में बताए गए किसी भी तथ्य की सच्चाई से इनकार किया है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि समाचार के प्रकाशन के समय, लॉकडाउन लागू था। यह सामयिक महत्व की खबर थी कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस कार्रवाई होगी। उस समाचार को प्रसारित करना लोगों को क्वारंटाइन नियमों का पालन करने की गंभीरता के बारे में जागरूक करने की प्रेस की प्रतिबद्धता का हिस्सा था। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि उन्हें नहीं

पता कि नियमों में क्वारंटाइन संस्थानों में महिला कर्मचारियों की उपस्थिति पर जोर दिया गया या नहीं। यदि ऐसा कोई नियम है, और कार्तिका क्वारंटाइन केंद्र में कोई महिला कर्मचारी नहीं थी, तो शिकायतकर्ता को संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था और उनके निदेशों का पालन करना चाहिए था। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि यदि सुदर्शन होटल को आधिकारिक तौर पर नामित नहीं किया गया था, तो उसे श्री रामभद्रन को इसके बारे में बताना चाहिए था, जो शिकायतकर्ता के अनुसार कोल्लम कलेक्टरेट में कोरोना नियंत्रण कक्ष के प्रभारी थे।

प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि मातृभूमि का समाचारपत्र प्रभाग, त्रिवेन्द्रम स्थित टेलीविजन नेटवर्क से एक अलग और भिन्न इकाई है। प्रत्येक के पास समाचार एकत्र करने के लिए अपने अपने कर्मचारी हैं, और उनके प्रकाशन पर निर्णय लेने के लिए संपादक हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि इकाइयों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है और व्यावहारिक रूप से, वे बाहरी लोगों से प्राप्त सूचना के बारे में एक-दूसरे को सूचित नहीं रख सकते हैं। हालाँकि, पूछताछ करने पर, प्रतिवादी को पता चला कि शिकायतकर्ता ने 8 मई 2020 को दोपहर 2:41 बजे, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (das@trai.gov.in) को एक ईमेल भेजा था, जिसमें ट्राई से उक्त समाचार को उस दिन दोपहर 1:30 बजे, प्रसारित करने के लिए, मातृभूमि न्यूज टीवी चैनल और एशियानेट न्यूज टीवी चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया था और उक्त ईमेल की एक प्रति मातृभूमि न्यूज टीवी चैनल और एशियानेट न्यूज टीवी चैनल को चिन्हित की गई थी। हालांकि, इस ईमेल पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह ट्राई को संबोधित था, मातृभूमि न्यूज टीवी चैनल के समाचार प्रमुख ने अब इस प्रतिवादी को सूचित किया है कि कथित समाचार का प्रसारण शिकायतकर्ता और दो अन्य के खिलाफ, क्वारंटाइन मानकों का उल्लंघन करने के लिए दर्ज एफआईआर पर आधारित था और उक्त प्रसारण में पुलिस का पक्ष भी शामिल है। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

<u>मातृभूमि के संबंध में प्रति टिप्पणियाँ</u>

शिकायतकर्ता ने दिनांक 28.10.2020 को अपनी प्रति टिप्पणियों में बताया है कि उसकी शिकायत का केंद्र यही है कि वह एक जिम्मेदार नागरिक है, जिसने समय पर और उचित रूप से पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारियों और उनके माध्यम से, केरल राज्य सरकार को उनके और उनकी बेटियों द्वारा अनुभव की गई स्थिति के बारे में बताया था और इस प्रकार उनके कार्यों और ठिकानों के बारे में सरकार को समय-समय पर सूचित किया गया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उसने उपलब्ध कराये गए अनुवाद में कभी भी "फरार" शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है और केवल 'उल्लंघन' शब्द का इस्तेमाल किया है और उसके बच्चों के लिंग का भी 'रंडू पेनमार्ककल' शब्द द्वारा आक्षेपित समाचार लेख में उल्लेख किया गया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने " क्राफ्टिली" शब्द के उपयोग पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि कथित एफआईआर के बारे में आक्षेपित समाचार लेख के माध्यम से

ही उन्हें पता चला था। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि महज एक तरफा जांच, जिसे वे "तत्परता से जांच और कार्रवाई" कहते हैं, अनुचित है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि केरल सरकार की कोविड-19 जगराथा वेबसाइट के अनुसार, आर्यनकावु चेक-पोस्ट पर उन्हें प्रवेश स्लॉट, 7 मई 2020 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक आवंटित किया गया था और वे समय पर निजी कार से 15:15 बजे पहुँच गए और उसके बाद उनकी विभिन्न प्रकार से जांच की गई।

जन्मभूमि दैनिक का लिखित वक्तव्य

जन्मभूमि के प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 28.09.2020 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि शिकायत, तोड़-मरोड़ कर दिये गए तथ्यों पर आधारित है और इसलिए यह अप्रामाणिक है और अस्वीकार किए जाने योग्य है। प्रतिवादी ने कहा कि शिकायतकर्ता के घर की फोटो प्रकाशित करने का आरोप गलत है। उनके अनुसार, उन्होंने एक एंबुलेंस की फोटो प्रकाशित की थी। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता का यह आरोप कि पुलिस ने शिकायतकर्ता और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, बल्कि शिकायतकर्ता ने ही पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की थी, यह बिल्कुल असत्य, आधारहीन और झूठ है। उन्होंने कहा है कि लागू लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए शिकायतकर्ता के खिलाफ कोल्लम पूर्व पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 1583/2020 दर्ज की गई है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि उनके समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार में पत्रकारिता आचारनीति का कड़ा पालन किया गया है और ऐसी कोई भी कार्रवाई, जिसकी शिकायतकर्ता द्वारा मांग की गई है, अनपेक्षित है। उन्होंने परिषद से इस मामले में आगे कार्यवाही बंद कर देने का अनुरोध किया है।

जन्मभूमि के संबंध में शिकायतकर्ता की प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 19.11.2020 को अपनी प्रति टिप्पणियों में विवेचित किया है कि शिकायत का केंद्र यही है कि वह एक जिम्मेदार नागरिक है, जिसने समय पर और उचित रूप से पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारियों और उनके माध्यम से, केरल राज्य सरकार को उनके और उनकी बेटियों द्वारा अनुभव की गई स्थिति के बारे में बताया था और इस प्रकार उनके कार्यों और ठिकानों के बारे में सरकार को समय-समय पर सूचित किया गया। शिकायतकर्ता ने 7 मई 2020 को कोल्लम पूर्व पुलिस स्टेशन में उसके द्वारा दर्ज की गई शिकायत की रसीद की एक फोटोकॉपी भी संलग्न की है। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि समाचार लेख की एकतरफा रिपोर्टिंग ने उसकी और उसकी बेटियों, दोनों की गोपनीयता का उल्लंघन किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित समाचार की पहली पंक्ति में, उनका पूरा पता, अर्थात् अक्करकुन्नाथु, ममपल्लीकुन्नम, चथन्नूर दिया गया है, शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि फोटो से पता चलता है कि यह उनके आवास का सामने का हिस्सा

है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज तथाकथित एफआईआर के संबंध में जवाब देने के लिए उसे आज तक कोई समन नहीं दिया गया है। उन्होंने परिषद से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने और उक्त प्रतिवादी समाचारपत्र को उन्हें और उनकी बेटियों को मुआवजा देने का निदेश देने का अनुरोध किया है।

केरल कौमुदी द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

केरल कौमुदी के प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 29.04.2021 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि मई 2020 के दौरान महामारी कोविड-19 का प्रकोप अपने चरम पर था और क्वारंटाइन दिशानिर्देशों और निदेशों के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। उन्होंने आगे कहा है कि इस संबंध में पुलिस ने उल्लंघन के मामले भी दर्ज किए हैं और आम जनता को दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने और उल्लंघन के मामले में परिणामों से अवगत कराने के लिए समाचार प्रसारित किया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि बिना अनुमति के क्वारंटाइन सेंटर छोड़ने वाले व्यक्तियों के मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में शहर पुलिस आयुक्त द्वारा समाचारपत्र के नोटिस में लाया गया था और प्राप्त जानकारी और पुलिस से प्राप्त विवरण के आधार पर समाचार प्रकाशित किया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि शिकायतकर्ता ने समाचार का केवल आंशिक वर्तन दिया है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि समाचार में केवल शिकायतकर्ता का विवरण बताया गया था और उसकी बेटियों का कोई विवरण प्रकाशित नहीं किया गया था। उन्होंने परिषद से अनुरोध किया है कि शिकायत को खारिज कर दिया जाए और फाइल को यह कहते हुए बंद कर दिया जाए कि समाचार प्रकाशित करने में दैनिक की ओर से कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

केरल कौमुदी के संबंध में शिकायतकर्ता की प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता, श्री श्रीकुमार, चथन्नूर, केरल ने दिनांक 29.06.2021 को प्रति टिप्पणियों के माध्यम से अपनी शिकायत को दोहराते हुए कहा है कि वह एक जिम्मेदार नागरिक है, जिसने समय पर और उचित रूप से पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारियों और उनके माध्यम से, केरल राज्य सरकार को उनके और उनकी बेटियों द्वारा अनुभव की गई स्थिति के बारे में बताया था और इस प्रकार उनके कार्यों और ठिकानों के बारे में सरकार को समय-समय पर सूचित किया गया। शिकायतकर्ता ने 7 मई 2020 को कोल्लम पूर्व पुलिस स्टेशन में उसके द्वारा दर्ज की गई शिकायत की रसीद की एक फोटोकॉपी भी संलग्न की है। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि समाचार लेख की एकतरफा रिपोर्टिंग ने उसकी और उसकी बेटियों, दोनों की गोपनीयता का उल्लंघन किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित समाचार की पहली पंक्ति में, उनका पूरा पता, अर्थात् अक्करकुन्नाथु, ममपल्लीकुन्नम, चथन्नूर दिया

गया है, शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि फोटो से पता चलता है कि यह उनके आवास का सामने का हिस्सा है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज तथाकथित एफआईआर के संबंध में जवाब देने के लिए उसे आज तक कोई समन नहीं दिया गया है। उन्होंने परिषद से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने और उक्त प्रतिवादी समाचारपत्र को उन्हें और उनकी बेटियों को मुआवजा देने का निदेश देने का अनुरोध किया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 2.3.2023 को नई दिल्ली में सुनवाई के लिए जांच समिति के समक्ष आया। शिकायतकर्ता ने वर्चुअल माध्यम से सुनवाई में भाग लिया, श्री बी.जी. भास्कर, अधिवक्ता और श्री अनिल प्रताप, विधि अधिकारी, प्रतिवादी समाचारपत्र मातृभूमि की ओर से उपस्थित हुए और प्रतिवादी समाचार पत्र केरल कौमुदी की ओर से श्री अलजो जोसेफ, अधिवक्ता के साथ श्री प्रसून कंदाथ, विशेष संवाददाता उपस्थित हुए। प्रतिवादी जन्मभूमि समाचार पत्र की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

इन तीनों शिकायतों को एक साथ लिया जा सकता है, क्योंकि शिकायतकर्ता एक ही है और उसकी शिकायत भी एक ही है। हालाँकि, प्रतिवादी समाचारपत्र भिन्न हैं। श्री एस. श्रीकुमार श्रीधरन की शिकायत यह है कि समाचार पत्र (i) जन्मभूमि दैनिक (ii) मातृभूमि और (iii) केरल कौमुदी, मलयालम दैनिक ने शिकायतकर्ता और उनकी बेटी द्वारा कथित क्वारंटाइन रेगुलेशन उल्लंघन के संबंध में अपने समाचार पत्रों में अपमानजनक समाचार प्रकाशित किया है। अन्य बातों के साथ-साथ उनका मामला यह है कि इन तीन शिकायतों को समाप्त किया जा सकता है, यदि इन समाचारपत्रों के संपादक शिकायतकर्ता के पक्ष को प्रकाशित करने के लिए सहमत हों।

समाचारपत्रों के परामर्शदाता ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी प्रकाशित किया है, वह बिलकुल सच है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और उस पर पहले ही जुर्माना लगाया जा चुका है, इसलिए शिकायतकर्ता के पक्ष को प्रकाशित करने का कोई सवाल ही नहीं है। दोष स्वीकार करने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा शिकायतकर्ता पर वास्तव में जुर्माना लगाया गया है। इसलिए, प्रेस परिषद के लिए यह संभव नहीं है कि वह संबंधित समाचारपत्रों को शिकायतकर्ता का पक्ष प्रकाशित करने का निदेश दे, लेकिन जब समाचार प्रकाशित हुआ, तो मामला ताजा था और कोई दोषसिद्धि नहीं थी। उस समय, श्री एस. श्रीकुमार का पक्ष प्राप्त करना और उसे प्रकाशित करना संपादकों का दायित्व था। यह अच्छी पत्रकारिता का पहला सिद्धांत है, जिसका पालन हर अच्छा पत्रकार करता है और निस्संदेह उस सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। इन परिस्थितियों में जांच समिति परिषद से शिकायतों को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय
दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 1824/2020-ए/पीसीआई

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
5. श्री सुनील सुभाषचंद्र सोनी, मेसर्स कलिका स्टील अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, न्यू एमआईडीसी, जालना, महाराष्ट्र।	संपादक, गोकुलनीति, जालना, महाराष्ट्र।

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 13.07.2020 को श्री सुनील सुभाषचंद्र सोनी, मैसर्स कलिका स्टील अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, न्यू महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमआईडीसी), जालना (महाराष्ट्र) द्वारा संपादक, गोकुनीति, जालना के विरुद्ध कथित तौर पर झूठी और अपमानजनक खबरें तथा मनगढ़ंत चित्र प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है। आक्षेपित समाचारों की तारीख और शीर्षक (हिंदी वर्तन) निम्नानुसार हैं: –

क्र.सं.	शीर्षक	दिनांक
1	शीर्षक "जालना के एमआईडीसी में कलिका स्टील कंपनी से निकलने वाली प्रदूषित गैस के कारण वातावरण में प्रदूषण पैदा हो रहा है के साथ कंपनी की फोटो। उसी की यह तस्वीर है, जो कंपनी की गैरजिम्मेदारी की ओर इंगित करती है। इसलिए, क्षेत्र में नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है।"	01.06.2020
2	जालना में कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ - औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण में जबरदस्त बढ़ोतरी	22.06.2020

क्र.सं.	शीर्षक	दिनांक
3	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सबक कौन सिखाएगा - जालना की जनता का स्वास्थ्य खतरे में	28.06.2020
4	कालिका स्टील कंपनी ने एमआईडीसी में सड़क में बाधा उत्पन्न की	01.07.2020
5	औद्योगिक क्षेत्र में जीएसटी की चोरी?	15.07.2020

आक्षेपित समाचारों में शिकायतकर्ता की कंपनी, अर्थात्, मेसर्स कलिका स्टील कंपनी के खिलाफ क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने और इस तरह वहां के जन जीवन को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता की कंपनी पर जीएसटी चोरी का भी आरोप लगा।

शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कंपनी संचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन के बाद ही इसे नवीनीकृत किया जाता है। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि संपादक को उनके पिता सहित 29.06.2019 को, उनके खिलाफ धोखाधड़ी करने के लिए गिरफ्तार किया गया था और यही एकमात्र कारण है, जिसके लिए वह इन निराधार लेखों को प्रकाशित कर रहे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी-संपादक ने अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए इस मंच का अनुचित लाभ उठाया है। संपादक द्वारा प्रकाशित किए गए समाचार आधारहीन, निराधार, मानहानिकारक हैं और प्रदूषण मानकों के उल्लंघन के किसी भी साक्ष्य के बिना हैं और केवल अतीत में उनके द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए प्रकाशित किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि संपादक ने व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए, प्रेस परिषद द्वारा बनाए गए आचरण के वृत्तिक मानकों से परे जाकर काम किया है। उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि संपादक द्वारा की गई कार्रवाई उनके अखबार के माध्यम से, पत्रकारिता के मानकों का उल्लंघन है एवं मानहानि करने का कार्य IPC, 1860 की धारा 499 के तहत अपराध है और दंड संहिता की धारा 500 के तहत एक दंडनीय है। उन्होंने भारतीय प्रेस परिषद से प्रतिवादी संपादक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उसकी परिनिंदा करने का अनुरोध किया है। उन्होंने दिनांक 29.07.2020 के नोटिस के माध्यम से, प्रतिवादी संपादक का ध्यान आकर्षित किया।

दिनांक 28.10.2020 को प्रतिवादी संपादक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

<u>लिखित वक्तव्य</u>

प्रतिवादी संपादक, गोकुलनीति ने दिनांक 14.11.2020 के अपने लिखित वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता ने उनके और उनके पिता के खिलाफ धारा 406, 420, 34-IPC

के अंतर्गत दिनांक 23.06.2019 को एफ़आईआर संख्या 2021/2019 के तहत चंदन जीरा जालना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि उन्हें माननीय सत्र न्यायालय, जालना द्वारा पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था, जबकि माननीय न्यायालय ने उन्हें 27.06.2019 के आदेश द्वारा सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया था। इसलिए, पुलिस हिरासत रिमांड का कोई सवाल ही नहीं उठता है, एफ़आईआर संख्या 202/2019 रद्द करने के लिए 02.07.2019 को औरंगाबाद में, बॉम्बे बेंच के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी की धारा 482 के तहत 2019 की आपराधिक आवेदन संख्या 2175 द्वारा चुनौती दी गई। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि यह मामला औरंगाबाद के माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है। प्रतिवादी ने कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज़ घोषणा कि कानून की किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है, पूरी तरह से गलत है।

प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 07.01.2021 के अपने अगले पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि औरंगाबाद में माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट बेंच में एक आपराधिक आवेदन संख्या 2175/2019 लंबित है, लेकिन आज तक शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 15.01.2021 की अपनी प्रति टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी और उसके पिता के खिलाफ आईपीसी संहिता 1860 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात के अपराध के लिए एफ़आईआर संख्या 202/2019 दर्ज की गई है और वह इस मुद्दे से बिलकुल अलग है, जो प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत विशुद्ध रूप से एक सिविल मुद्दा है। शिकायतकर्ता ने कहा कि वर्तमान शिकायत, प्रतिवादी के खिलाफ, समाचारपत्र का लाइसेंस रद्द करने के लिए दर्ज़ की गई है। गोकुलनीति समाचारपत्र व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण उन्हें बदनाम करने के लिए झूठे लेख प्रकाशित कर रहा है। शिकायतकर्ता ने एक बार फिर अपनी घोषणा के माध्यम से उद्घोषणा की, कि शिकायत में प्रस्तुत किसी भी मामले के संबंध में किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है और वर्तमान शिकायत से संबंधित मुद्दे किसी भी अदालत के समक्ष लंबित/न्यायाधीन नहीं हैं।

प्रतिवादी संपादक से प्राप्त अगला पत्र

प्रतिवादी संपादक ने अपने 13.08.2021 के पत्र के माध्यम से अपने पहले के जवाब को दोहराते हुए प्रस्तुत किया है कि यदि भारतीय प्रेस परिषद कारण बताओ नोटिस को रद्द नहीं करता है और शिकायत की जांच नहीं करता है, तो वह भारतीय प्रेस परिषद के खिलाफ कार्रवाई करने के निदेश देने हेतु, संबंधित न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होंगे।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला मुंबई में 17.4.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व उनके अधिकवकता श्री नीलेंदु वात्सायन ने किया, जबकि प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व संपादक, श्री अर्पण गोयल ने किया।

यह शिकायत दिनांक 13.07.2020 को श्री सुनील सुभाषचंद्र सोनी, मैसर्स कलिका स्टील अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, न्यू महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमआईडीसी), जालना (महाराष्ट्र) द्वारा संपादक, गोकुनीति, जालना के विरुद्ध कथित तौर पर झूठी और अपमानजनक खबरें तथा मनगढ़ंत चित्र प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है। आक्षेपित समाचारों की तारीख और शीर्षक (हिंदी वर्तन) निम्नानुसार हैं: –

क्र. सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	शीर्षक "जालना के एमआईडीसी में कलिका स्टील कंपनी से निकलने वाली प्रदूषित गैस के कारण वातावरण में प्रदूषण पैदा हो रहा है के साथ कंपनी की फोटो। उसी की यह तस्वीर है, जो कंपनी की गैरजिम्मेदारी की ओर इंगित करती है। इसलिए, क्षेत्र में नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है।"	01.06.2020
2.	जालना में कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ - औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण में जबरदस्त बढ़ोतरी	22.06.2020
3.	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सबक कौन सिखाएगा - जालना की जनता का स्वास्थ्य खतरे में	28.06.2020
4.	कालिका स्टील कंपनी ने एमआईडीसी में सड़क में बाधा उत्पन्न की	01.07.2020
5.	औद्योगिक क्षेत्र में जीएसटी की चोरी?	15.07.2020

शिकायतकर्ता के अनुसार, सभी आरोप झूठे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह आरोप झूठा है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनी जिम्मेदारी भूल गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और समय-समय पर उचित सत्यापन के बाद इसका नवीनीकरण किया जाता है। यह कहा गया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी करने के लिए प्रतिवादी संपादक को उनके पिता सहित, 29.6.2019 को गिरफ्तार किया गया था और यही एकमात्र कारण है, जिसके लिए वह इन निराधार लेखों को प्रकाशित कर रहे हैं। उनका कहना था कि संपादक ने पत्रकारिता के आचरण के मानकों का उल्लंघन किया है।

शिकायतकर्ता के परामर्शदाता द्वारा जांच समिति को सूचित किया गया है कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कलेक्टर, जालना और जिला मजिस्ट्रेट, जालना को लिखा है कि प्रतिवादी समाचा-रपत्र ने गलत तरीके से यह प्रकाशित किया है कि एमआईडीसी स्टील कारखानों से प्रदूषण फैलता है और इसके परिणामस्वरूप कोरोना फैल गया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्टिंग के कारण लोगों में डर है। क्षेत्र में कोरोना का प्रसार न हो और इसलिए इस तरह की खबर प्रकाशित करने वाले अखबार, गोकुलनीति और अन्य समाचारपत्रों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

अपने लिखित वक्तव्य में प्रतिवादी संपादक ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता ने उसके और उसके पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420, आर/डब्ल्यू 34 के तहत 23.06.2019 को चंदन जीरा जालना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। बाद में उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। उक्त एफ़आईआर को चुनौती दी गई है। आपराधिक आवेदन संख्या 2175/2019 बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ के समक्ष लंबित है। उस आवेदन में एफ़आईआर को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। इस प्रकार यह मामला न्यायाधीन है। इसलिए, जांच समिति इस मामले की जांच नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा है कि आक्षेपित समाचार सही हैं और तथ्यों पर आधारित हैं।

हालांकि, शिकायतकर्ता का मामला यह है कि एफ़आईआर धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात के अपराधों के लिए दर्ज़ की गई है, जबकि वर्तमान शिकायत यह आरोप लगाते हुए दर्ज़ की गई है कि प्रतिवादी ने व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण, शिकायतकर्ता को बदनाम करने के लिए झूठी खबर प्रकाशित की है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि प्रतिवादी ने झूठी और मनगढ़ंत खबरें प्रकाशित की हैं।

अपने अगले पत्र में प्रतिवादी संपादक ने अपने पूर्व उत्तर को दोहराया है।

जहां तक प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14(3) पर आधारित तर्क का संबंध है, जांच समिति को इसमें कोई आधार नहीं मिलता, क्योंकि वह शिकायत दांडिक अपराधों से संबंधित है। यह प्रतिवादी और उसके पिता द्वारा शिकायतकर्ता के कारखाने में जाकर की गई कथित धोखाधड़ी के संबंध में है। वे कार्यवाहियां लंबित हैं। वर्तमान शिकायत में शिकायतकर्ता का मामला यह है कि प्रतिवादी द्वारा झूठी खबर प्रकाशित की गई है। इसलिए प्रतिवादी का यह तर्क विफल हो जाता है।

शिकायतकर्ता का उद्योग प्रदूषण फैला रहा है या नहीं, इसकी जांच, जांच समिति द्वारा नहीं की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए, सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न प्राधिकरण हैं और वे प्राधिकरण या तो शिकायतकर्ता को अनापत्ति प्रमाण पत्र देंगे या यदि वह उद्योग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, तो इसे रद् द कर सकते हैं। ये विवादित तथ्य हैं, जिनके निर्धारण के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

इसलिए, जांच समिति उनकी जांच नहीं कर सकती है और यह तय नहीं कर सकती है कि संबंधित समाचार झूठे हैं या नहीं। हालांकि, शिकायतकर्ता ऐसे अन्य उपाय कर सकता है जैसा कि उसे सलाह दी जाए। यदि संबंधित समाचार उचित सत्यापन के बाद प्रकाशित नहीं किए गए हैं और झूठे हैं, तो शिकायतकर्ता द्वारा उचित कार्यवाही के लिए शिकायत दर्ज़ करने पर करता है और यह निर्णय लिये जाने पर है कि शिकायतकर्ता का उद्योग प्रदूषण नहीं फैला रहा है, प्रतिवादी के विरुद्ध निस्संदेह कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, इस मामले के एक परेशान करने वाले पहलू पर टिप्पणी की जानी चाहिए। 13 अगस्त, 2021 के अपने जवाबी हलफनामे में, अंत में प्रतिवादी ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

"यदि आपका कार्यालय कारण बताओ नोटिस को रद्द नहीं करता है और शिकायत की जांच नहीं करता है, तो आपके कार्यालय के खिलाफ कार्रवाई करने के निदेश के लिए संबंधित न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होंगे।

जांच समिति इस वक्तव्य पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करती है। प्रतिवादी संपादक बैठक में उपस्थित है। वह अपने वकील पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिवादी एक शिक्षित व्यक्ति है। उन्होंने उक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं और यह स्वीकार किया है कि वह अंग्रेजी जानते हैं। इस तरह की प्रति टिप्पणी हमारे समक्ष दर्ज़ नहीं की जानी चाहिए थी। भारतीय प्रेस परिषद एक सांविधिक निकाय है। यह भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 और संबंधित नियमों द्वारा निर्धारित दायरे के भीतर कार्य करती है। भारतीय प्रेस परिषद अपना कर्तव्य निभा रही है और इस तरह की धमकियों से विचलित नहीं होगी। न्यायालय का दरवाजा खटखटाना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन प्रेस परिषद जैसे सांविधिक निकाय के खिलाफ दी गई ऐसी धमकियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। जांच समिति प्रतिवादी समाचारपत्र के इस आचरण की **निंदा** करती है। इन परिस्थितियों में, जांच समिति वृत्तिक कदाचार के लिए प्रतिवादी समाचारपत्र और उसके संपादक की **परिनिंदा** करते हुए, परिषद से शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

<u>निर्णय</u>

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा वृत्तिक कदाचार के लिए प्रतिवादी समाचारपत्र की **परिनिंदा** करते हुए मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय
दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 70/2021-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
6. श्री लखन सिंह, निदेशक आईसीएआर, अटारी-पुणे, महाराष्ट्र	संपादक, राष्ट्र सह्याद्रि, दैनिक समाचारपत्र पुणे।

तथ्य

दिनांक 15.01.2021 को आईसीएआर, अटारी-पुणे के निदेशक, श्री लखन सिंह द्वारा संपादक, राष्ट्र सह्याद्रि, दैनिक समाचारपत्र, पुणे के खिलाफ 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी, 2021 के अंकों में आपत्तिजनक और गलत समाचारों की श्रृंखला प्रकाशित करने के लिए कथित रूप से शिकायत दर्ज कराई गई है। (i) Malpractices in the recruitment of Senior Research Fellow at ATARI (ii) Arbitrary management by contractual woman in ATARI: Employees held hostage by woman, Support to the woman from the Director (iii) The woman in ATARI has obtained MBA degree by showing attendance on two places at a time (iv) Ignorance of Director towards complaints against woman in ATARI: Written outrageous answers to the complaining women; Four to five women raised complaints (v) The Director's fuss: Agriculture graduates aggressive against Director's Answer (vi) Demand for action against ATARI Director (vii) Director removes photo of woman employee from the website of ATARI (Rashtra Sahyadri effect) and 15 January, 2021 under caption: False allegations by ATTARI Director against students (चूंकि समाचार स्थानीय भाषा में हैं, इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा अंग्रेजी अनुवाद प्रदान किया गया था)।

आक्षेपित समाचार में शिकायतकर्ता द्वारा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टिट्यूट (अटारी), पुणे की तिलहन (Oil Seeds) परियोजना में एक महिला को अवैध रूप से वरिष्ठ रिसर्च फेलो के रूप में नियुक्त करने के आरोप लगाए गए हैं।

शिकायतकर्ता द्वारा छात्रों को धमकी देने का आरोप भी आक्षेपित समाचार में लगाया गया है। इसमें आगे यह भी बताया गया है कि छात्र संघ शिकायतकर्ता से काफी परेशान है। छात्र संघ ने इस मामले और डॉ. लाखन सिंह के छात्र विरोधी कृत्यों के बारे में संबंधित थाने को अवगत करा दिया है।

आक्षेपित समाचार में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने उन्हें और उनके संगठन को बदनाम करने के उद्देश्य से, दुर्भावनापूर्ण समाचार प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता ने कहा है कि समाचार प्रकाशित करने से पहले प्रतिवादी द्वारा कोई पूर्व-सत्यापन नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय, डिग्री पूरी होने के दिन डिग्री प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है, डिग्री पूरी होने के दिन यह केवल अंक पत्र या पीडीसी प्रदान करता है और बाद में, दीक्षांत समारोह के समय विश्वविद्यालय डिग्री प्रमाण पत्र प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि सुश्री पल्लवी पाल्वे आईसीएआर-अटारी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में संविदा कर्मचारियों के रूप में काम कर रही थीं, इसलिए इंडियन कॉउंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चर इंस्टिट्यूट - एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टिट्यूट (आईसीएआर-अटारी) सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय समय के दौरान उनकी उपस्थिति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था और छुट्टी के समय वे क्या कर रही थीं, वह आईसीएआर-अटारी की चिंता का विषय नहीं था। नियमित और स्थायी कर्मचारियों पर लागू सेवा नियम, संविदा कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं। उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) आईसीएआर-अटारी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित विश्वविद्यालय, आईसीएआर संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के पास है। इसलिए, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) में कर्मचारियों की भर्ती संबंधित प्राधिकरण द्वारा की जाती है, जिससे केवीके संबन्धित है। आईसीएआर-अटारी की भूमिका भर्ती नियमों को प्रदान करना और प्रक्रिया तथा स्क्रीनिंग प्रक्रिया में संगठन की सहायता करना एवं साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान सदस्य /प्रेक्षक के रूप में कार्य करना है। इन तथ्यों को संपादक द्वारा लगभग किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) पर जाकर आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। शिकायतकर्ता ने 15.01.2021 को प्रतिवादी का ध्यान आक्षेपित समाचार की ओर आकर्षित किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

07.04.2021 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद 13.06.2021 को एक अनुस्मारक जारी किया गया था।

<u>प्रतिवादी संपादक द्वारा दिनांक 30.06.2021 को दर्ज लिखित वक्तव्य</u>

प्रतिवादी संपादक ने 30.06.2021 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से, आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि दैनिक राष्ट्र सह्याद्री द्वारा प्रकाशित समाचार रिपोर्ट, डॉ. लखन सिंह, निदेशक, अटारी, पुणे के खिलाफ कृषि अनुसंधान छात्र की शिकायत पर आधारित है। उन्होंने बताया कि उनका शिकायतकर्ता को परेशान करने का कोई मकसद नहीं है, उन्होंने केवल भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पत्रकारिता के आचरण के मानकों के अनुसार, हितप्रहरी के रूप में मीडिया की भूमिका को दिया है।

प्रतिवादी ने कहा है कि डॉ. लखन सिंह ने अपने संस्थान में भर्तियों के लिए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट (अटारी) कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कैंपस, शिवाजीनगर, पुणे द्वारा अपनी वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित किया था। उन्होंने बताया है कि विज्ञापन के अनुसार यह पद उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने एग्रीकल्चर मास्टर डिप्लोमा कोर्स पास किया है। उन्होंने कहा है कि पल्लवी पाल्वे को उक्त पद पर तब नियुक्त किया गया था जब उन्होंने विज्ञापन में उल्लिखित पद के लिए आवश्यक योग्यता प्रस्तुत नहीं की थी। उन्होंने कहा है कि संगठन के अधिकारियों ने केवल औपचारिकता के लिए सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की पात्रता और नियमों को पूरा करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया, जबकि कर्मचारी की नियुक्ति उनकी मनमर्जी के अनुसार की गई थी और आवश्यक विनियमों और नियमों का पालन नहीं किया गया था। उन्होंने कहा है कि समाचार रिपोर्ट वास्तविक, तथ्यात्मक और सबूतों पर आधारित थी। समाचारपत्र, समाचार प्रकाशित करने में पक्षपाती नहीं था और संगठन को नुकसान पहुंचाने का भी उसका कोई विचार नहीं था।

शिकायतकर्ता की प्रति टिप्पणी दिनांकित 08.08.2021

शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी के लिखित वक्तव्य से इनकार करते हुए दिनांक 8.8.2021 की प्रति टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि विज्ञापन के अनुसार, आवश्यक योग्यता "कृषि और संबद्ध विज्ञान के किसी भी विषय में मास्टर डिग्री" थी। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि सुश्री पल्लवी पालवे ने अभिना एजुकेशन सोसाइटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, पुणे के तहत ग्रामीण और कृषि व्यवसाय प्रबंधन में एमबीए की पढ़ाई की है। कृषि व्यवसाय प्रबंधन भी कृषि अनुसंधान सेवाओं के लिए एक अनुमोदित पात्रता योग्यता है। इसलिए, चयन/स्क्रीनिंग समिति ने पात्रता के दायरे में उनकी उम्मीदवारी पर भली-भांति विचार किया। इसके अलावा उन्होंने वॉक इन इंटरव्यू में उच्चतम अंक प्राप्त किए और सीनियर रिसर्च फेलो (एसआरएफ) के पद के लिए उनका चयन किया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि ये तथ्य गोपनीय नहीं हैं, बल्कि विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं, जिन्हें संपादक द्वारा आसानी से सत्यापित किया जा सकता था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। शिकायतकर्ता ने कहा है कि प्रतिवादी का यह कर्तव्य था कि वह समाचार प्रकाशित करने से पहले उसकी जांच करे।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला मुंबई में 17.04.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता की ओर से श्री धोंगडे बी.डी., परामर्शदाता के पेश हुए, जबकि राष्ट्र सह्याद्री, दैनिक के संपादक, श्री करण नववली स्वयं पेश हुए।

शिकायतकर्ता, श्री लखन सिंह, निदेशक, आईसीएआर, अटारी, पुणे, महाराष्ट्र ने राष्ट्र सह्याद्री, दैनिक समाचार पत्र, पुणे के संपादक के खिलाफ 7-13 जनवरी, 2021 और 15 जनवरी, 2021 के अंकों

में आपत्तिजनक और गलत समाचारों की श्रृंखला प्रकाशित करने के लिए यह शिकायत दर्ज कराई है। शीर्षक निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	Malpractices in the recruitment of Senior Research Fellow at ATARI	07.01.2021
2.	Arbitrary management by contractual woman in ATARI: Employees held hostage by woman, Support to the Woman from the Director	8.01.2021
3.	The Woman in ATARI has obtained MBA degree by showing attendance on two places at a time.	09.01.2021
4.	Ignorance of Director towards complaints against woman in ATARI: Written outrageous answers to the complaining women: Four to five women raised complaints.	10.01.2021
5.	The Director's fuss: Agriculture Graduates aggressive against Director's Answer.	11.01.2021
6.	Demand for action against ATARI Director	12.01.2021
7.	Director removes photo of woman employee from the website of ATARI (Rashtra Sahyadri effect)	13.01.2021
8.	False allegations by ATARI Director against students	15.01.2021

इन आरोपों में कई आक्षेपित तथ्य शामिल हैं। वे सच हैं या नहीं, इसका निर्णय प्रेस परिषद द्वारा नहीं किया जा सकता है। केवल न्यायालय ही इस पर निर्णय लेने के लिए, उन तथ्यों पर विचार कर सकता है। शिकायतकर्ता का कहना यह है कि उसने 15.1.2021 को प्रतिवादी का ध्यान, समाचारों की ओर आकर्षित किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने ई-मेल भी भेजे, लेकिन उनका जवाब भी नहीं दिया गया। ऐसी खबरें प्रकाशित करने से पहले, जो शिकायतकर्ता के हित में नहीं थी, प्रतिवादी को शिकायतकर्ता का पक्ष जानना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। उपस्थित प्रतिवादी, श्री करण नववाली का कहना है कि यदि शिकायतकर्ता अपना वर्तन प्रस्तुत करता है, तो उसे उसकी प्राप्ति से एक सप्ताह के भीतर प्रकाशित किया जाएगा। शिकायतकर्ता के परामर्शदाता, धोंगडे का कहना है कि दो सप्ताह के भीतर शिकायतकर्ता का वर्तन प्रतिवादी को भेज दिया जाएगा।

जांच समिति प्रतिवादी के परामर्शदाता द्वारा दिए गए वक्तव्यों को स्वीकार करती है। शिकायतकर्ता का पक्ष प्राप्त होने के बाद, प्रतिवादी इसे प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर, समाचारपत्र में किसी प्रमुख स्थान पर प्रकाशित करेगा। जांच समिति को सूचित किया गया कि शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है, जो वसई में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि मामले में आगे विधिनुसार कार्रवाई की जाएगी।

तदनुसार, जांच समिति उपर्युक्त निदेशों के साथ शिकायत को समाप्त करने की परिषद से संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा उपर्युक्त निदेशों के साथ शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 376/2022-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
7. श्री सुनील जी. गोडबोले, अंधेरी (पूर्व), मुंबई।	संपादक, लोकसत्ता, मुंबई।

तथ्य

दिनांक 04.05.2022 को श्री सुनील जी. गोडबोले, अंधेरी (पूर्व), मुंबई द्वारा संपादक, लोकसत्ता के खिलाफ दिनांक 01.05.2022 के अंक में **"Fuel Related Friction Leads to Fire"** शीर्षक के तहत श्री जोगदंड के कथित झूठे और आधारहीन दावे/पत्र को प्रकाशित करने के लिए शिकायत दर्ज की गई है। (चूँकि समाचार स्थानीय भाषा में प्रकाशित हुआ था, श्री गोडबोले ने अपनी शिकायत में उसीका अनुवाद प्रदान किया है)

अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार, समाचार में यह बताया गया था कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करों को कम करने और राहत प्रदान करने की अपील की थी। श्री ठाकरे

का मत था कि केंद्र सरकार, महाराष्ट्र के साथ वित्तीय अन्याय कर रही है, प्रधानमंत्री भाजपा और गैर-भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, गैर-भाजपा राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता पर कुठारघात कर रहे हैं। लेख में आगे दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री का यह रवैया, संघीय लोकतंत्र के खिलाफ है और भारत में वर्तमान विविधता पर सीधा हमला है। यह भी बताया गया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री मोदी ने राजकोषीय स्वतंत्रता का आनंद लिया था और अब वह इसे भूल गए हैं, जिसके कारण जीएसटी लागू किया गया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, श्री जोगदंड के पत्र में प्रधानमंत्री के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। पत्र में 26.4.2022 को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित एक बैठक का उल्लेख किया गया है। हालांकि, बैठक के बारे में शासकीय पत्र, श्री जोगदंड के दावों से बहुत अलग है। शिकायतकर्ता ने बताया कि शासकीय पत्र पढ़ने पर उन्हें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि प्रधानमंत्री ने राज्यों को उनकी वित्तीय स्वतंत्रता के संबंध में असुरक्षित महसूस कराया है। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है कि श्री जोगदंड द्वारा लिखे गए पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री के चुनावी भाषण, पीएम के रूप में उनके आधिकारिक वक्तव्यों के समान कैसे हैं। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि अपने चुनावी भाषणों में, पीएम राज्य और केंद्र दोनों में एक पार्टी के शासन की अवधारणा को, राज्य के लोगों के लिए फायदेमंद होने के कारण बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी समाचारपत्र, लोकसत्ता, यह जानते हुए भी कि तथ्य पूरी तरह से अलग हैं, प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक पत्र प्रकाशित कर रहा है। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि श्री जोगदंड का मानना है कि जीएसटी के साथ, प्रधानमंत्री ने, सीमित स्वतंत्रता, जो संविधान ने राज्यों को दी थी, को भी उनसे छीन लिया है।

प्रतिवादी संपादक, लोकसत्ता को 18.08.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

लिखित वक्तव्य

07.09.2022 के एक लिखित वक्तव्य में, लोकसत्ता के प्रतिवादी संपादक ने तर्क दिया है कि शिकायतकर्ता का मुद्दा संपादक द्वारा व्यक्त की गई राय को लेकर है, जो एक भारतीय नागरिक के रूप में संपादक का अधिकार है। हालांकि, संपादक का कहना है कि लोकसत्ता द्वारा प्रकाशित पत्र का जानबूझकर गलत अनुवाद करके, और संपादक के खिलाफ निराधार और बेतुके आरोप लगाकर, संपादक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का शिकायतकर्ता को कोई अधिकार नहीं है। संपादक ने बताया कि शिकायतकर्ता ने 04.05.2022 को लोकसत्ता के संपादक को संबोधित, तथाकथित पत्र संलग्न किया है, लेकिन शिकायत, पत्र सेवित किए जाने का प्रमाण देने में नाकाम रही। प्रतिवादी का तर्क है कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर पत्र की सामग्री की गलत व्याख्या की,

क्योंकि कहीं भी पत्र में यह विवेचित नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री से राज्यों या उनकी राजकोषीय स्वायत्तता को कोई खतरा है।

<u>शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज़ प्रति टिप्पणी</u>

09.10.2022 की अपनी प्रति टिप्पणियों में, शिकायतकर्ता ने झूठ पर आधारित प्रकाशित पत्र पर अपनी आपत्ति दोहराई, जिसके बारे में, उनका मानना है कि वह पाठकों को भ्रमित करने और प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत फैलाने के प्रतिवादी के छिपे हुए एजेंडे के अनुरूप है। उन्होंने आगे दावा किया कि प्रतिवादी, पत्रकारिता के मानकों के संबंध में उठाए गए बुनियादी सवालों का जवाब देने में विफल रहे और इसके बजाय उन्होंने ऐसे विभिन्न प्रकाशनों से समाचार संलग्न करके मामले पर से ध्यान हटाने का प्रयास किया, जो प्रधानमंत्री को बदनाम करने और झूठ का सहारा लेकर उनकी विफलता को साबित करते हैं।

<u>प्रतिवादी संपादक, लोकसत्ता द्वारा दर्ज़ प्रत्युत्तर</u>

जवाब में, लोकसत्ता के प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 29.11.2022 को एक प्रत्युत्तर दर्ज़ किया, जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत फैलाने के किसी भी छिपे हुए एजेंडे से इनकार किया गया और जोर देकर यह कहा गया कि एक पाठक का पत्र प्रकाशित करके, किसी भी पत्रकारिता नीति का उल्लंघन नहीं किया गया था।

<u>शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज़ प्रत्युत्तर</u>

हालांकि, 03.02.2023 के प्रत्युत्तर में, शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संपादक यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहे कि उनके दावे झूठे थे और यह कि पत्रकारिता के मानकों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी द्वारा 13.02.2023 के अंक में श्री उत्तम जोगदंड द्वारा लिखा एक पत्र, जिसका शीर्षक "An illogical way of tricking middle class" था, का प्रकाशन, प्रधानमंत्री जी के प्रति उनकी घृणा को व्यक्त करता है और उन्हें एक धोखेबाज और जालसाज़ के रूप में चित्रित करने का प्रयास है। शिकायतकर्ता ने कहा कि इस तरह की भाषा आहत करने वाली है और प्रधानमंत्री जी का समर्थन करने वाले उनके जैसे मध्यमवर्गीय लोगों को ठेस पहुंचा सकती है।

27.02.2023 के एक और पत्र में, शिकायतकर्ता ने श्री उत्तम जोगदंड द्वारा लिखित पत्र के प्रतिवादी के प्रकाशन पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और प्रतिवादी पर यह आरोप लगाया कि उनका यह सोचना एकदम गलत है कि जो लोग प्रधानमंत्री जी का समर्थन करते हैं, उन्हें इस तरह की सामग्री से आहत होने का कोई अधिकार नहीं है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला मुंबई में 18.04.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। शिकायतकर्ता, श्री सुनील गोडबोले, श्री गौतम भागवत के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, जबकि श्री प्रणित कुलकर्णी, सुश्री पूर्वी कमानी, सुश्री तेजस्वी घाग और श्री शिवम सिंह, प्रतिवादी समाचारपत्र, लोकसत्ता की ओर से पेश हुए।

शिकायतकर्ता, श्री गोडबोले ने संपादक, लोकसत्ता, मुंबई के खिलाफ उत्तम जोगदंड नामक व्यक्ति का पत्र प्रकाशित करने के लिए यह शिकायत दर्ज कराई है। इस पत्र में श्री जोगदंड ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री के भाषण और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री ठाकरे की टिप्पणियों का उल्लेख किया है। श्री गोडबोले का कहना है कि यह पत्र झूठा है। पत्र लिखने वाले का कहना है कि प्रधानमंत्री का व्यवहार, देश के संघीय ढांचे और विविधता पर प्रहार है, राज्यों को कमजोर कर रहा है और देश को अधिनायकवाद की ओर ले जा रहा है। पत्र लिखने वाले ने अन्य बातों के साथ-साथ विवेचित किया कि प्रधानमंत्री, भाजपा शासित राज्यों और गैर-भाजपा शासित राज्यों के बीच भेदभाव करते हैं और उन्होंने गैर-भाजपा शासित राज्यों की राजकोषीय स्वतंत्रता पर कुठारघात किया है। श्री गोडबोले के अनुसार, पत्र लेखक ने इस बात को गलत तरीके से विवेचित किया है कि संविधान द्वारा राज्यों को जो सीमित स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उसका श्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पूरा उपयोग किया था। जीएसटी संघीय लोकतंत्र का एक प्रमुख उदाहरण है। हालांकि, जब वह पीएम बने, तो ऐसा लगता है कि वह इस बात को पूरी तरह से भूल गए हैं। जीएसटी के साथ मोदी जी ने उस सीमित स्वतंत्रता को छीन लिया है, जो संविधान ने राज्यों को दी है।

श्री गोडबोले ने कहा कि इस पत्र की सामग्री, प्रधानमंत्री के वक्तव्य के शासकीय वर्तन के पूरी तरह से विपरीत है।

जांच समिति की राय में इस पत्र में प्रधानमंत्री जी की नीति के बारे में, पत्र लेखक की वह धारणा शामिल है, जो प्रधानमंत्री जी के भाषण में परिलक्षित होती है। इसे प्रकाशित करके, लोकसत्ता के संपादक ने देश के नागरिकों के दृष्टिकोण या धारणा को लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। लोगों से यह कहना संभव नहीं है कि वे हर मुद्दे पर हमेशा सरकार के पक्ष का पालन करें। हालांकि, संपादक को केवल यह सत्यापित करना चाहिए कि पत्र लेखक कोई ऐसा वक्तव्य तो नहीं दे रहा है, जो व्यक्तिगत, अपमानजनक या असंसदीय भाषा में है। एक पत्र लेखक द्वारा की गई किसी राजनीतिक नेता की आलोचना पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। जांच समिति को विचाराधीन पत्र में किसी भी तरह से ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली है, जिसे अपमानजनक या आपत्तिजनक कहा जा सकता है। इन परिस्थितियों में, जांच समिति परिषद को शिकायत खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 229/2022-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
8. श्री सुनील जी. गोडबोले, अंधेरी (पूर्व), मुंबई।	संपादक, लोकसत्ता, मुंबई।

तथ्य

यह शिकायत श्री सुनील जी. गोडबोले, अंधेरी (पूर्व), मुंबई द्वारा लोकसत्ता के संपादक के खिलाफ कथित तौर पर 10.02.2022 के उनके अंक में **"Hijab row escalates"** शीर्षक के तहत श्री बालकृष्ण शिंदे के झूठे और आधारहीन पत्र को प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की गई है।

खबर में प्रकाशित किया गया है कि इस बात पर संदेह की गुंजाइश है कि यह मात्र संयोग नहीं है कि उत्तर प्रदेश चुनाव की पृष्ठभूमि में मामले में वृद्धि हुई है और यह संदेह इसलिए पैदा होता है, क्योंकि भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। अपने चुनावी घोषणापत्र में भाजपा ने "लव जिहाद" (लव जिहाद आज तक इस देश की किसी भी अदालत में साबित नहीं हुआ है) के मुद्दे के बारे में बात की है। अगर यही नियम लागू करना है, तो मेहंदी लगाने से लेकर माथे पर तिलक लगाने, देवी-देवताओं की फोटो लगाने और स्कूल, कॉलेज में त्योहार मनाने पर भी आपत्ति जताई जा सकती है। आगे यह तर्क दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, न्यूज़ीलैंड पुलिस, जांच एजेंसियों द्वारा हिजाब पहना जाता है। भारत में यह वेलकम एरिया के फ्लाइट अटेंडेंट द्वारा पहना जाता है। संसद के अंदर पूजा का आयोजन किया जाता है, डिलीवरी के दौरान राफेल विमान पर एक नींबू रखा गया और विमान के बाहरी हिस्से पर धार्मिक प्रतीक बनाए गए। यह किस प्रकार ठीक है? चूंकि देश में एक ऐसी सरकार का शासन है, जो बहुसंख्यकों के विचारों का समर्थन करती है, इसलिए यहां ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता, जो कहे कि अन्य धर्मों के लोगों को इस सरकार के अनुसार व्यवहार करना चाहिए।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि प्रतिवादी अखबार ने इस पत्र के माध्यम से श्री शिंदे के 'निर्णय' को प्रकाशित किया, वह भी एक संवेदनशील मामले पर, जिसे कर्नाटक उच्च न्यायालय भी पूरी सावधानी से डील कर रहा था और अब उसने 10 फरवरी, 2022 को एक अंतरिम आदेश पारित किया है, वो भी तब जब पत्र पर पहले से ही सार्वजनिक रूप से विचार किया जा रहा था। शिकायतकर्ता का कहना कि पत्र लिखने वाले को वर्तमान विवाद की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी न हो, लेकिन लोकसत्ता प्रकाशक से इसकी पृष्ठभूमि की जानकारी की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी अखबार यह दावा नहीं कर सकता कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि विवाद न तो भाजपा की कर्नाटक सरकार ने शुरू किया और न ही उन्होंने उसमें वृद्धि की। लेकिन पत्र लिखने वाले का कहना है कि इस विवाद का इस्तेमाल भाजपा राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। लेकिन इस समय, इस तरह के पत्र को प्रकाशित करने वाले एवं उस गलत दावे का समर्थन करने वाला प्रतिवादी समाचारपत्र, इस विषय को एक मुद्दे में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि प्रतिवादी अखबार गलत तरीके से जहरीले दृष्टिकोण का समर्थन कर रहा है, जबकि उसे पता है कि तथ्य, लेखक के दावे से बहुत अलग हैं। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी समाचारपत्र को निश्चित रूप से यह जानकारी है कि स्कूलों के वर्दी नियम कुछ अनुभव पर आधारित हैं और माता-पिता को इन नियमों से अवगत कराया जाता है। उन्होंने कहा कि चाहे मामला कुछ भी हो, एक अत्यधिक संवेदनशील मामले के बारे में इस तरह के पत्र को प्रकाशित करना प्रेस की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। उन्होंने 12.02.2022 को प्रतिवादी संपादक का ध्यान इस ओर आकर्षित किया।

प्रतिवादी संपादक, लोकसत्ता, मराठी दैनिक, मुंबई को 27.07.2022 को कारण बताओ नोटिस सेवित किया गया।

<u>लिखित वक्तव्य</u>

प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 23.08.2022 के अपने लिखित वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता प्रकाशन के लिए चुने गए पत्रों के साथ-साथ और संपादक द्वारा व्यक्त की गई राय से भी व्यथित हैं। एक भारतीय नागरिक के रूप में यह उनका अधिकार है। प्रतिवादी का कहना है कि letters to editor column संबंधी पत्र, एक ईमेल आईडी द्वारा प्राप् त हुए, का दो स्टाफ सदस्यों ने अवलोकन कर प्रकाशन के लिए चयन किया। उन्होंने प्रस्तुत किया है माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश 11 फरवरी, 2022 को पारित किया गया था, न कि 10 फरवरी, 2022 को, जैसा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है। आदेश पारित होने से कुछ घंटे पहले, पत्र प्रकाशित नहीं किया गया था। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता अलग-अलग दृष्टिकोणों का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है। एक जीवंत संवैधानिक लोकतंत्र में, यह रवैया अस्वीकार्य है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि कई राजनीतिक विश लेषकों और टिप्पणीकारों ने

कहा है कि भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण में लिप्त है। पत्र लिखने वाले ने भी यही बात कही है। भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि यह शिकायत लोकसत्ता, मुंबई पर एक असंयमित, अन्यायपूर्ण और भीषण हमला है।

प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने 03.11.2022 की अपनी प्रति टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि वह आरएसएस जैसे किसी भी राजनीतिक दल या संगठन से नहीं जुड़े है और उनकी किसी भी व्यक्त समूह के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि वह संपादक को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि उन्होंने हाल के दिनों में अपने संपादकीय में एक राजनीतिक दल के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि वह पत्र के लेखक की सोच के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वह लोकसत्ता द्वारा प्रकाशित ऐसे पत्र के खिलाफ हैं, जो वास्तविक मुद्दे पर चर्चा न करते हुए निराधार आरोपों पर चर्चा करता है। "लव जिहाद" "चाय बिस्कुट पत्रकार" की तरह ही एक शब्द है और "लव जिहाद" के अर्थ को अदालतों द्वारा स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा है कि 95% से अधिक पत्रों में मोदी सरकार पर उन विषयों पर हमला किया गया है, जहां वास्तव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, विषय विशेषज्ञों के अनुसार केवल 5% पत्र मोदी सरकार के बारे में अच्छा कहते हैं।

प्रतिवादी द्वारा दर्ज़ जवाब याचिका

प्रतिवादी-संपादक, लोकसत्ता, मुंबई ने दिनांक 3.4.2023 के अपने उत्तर में कहा है कि उनके पास उन्हें नफरत भरे मेल और अपमानजनक पत्र भेजने का रिकॉर्ड है, लेकिन आज तक शिकायतकर्ता ने उनके और उनके अखबार के खिलाफ, इस्तेमाल की गई तुच्छ भाषा के लिए माफी नहीं मांगी है न ही उसे वापस लिया है। तदनुसार, हाल ही में शिकायतकर्ता के दुर्व्यवहार के इतिहास के बावजूद, उन्हें संपादकीय से संबंधित, (विषय वस्तु से असंबंधित) एक लंबा पत्र प्राप्त हुआ था, जो 28 मार्च, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें एक विविध दृष्टिकोण था, इसे 29 मार्च, 2023 को, समुचित कांट-छांट के बाद, उनके समाचार पत्र के अंक के पृष्ठ 6 पर प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। अपने पत्र के प्रकाशन की सराहना करने के स्थान पर, शिकायतकर्ता ने एक और लंबा पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि उनके पहले के पत्र को संपूर्ण लिया जाए। प्रतिवादी ने कहा है कि शिकायतकर्ता यह तय नहीं कर सकता है कि एक समाचार पत्र को क्या प्रकाशित करना चाहिए या क्या प्रकाशित नहीं करना चाहिए या संपादक को पत्र उसे कैसे संपादित करना चाहिए। प्रतिवादी ने कहा है कि शिकायतकर्ता ने उसे ट्रोल करने और परेशान करने के लिए माननीय पीसीआई के शिकायत तंत्र का दुरुपयोग किया है। प्रतिवादी

ने कहा है कि शिकायतकर्ता का आचरण और भाषा एकदम निंदनीय है, और माननीय भारतीय प्रेस परिषद से निंदा के योग्य है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला मुंबई में 18.4.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता, श्री गौतम भागवत के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है, प्रतिवादी समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व उनके अधिवक्ता, श्री प्रणित कुलकर्णी, सुश्री पूर्वी कमानी, सुश्री तेजस्वी घाग और श्री शिवम सिंह द्वारा किया गया।

श्री सुनील जी. गोडबोले द्वारा दिनांक 14.02.2022 को लोकसत्ता के संपादक के खिलाफ श्री बालकृष्ण शिंदे के झूठे, भ्रामक और आधारहीन पत्र को कथित रूप से प्रकाशित करने के लिए शिकायत दर्ज की गई है, जिसका शीर्षक है 'क्या यह एक संयोग है कि हिजाब चुनावी मौसम में एक मुद्दा बन रहा है'। यह लोकसत्ता के दिनांक 10.02.2022 के अंक में प्रकाशित हुआ है। इसमें कैप्शन **"Hijab Row Escalates"**.के तहत प्रकाशित समाचार का संदर्भ दिया गया है।

जांच समिति ने श्री गोडबोले के पक्ष को सुना। उन्होंने कहा कि पत्र लिखने वाले ने गलत कहा है कि हिजाब मुद्‌दे में एक धार्मिक पहलू है और इसका इस्तेमाल सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए किया गया है। जांच समिति की राय में प्रत्येक नागरिक को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है और किसी व्यक्ति के अपनी राय व्यक्त करने के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। जांच समिति को व्यक्तिगत राय की ऐसी अभिव्यक्ति में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। प्रतिवादी को पत्र प्रकाशित करने के लिए फटकार नहीं लगाई जा सकती है। इन परिस्थितियों में, जांच समिति परिषद को शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय
दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 478/2022-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
9. श्री एच.आर. नाशीरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मैसर्स जिजाऊ कमर्शियल को. ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र।	संपादक, दैनिक जन संचालन, बुलढाणा – महाराष्ट्र।

तथ्य

दिनांक 10.06.2022 की यह शिकायत श्री एच.आर. नाशीरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मैसर्स जिजाऊ कमर्शियल को. ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र द्वारा जन संचालन, बुलढाणा, महाराष्ट्र के संपादक के खिलाफ कथित तौर पर गलत, झूठी और आधारहीन समाचार सामग्री प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है। (शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किया गया अंग्रेजी अनुवाद) संबंधी विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**शीर्षक और उप-शीर्षक**	**दिनांक**
1.	Threat notice to Dainik Jansanchalan by illegally appointed CEO of Bank. Chairman also attached to post illegally	14.05.2022
2.	President Shri Kothale and all are functioning in bank illegally? Even after, completion of tenure kept possession on bank.	16.05.2022
3.	Action taken upon bank when against Kothale? Being Government Employee contesting election of Co-Operative Bank is illegal as per law	18.05.2022
4.	Even after end of tenure existing Directors are conducting management of Jajau Bank. Demand is coming for immediate dismissal of Bank, yet cold response from administration	19.05.2022
5.	No black in pulse, entire pulse is black. So many from directors are Government Employees, yet contested election?	20.05.2022

6.	When action to be taken upon guilty Chairman-Directors of Jijau Bank. Detail enquiry is necessary of Bank's illegal transactions.	22.05.2022
7.	Jijau Bank's officers distributed loan in lacs without taking mortgage. Daubing with complaint under apprehension of getting the case disclosed.	23.05.2022
8.	Jijau Commercial Bank means scams after scams. Jan Sanchalan news gets concifrmation	24.05.2022
9.	Appoint administrator on Jijau Commercial Bank immediately. Invocation of Digambar Puri to Co-operation Commissioner of State	26.05.2022
10.	Now the ball of inquiry upon Jijau Commercial Bank is in Court of administration. Whether administration will act upon complaint of Puri Now?	30.05.2023
11.	Any CEO not ticking due to scams in Bank. Five CEO changed in five years	01.06.2022
12.	Kothale's interference in personal life of employees. Given unnecessary psychological trouble to one employee to become house son-in-law	03.06.2022
13.	Maratha Seva Sangh placed stand aginst Jijau Bank administration. Will make attempt to remove corrupted Kothale and team from bank.	05.06.2022
14.	Kothale lost control upon coming corruption on front. False accusations are made upon Jan Sanchalan doing journalism honestly.	06.06.2022
15.	Now Kothale's accusations upon Maratha Seva Sangh for saving himself. Vomited venom against officers of Maratha Seva Sangh.	07.06.2022
16.	Kothale Saheb means "Chanting outside and scene inside". Bragging out and doing illegal transaction inside.	09.06.2022

यह आक्षेपित समाचारों में बताया गया था कि अमरावती के मैसर्स जिजाऊ कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक ने अवैध तरीके से कई अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ि त की है। दैनिक जन संचालन को कानूनी नोटिस भेजने वाले सीईओ पूर्ण रूप से अवैध तरीके से नियुक् त किए गए हैं।

बैंक में सीईओ से लेकर विभिन्न पदों पर नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवैध रूप से नियुक् त किया गया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निदेशकों का कार्यकाल कुछ समय पहले समाप्त हो गया था, लेकिन वे अवैध रूप से अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं। इन खबरों में वित्तीय अनियमितताओं और अवैध रूप से भारी लेन-देन के आरोप भी लगाए गए हैं।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि श्री दिगंबर भीकाजी पुरी ने उधारकर्ता के रूप में, अपने पुत्र, योगेश दिगंबर पुरी, गारंटर के साथ वर्ष 2013 में उक्त बैंक की अकोला स्थित शाखा के माध्यम से 60 लाख रुपये की ऋण सुविधा प्राप्त की थी। इस ऋण लेनदेन में उक्त उधारकर्ता और गारंटर ने अपनी अचल संपत्तियों, जिसमें शेगांव, टी क्यू शेगांव, जिला बुलढ़ाणा के कुल 11 खुले लेआउट और परिवर्तित भूखंड और मकान शामिल थे, बंधक द्वारा प्रतिभूति के रूप में बैंक को दे दिया गया था। तदनुसार, वर्ष 2013 में राजस्व प्राधिकरण के पास उपलब्ध उक्त अचल संपत्ति के राजस्व रिकॉर्ड में 60 लाख रुपये का चार्ज/बोजा दर्ज किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उक्त उधारकर्ता ने न तो अपने ऋण खाते को उचित तरीके से बनाए रखा और न ही बकाया ऋण राशि का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप उनके ऋण खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके बाद बैंक ने उक्त उधारकर्ता को प्रारंभिक मांग नोटिस जारी करते हुए उसे बकाया ऋण देयता चुकाने के लिए मौखिक अनुरोध किया, लेकिन काफी समय दिये जाने और विचार-विमर्श के बाद भी उक्त उधारकर्ता ने न तो बैंक के अनुरोध पर विचार किया और न ही ऋण राशि का भुगतान किया। नतीजतन, बैंक को वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI ACT, 2002) और नियम 2002 (अब 'प्रतिभूतिकरण अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार, बकाया ऋण राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। हालांकि, उक्त उधारकर्ता और गारंटर ने बकाया ऋण देयता का पुनर्भुगतान करने के बजाय विभिन्न प्राधिकरणों और अदालतों के समक्ष कई मुकदमों को दर्ज करके, लंबी और व्यस्त प्रक्रिया को अंजाम दिया, जिससे वसूली प्रक्रिया के बारे में शिकायतें मिलीं। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि वसूली प्रक्रिया का विवरण प्राधिकारियों, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय का रिकॉर्ड शामिल है, सहित बैंक और संबंधित अदालतों में रिकॉर्ड का विषय होने के कारण इसे, इस कार्यवाही में आवश्यकता पड़ने पर पेश किया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि वसूली प्रक्रिया पूरी होने के बाद उधारकर्ता को एहसास हुआ कि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा की गई वसूली प्रक्रिया के संबंध में अदालतों और विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है, तब, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त उधारकर्ता प्रिंट और प्रसारण चैनलों सहित मीडिया को गलत और झूठी जानकारी प्रदान करके हाय-तौबा मचा रहा है।

शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि प्रतिवादी समाचारपत्र दैनिक जन संचालन ने उधारकर्ता और गारंटर के खिलाफ बैंक द्वारा की गई वसूली प्रक्रिया के बारे में समाचार प्रकाशित करना शुरू कर

दिया। इस संबंध में बैंक ने उक्त समाचारपत्र और उसके संपादक से उचित जानकारी लेने और बैंक के खिलाफ इस तरह की झूठी और बुरी खबर प्रकाशित करने से बचने का अनुरोध किया, लेकिन प्रतिवादी समाचारपत्र ने न तो बैंक के मौखिक/ टेलीफोनिक अनुरोध पर कोई ध्यान दिया और न ही समाचार को प्रकाशित करना बंद किया। दूसरी ओर, समाचारपत्र के संपादक ने सिलसिलेवार समाचार प्रकाशित कर बैंक की प्रतिष्ठा और व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि 27.04.2022 को उन्होंने एक कानूनी नोटिस जारी किया और प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित की जा रही अनावश्यक खबरों की ओर ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उन्हें प्रतिवादी समाचारपत्र से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने परिषद से प्रतिवादी समाचारपत्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी संपादक, दैनिक जन संचालन, बुलढाणा को 20.12.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

<u>प्रतिवादी संपादक, दैनिक जन संचालन द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य</u>

प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि यह विवादित नहीं है कि श्री दिगंबर भीकाजी पुरी ने उधारकर्ता के रूप में, अपने बेटे योगेश दिगंबर पुरी, गारंटर के साथ वर्ष 2013 में अकोला शाखा के माध्यम से शिकायतकर्ता बैंक से 60 लाख रुपये की ऋण सुविधा का लाभ उठाया है। प्रतिवादी ने जानकारी न होने से इनकार किया कि 11 खुले लेआउट और परिवर्तित भूखंड और शेगांव स्थित घर को पंजीकृत बंधक द्वारा प्रतिभूति के रूप में दिया गया था। प्रतिवादी ने जानकारी न होने से इनकार किया है कि परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ता बैंक, वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (SARFAESI ACT, 2002) और नियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार, बकाया ऋण राशि की वसूली के लिए बाध्य है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि उधारकर्ता और गारंटर को को-ऑपरेटिव विभाग, राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार सहित विभिन्न विभागों को शिकायत करने का अधिकार है और शिकायतकर्ता बैंक के अवैध कार्य के खिलाफ शिकायत करने में कुछ गलत नहीं है। उन्होंने कहा है कि को-ऑपरेटिव विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय सहित अन्य अदालतों द्वारा जो भी आदेश पारित किए जाते हैं, वे रिकॉर्ड का विषय हैं। प्रतिवादी ने इस बात से इनकार किया कि शिकायतकर्ता बैंक के इन आदेशों का पालन करके प्रतिभूतिकरण अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अनुसार वसूली प्रक्रिया में आगे होने के परिणामस्वरूप सरस्वती नगर शेगांव में स्थित गारंटर की घर की संपत्ति को नीलामी बिक्री द्वारा बेचा गया। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि नीलामी खरीदार के नाम पर बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण से बचने के लिए उप-रजिस्ट्रार शेगांव के समक्ष शिकायत और आवश्यक कार्यवाही करके उधारकर्ता और गारंटर द्वारा कुछ

भी गलत नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश रिकॉर्ड का विषय है। बैंक द्वारा कुछ परिसंपत्तियों की बिक्री हानिकारक है और नीलामी बिक्री भी प्रतिभूतिकरण अधिनियम के अनुसार नहीं है। उन्होंने कहा है कि उक्त उधारकर्ता और उसके ऋण खाते के खिलाफ बैंक द्वारा की गई वसूली प्रक्रिया विधिनुसार नहीं है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा विशेष रूप से प्रारंभिक चरण में कोई अनुरोध किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि इस तथ्य को विशेष रूप से नकारा जाना चाहिए कि प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित समाचार झूठे और हानिकारक जानकारी पर आधारित थे और इसमें वसूली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए निदेशकों, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, बैंक प्रबंधन सहित के साथ-साथ राजस्व अधिकारियों और पुलिस तंत्र के खिलाफ भी विभिन्न आश्चर्यजनक अवैध और आधारहीन आरोप लगाए गए। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि दिनांक 27.4.2022 का कानूनी नोटिस विवादित नहीं है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि यह विवादित नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार, शिकायतकर्ता बैंक अपने एनपीए को कम करने और सार्वजनिक निधि की रक्षा करने के लिए बाध्य है। बैंक का यह भी कर्तव्य है कि वह ऋण करार करते समय सहमत राशि से अधिक राशि की वसूली न करे और देय ऋण की वसूली के विभिन्न तरीकों को अपनाकर अपने उधारकर्ता सदस्यों को धमकी न दे। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके समाचारपत्र द्वारा कोई गलत, फर्जी, अवैध और आधारहीन समाचार प्रकाशित नहीं किया गया है।

<u>शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज प्रति टिप्पणी</u>

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिजाऊ कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती ने दिनांक 25.01.2023 की अपनी प्रति टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि जहां तक शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दर्ज शिकायत की विषय-वस्तु का प्रश्न है, प्रतिवादी द्वारा दर्ज उत्तर काफी अप्रासंगिक और भ्रामक है।

<u>जांच समिति की रिपोर्ट</u>

यह मामला मुंबई में 18.4.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता अपने अधिवक्ता, श्री गजेंद्र रामदास सदर के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे, श्री जितेंद्र कायस्थ, मुख्य संपादक और श्री सुधीर देशमुख, उप-संपादक, प्रतिवादी समाचारपत्र की ओर से पेश हुए।

दिनांक 10.06.2022 की शिकायत श्री एच.आर. नाशीरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेसर्स जिजाऊ कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र द्वारा जन संचालन, बुलढाणा,

महाराष्ट्र के संपादक के खिलाफ कथित तौर पर झूठी और आधारहीन समाचार सामग्री प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	शीर्षक और उप-शीर्षक	दिनांक
1.	Threat notice to Dainik Jansanchalan by illegally appointed CEO of Bank. Chairman also attached to post illegally	14.5.2022
2.	President Shri Kothale and all are functioning in bank illegally? Even after, completion of tenure kept possession on bank.	16.05.2022
3.	Action taken upon bank when against Kothale? Being Government Employee contesting election of Co-Operative Bank is illegal as per law	18.05.2022
4.	Even after end of tenure existing Directors are conducting management of Jajau Bank. Demand is coming for immediate dismissal of Bank, yet cold response from administration	19.05.2022
5.	No black in pulse, entire pulse is black. So many from directors are Government Employees, yet contested election?	20.05.2022
6.	When action to be taken upon guilty Chairman-Directors of Jijau Bank. Detail enquiry is necessary of Bank's illegal transactions.	22.06.2022
7.	Jijau Bank's officers distributed loan in lacs without taking mortgage. Daubing with complaint under apprehension of getting the case disclosed.	23.05.2022
8.	Jijau Commercial Bank means scams after scams. Jan Sanchalan news gets conformation	24.05.2022

क्र.सं.	शीर्षक और उप-शीर्षक	दिनांक
9.	Appoint administrator on Jijau Commercial Bank immediately. Invocation of Digambar Puri to Co-operation Commissioner of State	26.05.2022
10.	Now the ball of inquiry upon Jijau Commercial Bank is in Court of administration. Whether administration will act upon complaint of Puri Now?	30.05.2022
11.	Any CEO not ticking due to scams in Bank. Five CEO changed in five years	01.06.2022
12.	Kothale's interference in personal life of employees. Given unnecessary psychological trouble to one employee to become house son-in-law	03.06.2022
13.	Maratha Seva Sangh placed stand against Jijau Bank administration. Will make attempt to remove corrupted Kothale and team from bank.	05.06.2022
14.	Kothale lost control upon coming corruption on front. False accusations are made upon Jan Sanchalan doing journalism honestly.	06.062022
15.	Now Kothale's accusations upon Maratha Seva Sangh for saving himself. Vomited venom against officers of Maratha Seva Sangh.	07.06.2022
16.	Kothale Saheb means "Chanting outside and scene inside". Bragging out and doing illegal transaction inside.	09.06.2022

शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व श्री गजेंद्र रामदास सदर द्वारा किया जा रहा है। श्री जितेंद्र कायस्थ, मुख्य संपादक और श्री सुधीर देशमुख, उप संपादक प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्री दिगंबर पुरी शिकायत में पक्षकार नहीं हैं। वह बैंक के उधारकर्ता हैं। वह बैठक में उपस्थित हैं।

प्रतिवादी संपादक ने लिखित वक्तव्य दर्ज किया है। लिखित वक्तव्य में प्रतिवादी संपादक ने कहा है अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत किया कि उधारकर्ता और गारंटर को सहकारिता विभाग, राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार सहित विभिन्न विभागों को शिकायत करने का अधिकार है और शिकायतकर्ता बैंक के अवैध कार्यों के खिलाफ शिकायत करने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि सहकारी विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों द्वारा पारित आदेश रिकॉर्ड का विषय हैं। प्रतिवादी ने इस बात से इनकार किया कि शिकायतकर्ता बैंक ने इन आदेशों का पालन करके प्रतिभूतिकरण अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अनुसार वसूली प्रक्रिया में आगे की कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप सरस्वती नगर शेगांव में स्थित गारंटर की घर की संपत्ति को नीलामी बिक्री द्वारा बेचा गया। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि नीलामी खरीदार के नाम पर बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण से बचने के लिए उप-रजिस्ट्रार शेगांव के समक्ष शिकायत और आवश्यक कार्यवाही दर्ज करके उधारकर्ता और गारंटर द्वारा कुछ भी गलत नहीं किया गया है। बैंक द्वारा कुछ परिसंपत्तियों की बिक्री हानिकारक है और नीलामी बिक्री भी प्रतिभूतिकरण अधिनियम के अनुसार नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उक्त उधारकर्ता के खिलाफ बैंक द्वारा की गई वसूली की प्रक्रिया विधिनुसार नहीं है। प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया है कि यह विवादित नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतकर्ता बैंक अपने एनपीए को कम करने और सार्वजनिक निधि की रक्षा करने के लिए बाध्य है। बैंक का यह भी कर्तव्य है कि वह ऋण करार करते समय सहमत राशि से अधिक राशि की वसूली न करे और ऋण राशि की वसूली के विभिन्न तरीकों को अपनाकर अपने उधारकर्ता को न धमकाए। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके समाचारपत्र द्वारा कोई गलत, फर्जी, अवैध और आधारहीन समाचार प्रकाशित नहीं किया गया है। प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है।

जांच समिति ने अपीलकर्ता के परामर्शदाता, श्री गजेंद्र रामदास सदर और उप-संपादक, श्री सुधीर देशमुख को सुना और प्रतिवादी की शिकायत और प्रतिक्रिया का अवलोकन करने के बाद जांच समिति ने पाया कि इस मामले में तथ्यों के कई विवादित प्रश्न शामिल हैं, जिन पर उसके द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा, कुछ कार्यवाही डीआरटी और को-ऑपरेटिव न्यायालय के समक्ष लंबित बताई गई हैं। जांच समिति ने प्रतिवादी संपादक से पूछा कि क्या वह शिकायतकर्ता का पक्ष प्रकाशित करेंगे। इस पर प्रतिवादी ने कहा कि उसने उचित सत्यापन के बाद खबर प्रकाशित की है और खबर सही है। वह शिकायतकर्ता का वर्तन प्रकाशित नहीं करना चाहेंगे। यह दृष्टिकोण पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2022 के मानक 41 के विपरीत है, जो 'उत्तर का अधिकार' से संबंधित है। यह उच्च पत्रकारिता के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। आदर्श स्थिति यह है कि प्रतिवादी को शिकायतकर्ता के वर्तन को प्रकाशित करने के लिए सहमत होना चाहिए था।

चूंकि इस शिकायत की विषय वस्तु के संबंध में कार्यवाही डीआरटी और सहकारी न्यायालय में लंबित बताई गई है, इसलिए आरोपों की सच्चाई या अन्यथा, निस्संदेह वहां तय किया जाएगा। शिकायतकर्ता ऐसे अन्य कानूनी उपाय भी कर सकता है, जो उसे अपनी शिकायत का निवारण करने की सलाह दी जाए। इसके अतिरिक्त, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14(3) को ध्यान में रखते हुए न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने के मद्देनजर, प्रेस परिषद के लिए इस मामले की जांच करना संभव नहीं है।

इन परिस्थितियों में, जांच समिति उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, परिषद से शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है। इस निदेश के साथ कि प्रतिवादी समाचारपत्र, पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2022 के मानक 41, अर्थात्, "उत्तर का अधिकार" के अनुसरण में शिकायतकर्ता के वर्तन को प्रकाशित करेंगे। तदनुसार, जांच समिति प्रतिवादी समाचारपत्र "दैनिक जन संचालन" को शिकायतकर्ता के वर्तन को प्रमुख स्थान पर प्रकाशित करने और परिषद में इसकी एक प्रति प्रस्तुत करने का निदेश देती है। उक्त निदेश के साथ, परिषद ने मामले को समाप्त करने का निर्णय लिया।

****

प्रेस और मानहानि

न्यायनिर्णय

दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 2129/2020-ए

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
10. श्री अरुण सिद्धु, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, लुधियाना, पंजाब।	संपादक, दैनिक जागरण, लुधियाना, पंजाब।

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 11.12.2020 को श्री अरुण सिद्धु, लुधियाना, पंजाब द्वारा संपादक, दैनिक जागरण, लुधियाना के विरुद्ध उनके अंक दिनांकित 18.4.2020 में "मामूली विवाद को लेकर

दो पक्षों में चले ईट-पत्थर" शीर्षक के तहत कथित झूठी और अपमानजनक खबर प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

आक्षेपित समाचार में दो पक्षों के बीच हुए विवाद का उल्लेख है। आजाद नगर निवासी, श्री रमेश कुमार ने बताया कि श्री अरुण ने उनके मोहल्ले में एक राजनीतिक दल संबंधी कार्यालय बनाया है और वे फाइनेंस का काम भी करते हैं। वह उनकी पत्नी से छेड़छाड़ भी करता था। कई बार समझाने के बाद भी, वह अपनी हरकत से बाज नहीं आया। इसलिए उनके मोहल्ले के कुछ लोग उसके ऑफिस गए और तब उसने उनसे माफी मांगी। उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद 20 लोग उनके घर आये और ईंट-पत्थर फेंके, जिससे उनकी पत्नी और बच्चा घायल हो गये। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल को दी। पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

आक्षेपित समाचार में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने बताया कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और समाज में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। वह भगवान वाल्मिकी जी के नाम पर एक पुस्तकालय चला रहे हैं और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी प्रदान करते हैं। उनके अनुसार, श्री रमेश कुमार विभिन्न अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं और उनके कार्यालय के सामने जुआ खेलने की गतिविधियो को अंजाम देते हैं। जब उन्होंने विरोध किया तो श्री रमेश कुमार ने अपने साथियों के साथ उन पर हमला कर दिया। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि समाचारपत्र ने श्री रमेश कुमार के कहने पर, उनका (शिकायतकर्ता का)पक्ष लिए बिना, झूठी खबर प्रकाशित की। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि आक्षेपित समाचार और एफआईआर में दर्ज बयान अलग-अलग हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि आक्षेपित समाचार प्रकाशित होने से, उसकी छवि खराब हुई है, जिससे उसका व्यवसाय प्रभावित हुआ है।

संपादक, दैनिक जागरण, लुधियाना को दिनांक 15.2.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसके बाद दिनांक 12.4.2021 को एक समयबद्ध अनुस्मारक जारी किया गया।

लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी-संपादक, दैनिक जागरण ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांकित 14.10.2022 के माध्यम से आरोपों से इनकार करते हुए प्रस्तुत किया कि यह शिकायत गलतफहमी के कारण दर्ज की गई है और इसकी सामग्री निराधार और गलत है। प्रतिवादी ने आगे बताया कि चूंकि विचाराधीन समाचार में एक घटना के संबंध में सही तथ्य बताए गए हैं, जिसमें सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड19- निर्देशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है। संबंधित पुलिस अधिकारियों

से उचित सत्यापन के बाद इसे सद्भावना में प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने बताया कि समाचार की सामग्री न तो अतिरंजित है और न ही इसमें कोई जोड़/परिवर्तन किया गया है। प्रासंगिक रूप से, शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में या संपादक को जारी किए गए कथित नोटिस में घटना के तथ्य से इनकार नहीं किया है, इसलिए उसके द्वारा दर्ज की गई शिकायत कष्टप्रद और निराधार होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि विषयगत समाचार में रिपोर्ट की गई घटना की एफआईआर दिनांक 21.4.2020 को पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन, लुधियाना में भी दर्ज की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता के विरुद्ध दर्ज शिकायत के आरोपों को दोहराया गया और इसलिए शिकायतकर्ता यह दावा नहीं कर सकता है कि प्रश्नगत आक्षेपित समाचार गलत था। प्रतिवादी ने आगे बताया कि एफआईआर में "तंज कसा" आदि का उल्लेख है। हालाँकि शिकायत में "टच किया" शब्द का उल्लेख है, लेकिन प्रकाशित आक्षेपित समाचार में उल्लिखित तथ्य सत्य हैं। प्रतिवादी ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उनके रिपोर्टर ने घटना की सत्यता की जांच करने के लिए शिकायतकर्ता से संपर्क करने की पूरी कोशिश की, हालांकि, शिकायतकर्ता की ओर से कोई वर्तन नहीं दिया गया और समाचार रिपोर्ट में भी उक्त तथ्य का उल्लेख किया गया था। उन्होंने बताया कि शिकायत खारिज किये जाने योग्य है।

<u>प्रति टिप्पणियाँ</u>

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 25.10.2022 के माध्यम से यह सूचित करते हुए कि उसे दिनांक 22.10.2022 को प्रतिवादी समाचारपत्र, दैनिक जागरण का लिखित वक्तव्य प्राप्त हुआ, विवेचित किया कि प्रतिवादी का उत्तर झूठा है। शिकायतकर्ता ने कहा कि आक्षेपित समाचार के प्रकाशन के कारण पुलिस को झूठी एफ़आईआर दर्ज करनी पड़ी। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उसने झूठी एफआईआर को लेकर जांच की, तो खबर झूठी पाई गई और उस पर आरोपित, आईपीसी की धारा 452 को हटा दिया गया और उसके बेटे तथा एफआईआर में नामित अन्य आठ लोगों को भी एफ़आईआर में से हटा दिया गया। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा, उनके विपक्षी दल से पैसे लेकर आक्षेपित समाचार प्रकाशित किया गया था। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि जब उसने दैनिक जागरण से संपर्क किया, तो उन्होंने 2,000/- रुपये की मांग की और इनकार करने पर प्रतिवादी ने उसके विरुद्ध खबर प्रकाशित की।

<u>जांच समिति की रिपोर्ट</u>

यह मामला दिनांक 1.3.2023 को नई दिल्ली में सुनवाई के लिए जांच समिति के समक्ष आया। शिकायतकर्ता श्री अजय कुमार के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे तथा प्रतिवादी समाचारपत्र का

प्रतिनिधित्व, श्री कपिल यादव, विधिक अधिकारी सहित अधिवक्ता, सुश्री पूनम अत्रे एवं श्री बी.के. मिश्रा कर रहे थे।

यह शिकायत दिनांक 11.12.2020 को श्री अरुण सिद्धु, लुधियाना, पंजाब द्वारा संपादक, दैनिक जागरण, लुधियाना के विरुद्ध उनके अंक दिनांकित 18.4.2020 में "मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में चले ईंट-पत्थर" शीर्षक के तहत कथित झूठी और अपमानजनक खबर प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

श्री अरुण सिद्धु का मामला यह है कि आपत्तिजनक समाचार श्री राजेश कुमार के कहने पर प्रकाशित किया गया था जो उनके कार्यालय के सामने, विभिन्न अवैध गतिविधियों और जुए में लिप्त रहते थे। जांच समिति ने श्रीमान अरुण सिद्दू की बात सुनी, जिनका कहना था कि दैनिक जागरण को घटना पर उनका वर्तन प्रकाशित करना चाहिए था। दैनिक जागरण द्वारा लिखित वक्तव्य दर्ज किया गया है और उन्होंने बताया कि लेख, दैनिक जागरण को प्राप्त जानकारी और उचित सत्यापन के बाद, सद्भावना में प्रकाशित किया गया है। यह बताया गया है कि उन्होंने श्री अरुण सिद्धु को उनके वर्तन के लिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा कोई वर्तन नहीं दिया गया। जांच समिति का मानना है कि यह श्री रमेश कुमार और श्री अरुण सिद्धु के बीच का व्यक्तिगत विवाद है। जहां तक दैनिक जागरण का सवाल है, उसे श्री अरुण सिद्धू का वर्तन प्रकाशित करना चाहिए था, लेकिन दैनिक जागरण का मामला यह है कि श्री अरुण सिद्धू ने अपना वर्तन नहीं दिया। जांच समिति इस विवाद में नहीं पड़ना चाहती। यदि दैनिक जागरण श्री अरुण सिद्धु का वर्तन प्रकाशित करता है, तो यह न्याय हित में होगा। श्री अरुण सिद्दू ने मामले का हस्तलिखित वर्तन दिया है, जिस पर दैनिक जागरण के परामर्शदाता ने पढ़ा है। श्री कपिल यादव, विधिक अधिकारी, अधिवक्ता सुश्री पूनम अत्रे एवं श्री बी.के.मिश्रा के साथ उनका वर्तन प्रकाशित करने के लिए सहमत हैं। हालाँकि, उन्होंने विवेचित किया कि जहाँ तक स्टेटमेंट, कि श्री रमेश कुमार जुआ खेलते हैं, का संबंध है, उन्होंने इस तथ्य को सत्यापित नहीं किया है और इसलिए वे इसे प्रकाशित करने में संकोच कर रहे हैं। इस संबंध में जांच समिति ने गौर किया है कि यह स्टेटमेंट कि श्री रमेश कुमार जुआ खेलते हैं, दैनिक जागरण द्वारा नहीं कहा गया है। यह महज श्री अरुण सिद्धु का वर्तन है और इस वक्तव्य के लिए दैनिक जागरण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जांच समिति की यह टिप्पणी जाहिर तौर पर, दैनिक जागरण को श्री रमेश कुमार द्वारा उठाई जा रही किसी भी आपत्ति से बचाएगी। इसलिए जांच समिति दैनिक जागरण को एक सप्ताह के भीतर, श्री अरुण सिद्धू का वर्तन प्रकाशित करने का निदेश देती है। श्री अरुण सिद्धु के वर्तन की प्रति को रिकॉर्ड पर लिया गया है और 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया है। श्री अरुण सिद्धु ने अपने

आरटीआई नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया है। यह पंजाबी भाषा में है और इसमें बताया गया है कि श्री रमेश कुमार, सुपुत्र श्री ओमप्रकाश के विरुद्ध मामला लंबित है। उस दस्तावेज़ को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और 'बी' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

अतः जांच समिति उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, परिषद से शिकायत को बंद करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और उपर्युक्त निदेश के साथ मामले को बंद करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 1935/2020 **-ए- &** 104/2020**-ए- पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
11-12. श्री जगदीशचंद्र आर. पटेल,	संपादक,
अध्यक्ष,	दक्षिण गुजरात वर्तमान,
श्रीजी केलवानी मंडल,	साप्ताहिक समाचारपत्र,
वेसु, सूरत, गुजरात।	वलसाड, गुजरात

तथ्य

शिकायतें, दिनांकित 20.02.2020 और 07.04.2020, श्री जगदीशचंद्र आर. पटेल, अध्यक्ष, श्रीजी केलवानी मंडल, वेसु, सूरत (गुजरात) द्वारा संपादक, दक्षिण गुजरात वर्तमान, साप्ताहिक समाचारपत्र, वलसाड (गुजरात) के विरुद्ध कथित तौर पर दर्ज की गई हैं। इसके दिनांक 06.02.2020 और 27.02.2020 के अंकों में "***Rupees 20 lakh scam in the name of training of competitive exam to unemployed tribal by Navsari Project Administrator***" and "***Training institute of Schedule Tribe named Shreeji Kelavani Mandal is in scrutiny by Charity Commissioner office. Chartered Accountant appointed for special scrutiny for grants by the government from 2011 to 2017 for all audits for***

Shreeji Kelavani Mandal” (अंग्रेज़ी वर्तन), शीर्षक के अंतर्गत अपमानजनक लेख प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार, दिनांक 06.02.2020 के कथित आक्षेपित समाचार में बताया गया है कि श्रीजी केलवानी मंडल, बेरोजगार आदिवासियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण देने के नाम पर एक बड़ा घोटाला चला रहा है। इसके अलावा, समाचार में कहा गया है कि श्रीजी केलवानी मंडल को एक दागी संगठन होने के बाद भी यूपीएससी, गेट, एनआईआईटी और जीपीसी आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नवसारी के परियोजना प्रशासक द्वारा प्रशिक्षण देने का कार्य आदेश दिया गया है। जबकि संगठन में प्रशिक्षित संकायों की कमी है और वर्तमान शिक्षक अशिक्षित हैं। श्रीजी केलवानी मंडल को कार्य आदेश दे दिया गया है और परियोजना के लिए 20 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। चूंकि परियोजना अधिकारी के पास बिना टेंडर के 5 लाख रुपये और उससे कम के कार्य आदेश आवंटित करने की शक्ति है, इसलिए उन्होंने नवसारी जिले के अंतर्गत तीन तालुकाओं के 800 उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए 5 लाख रुपये के तहत काम को विभाजित किया है।

दिनांक 27.02.2020 के आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि नवसारी के परियोजना प्रशासक द्वारा अनुसूचित जनजाति जिलों को प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए, बिना निविदा के, अनुदान दिए जाने से संबंधित एक लेख प्रकाशित होने के बाद, गांधीनगर आदिवासी आयुक्त कार्यालय में हंगामा मच गया। परियोजना प्रशासक के दबाव के बाद, श्रीजी केलवानी मंडल ने प्रकाशकों, जिन्होंने इस घोटाले को प्रकाशित किया को मानहानि नोटिस जारी किया और उन्होंने भारतीय प्रेस परिषद में भी शिकायत की और यह दावा किया कि “वे चोर नहीं हैं”। आगे बताया गया है कि श्रीजी केलवानी मंडल ट्रस्ट ने अनुसूचित जनजातियों को मुफ्त प्रशिक्षण देने के लिए सरकार के साथ एक अनुबंध किया और गुजरात सरकार से अनुदान भी प्राप्त किया। यह भी बताया गया है कि शारीरिक शोषण की घटनाएं सामने आईं और ट्रस्टी, श्री जगदीश पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। आगे यह बताया गया है कि चैरिटी कमिश्नर कोर्ट में, सामाजिक कार्यकर्ता बनाम श्री केलवानी मंडल के मामले में, ट्रस्ट ने विशेष ऑडिट कराने का विरोध किया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने उसके विरुद्ध मानहानिकारक लेख प्रकाशित किए हैं। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि उसने दिनांक 6.2.2020 को प्रतिवादी समाचारपत्र का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने परिषद से प्रतिवादी समाचारपत्र का पंजीकरण और लाइसेंस रद्द करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी संपादक को दिनांक 16.03.2020 और 17.11.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

लिखित वक्तव्य

दिनांक 06.02.2020 को प्रकाशित आक्षेपित समाचार के संबंध में, प्रतिवादी संपादक, दक्षिण गुजरात वर्तमान ने दिनांक 12.05.2020 को लिखित वक्तव्य के माध्यम से, आरोपों से इनकार करते हुए प्रस्तुत किया है कि प्रश्नगत समाचार यूपीएससी, गेट, एनआईआईटी, जीपीसी आदि जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को शिक्षित करने के लिए सरकारी धन जारी करने से संबंधित है और इसका कार्य आदेश, श्रीजी केलवानी मंडल को दिया गया था, लेकिन श्रीजी केलवानी मंडल कथित तौर पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए महत्वाकांक्षी उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए, कोई उचित प्रशिक्षित शिक्षक/संकाय नियुक्त नहीं किए गए थे, जैसा कि समाचार में बताया गया था। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि समाचार, जांचे गए तथ्यों और रिपोर्ट किए गए तथ्यों पर आधारित है और जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गईं प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 05.03.2021 को अपनी प्रति टिप्पणियों में कहा है कि प्रतिवादी कुछ गुंडों के साथ मिला हुआ है और बिना किसी ठोस सबूत के, उन्हें बदनाम करने की साजिश में शामिल है। संयुक्त निदेशक, एफआरए सेल, आदिवासी विकास आयुक्त और परियोजना प्रशासक कार्यालय, दाहोद द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट दिनांकित 24.11.2020 की एक प्रति प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने प्रथम दृष्ट्या, कहीं भी उनके संगठन द्वारा पूरे किए गए किसी भी कार्य में कोई अनियमितता नहीं पाई है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि सरकारी अधिकारियों ने पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे दी है, हालांकि समाचारपत्र उनकी शिकायत का सही उत्तर दर्ज करने में विफल रहा।

लिखित वक्तव्य

दिनांक 27.02.2020 को प्रकाशित आक्षेपित समाचार के संबंध में, प्रतिवादी संपादक, दक्षिण गुजरात वर्तमान ने दिनांक 02.04.2020 को लिखित वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि दिनांक 13.11.2019 को श्रीजी केलवानी मंडल को नवसारी जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए गुजरात राज्य सरकार द्वारा कार्य आदेश दिया गया था। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि इस तरह के प्रशिक्षण के लिए न्यूक्लियस बजट के तहत धन के आवंटन

के संबंध में, जिला कलेक्टर और अनुसूचित जनजाति नवसारी के आयुक्त को शिकायत प्राप्त हुई। उसके बाद, उनके अधिकारियों ने इस कार्य आदेश और श्रीजी केलवनी मंडल की छानबीन की। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि उक्त संस्थान के सभी सदस्यों के पास शिक्षण में कोई वास्तविक या अल्प अनुभव भी नहीं है, छात्रों की कोचिंग में कौशल और निपुणता तो दूर की बात है। प्रतिवादी ने आगे बताया कि एक विशेष ऑडिट रिपोर्ट में कई अनियमितताएं दिखाई पड़ती हैं और चैरिटी आयुक्त द्वारा ट्रस्ट को 9.7 करोड़ रुपये का वसूली नोटिस जारी किया गया।

<u>शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज प्रति टिप्पणी</u>

शिकायतकर्ता ने दिनांक 05.03.2021 की प्रति टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया कि उन्होंने यह विवेचित किया है कि विभिन्न सरकारी अधिकारियों ने उनकी गतिविधियों की जांच की और अब तक उन्हें कहीं भी दोषी नहीं पाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि उनका मानना है कि प्रतिवादी संपादक ने गुंडों से पैसे लिए हैं और वे ट्रस्ट को बदनाम करने की साजिश में शामिल हैं।

<u>जांच समिति की रिपोर्ट</u>

यह मामला दिनांक 1.3.2023 को नई दिल्ली में सुनवाई के लिए जांच समिति के समक्ष आया। शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, प्रतिवादी समाचारपत्र का प्रतिनिधित्व, उनके संपादक, श्री पी.ए. शाह और उनके अधिवक्ता, श्री आदित्य ने किया।

इन दोनों शिकायतों (फाइल सं. 104 / 2020– ए/पीसीआई और फाइल सं. 1935 / 2020-ए पीसीआई) का निपटारा कॉमन ऑर्डर द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि पक्ष समान हैं और समान मुद्दे हैं। श्रीजी केलवानी मंडल, गुजरात के अध्यक्ष, श्री पटेल की शिकायत है कि दक्षिण गुजरात वर्तमान साप्ताहिक समाचारपत्र ने श्रीजी केलवानी मंडल के बारे में अपमानजनक लेख और समाचार प्रकाशित किए हैं। जांच समिति ने श्री जगदीशचंद्र आर. पटेल (शिकायतकर्ता) और श्री पी.ए. शाह, दक्षिण गुजरात वर्तमान समाचार पत्र के संपादक सहित प्रतिवादी के अधिवक्ता, श्री आदित्य को विस्तार से सुना। इन दोनों ही मामलों में तथ्यों के विवादित सवाल शामिल हैं। ऐसे कुछ आरोप हैं कि श्रीजीकेलवानी मंडल अपने फंड का प्रबंधन ठीक से नहीं कर रहा है, जिसका श्री पटेल ने खंडन किया है। जांच समिति ने पाया कि इस संबंध में कार्यवाही, चैरिटी आयुक्त, अहमदाबाद के न्यायालय में लंबित है। इसलिए, धन के कथित कुप्रबंधन से संबंधित इन सभी आरोपों पर चैरिटी आयुक्त द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि, श्री पटेल की शिकायत यह है कि श्रीजी केलवानी मंडल के कर्मचारियों के संबंध में, दक्षिण गुजरात वर्तमान द्वारा कुछ आपत्तिजनक समाचार प्रकाशित किए गए थे। यह प्रकाशित किया गया था कि श्रीजी केलवानी मंडल का कर्मचारी एक आदिवासी लड़की के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था और श्रीजी केलवानी मंडल द्वारा उक्त कृत्य को माफ कर दिया जाता है। दक्षिण गुजरात द्वारा एक ऑडियो पर

भरोसा किया गया। जांच समिति द्वारा ऑडियो सुना गया और जांच समिति का मानना है कि ऑडियो से यह साबित नहीं होता है कि श्रीजी केलवानी मंडल का कोई कर्मचारी किसी आदिवासी लड़की के साथ मनमानी कर रहा था।

अतः, जांच समिति ने दक्षिण गुजरात के परामर्शदाता को क्षमा याचना के लिए कहा। तदनुसार, क्षमा याचना की गई है। क्षमा याचना को 'ए' और 'बी' के रूप में चिह्नित किया गया है और यह रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा। संपादक और विद्वान परामर्शदाता इस बात पर सहमत हुए हैं कि ये क्षमा याचना दिनांक 09.03.2023 को उसी पृष्ठ पर प्रकाशित की जाएगी, जिस पर आपत्तिजनक लेख प्रकाशित किया गया था।

जांच समिति क्षमा याचना स्वीकार करती है। शिकायतकर्ता, श्री पटेल ने भी माफी स्वीकार कर ली है। इन परिस्थितियों में, शिकायतों को बंद करने की आवश्यकता है। जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि माफी के मद्देनजर, शिकायतें बंद कर दी जाएं।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा मांगी गयी माफी के मद्देनजर, मामले को बंद करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय
दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 14/406/19-20-पीसीआई

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
13. श्री चित्तरंजन भास्कर पोल, आईआरएस (सेवानिवृत्त),	संपादक,
सचिव,	मराठी विश्वास,
क्राइस्ट चर्च,	मराठी साप्ताहिक,
पुणे, महाराष्ट्र	पुणे, महाराष्ट्र

तथ्य

सचिव, क्राइस्ट चर्च, पुणे, श्री चित्तरंजन भास्कर पोल, आईआरएस (सेवानिवृत्त) द्वारा संपादक,

मराठी विश्वास, मराठी साप्ताहिक, पुणे, महाराष्ट्र के विरुद्ध असत्यापित, पक्षपातपूर्ण और अपमानजनक समाचार प्रकाशित करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दिनांकित 30.10.2019 दर्ज की गई। यह शिकायत "क्राइस्ट चर्च से 2 हजार रुपये के नोट के गायब होने की कहानी", "अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले बुजुर्ग (ट्रस्टी) को किया गया अपमानित है" और "क्राइस्ट चर्च को धारा 12 ए के तहत कोई छूट नहीं" (हिंदी वर्तन) शीर्षकों वाली समाचारों की श्रृंखला के क्रमशः 18-24 सितंबर 2019, 2-8 अक्टूबर 2019 और 16-22 अक्टूबर 2019 के अंकों में प्रकाशन से संबंधित है।

शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गए अंग्रेजी वर्तन के अनुसार, आक्षेपित समाचारों में क्राइस्ट चर्च में फंड्स (चढ़ावे) के कथित दुरुपयोग पर रिपोर्ट दी गई थी।

शिकायतकर्ता का दावा है कि ये समाचार निराधार, पक्षपातपूर्ण और मानहानिकारक हैं, और इनका उद्देश्य क्राइस्ट चर्च के सभी ट्रस्टियों की प्रतिष्ठा को धूमिल करना था। शिकायतकर्ता ने 8 सितंबर, 2019 को हुई घटनाओं का विस्तृत विवरण प्रदान किया है, जब चर्च में चढ़ावे की गिनती की जा रही थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, गिनती के दौरान उन्होंने दो हजार रुपये के नोट के बारे में पूछताछ की, जो चढ़ावे के पैसों में नहीं पाया गया। पादरी ने अपने बटुए से 2,000/- रुपये का नोट निकाला और दूसरे ट्रस्टी को उसके बदले रेज़गारी हेतु दिया। शिकायतकर्ता का दावा है कि चढ़ावे में 2,000 रुपये का केवल एक नोट मिला और इसकी पुष्टि पादरी और एक अन्य ट्रस्टी ने की।

शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि ट्रस्टी, श्री राहुल बोर्डे ने बैठक के दौरान घटना के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया, लेकिन कोषाध्यक्ष, श्री संतोष घोरपड़े ने एक पत्र प्रस्तुत कर श्री बोर्डे के विभिन्न प्रकार के अनैतिक व्यवहार के बारे में शिकायत की, जिसमें 8 सितंबर, 2019 को चढ़ावे की गिनती के दौरान 2,000/- रुपये के नोट का मुद्दा भी शामिल था। शिकायतकर्ता का यह भी दावा है कि चर्च, आईटी अधिनियम की धारा 12AA के तहत आयकर छूट प्राप्त करने में विफल रहा है, और यह कि, उसने इस मुद्दे के समाधान के लिए समितियों का गठन किया है।

शिकायतकर्ता ने इस बात की जानकारी होने से इनकार किया कि सीए, श्री काले ने समाचार लेख के लिए सहमति दी थी या यह उनकी सहमति के बिना प्रकाशित किया गया था। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि आक्षेपित लेख, व्यंग्यात्मक और जातिवादी तरीके से प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन्हें महार जाति के सदस्य के रूप में चित्रित किया गया था, जो एक धार्मिक सदस्य होने का दावा करते हुए सरकारी लाभ प्राप्त करता है।

मराठी विश्वास, पुणे के प्रतिवादी संपादक को 20.1.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि डाक पते में समस्या के कारण 6.12.2019 को पहले नोटिस जारी नहीं किया जा सका था।

प्रतिवादी द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

13 फरवरी, 2020 को प्रस्तुत किए गए निवेदन में, प्रतिवादी-संपादक ने दावा किया कि उसने शिकायतकर्ता और पादरी द्वारा चर्च में की गई कई अवैध गतिविधियों को उजागर किया था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता ने स्थानीय पुलिस पर दबाव डालकर, उनके काम में बाधा डालने का प्रयास किया। प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता की पत्नी ने 2009 में चर्च को एक पत्र भेजकर 1993-2009 की अवधि के लिए एक वित्तीय रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, जिसका प्रतिवादी के समाचारपत्र में समर्थन किया गया था। प्रतिवादी ने रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के बारे में समाचार प्रकाशित किया, जिसके कारण चर्च समिति ने उसे नोटिस जारी कर मानहानि के मुआवजे के रूप में 5 करोड़ रुपयों की मांग की। प्रतिवादी ने यह भी दावा किया कि शिकायतकर्ता ने 2019 में पादरी को क्लीन चिट दे दी थी और वर्तमान मानहानि के लिए मुआवज़े के रूप में 7 करोड़ रुपयों की मांग की थी, जो शिकायतकर्ता की आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। प्रतिवादी ने एक घटना का हवाला देते हुए, यह भी आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता भ्रष्ट कार्यों में शामिल था। उनकी उपस्थिति में 2,000/- रुपये गायब हो गए, और संयोग से, उसी दिन सीसीटीवी में खराबी पाई गई। प्रतिवादी ने अपने स्रोत, मुखबिर का हवाला देते हुए इस घटना को प्रकाशित किया, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत की और मानहानि के लिए मुआवजे के रूप में 7 करोड़ रुपयों की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया। प्रतिवादी ने आगे आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता ने बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए, अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और जानकारी प्रदान करने वाले सदस्यों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की और उन्हें बदनाम किया। पुलिस ने शिकायतकर्ता के प्रभाव में इन सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके कारण प्रतिवादी ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की।

शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 02.07.2020 को दर्ज प्रति टिप्पणियां

2 जुलाई, 2020 को दर्ज प्रति टिप्पणियों में, शिकायतकर्ता ने 2018 से पहले क्राइस्ट चर्च के वित्तीय, प्रशासनिक या कानूनी मामलों से अपने किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार किया। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी ने 12-18 फरवरी, 2020 को एक और समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि शिकायतकर्ता ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में झूठी शिकायत दर्ज की थी और जानबूझकर पूरी वर्दी में अपनी फोटो छापी थी। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि उनके द्वारा दर्ज उत्तर, 2018 से पहले अध्यक्ष रहे पादरी, Rev.सी.पी. भुजबल के कुप्रबंधन से संबंधित है, जब वह चर्च की किसी भी गतिविधि से नहीं जुड़े थे। उन्होंने आगे दावा किया कि प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश किए बिना बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाए

हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि प्रतिवादी ने हेराफेरी के संबंध में, 19 फरवरी, 2020 को अपने समाचारपत्र में समाचार प्रकाशित किया था।

12 जनवरी, 2021 को, शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी ने 30 नवंबर, 2020 को अपने समाचारपत्र में "पोल झूठा और नीच है" (हिंदी वर्तन) शीर्षक के तहत एक समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें उन पर अवैध संपत्ति संचय का आरोप लगाया गया था और बताया गया था कि शिकायत/उत्तर में लगाए गए आरोपों की जांच भारतीय प्रेस परिषद द्वारा की जानी चाहिए। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा उसकी बेटी के चरित्र की सार्वजनिक आलोचना और उसकी तस्वीरें अखबार में प्रकाशित करने की धमकी देने के कृत्य पर आपत्ति जताई। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने प्रतिवादी से समाचार की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए कहा था, लेकिन वह जवाब देने में विफल रहा, और उसे मजबूर होकर प्रतिवादी संपादक के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक गैर-संज्ञेय मामला दर्ज करना पड़ा। शिकायतकर्ता और उसकी बेटी ने माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष मानहानि की अलग-अलग निजी शिकायतें भी दर्ज कीं, और सभी मामलों की जांच समर्थ पुलिस स्टेशन द्वारा की गई।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 1.7.2021 के माध्यम से आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने अपने ऑनलाइन संस्करण में दिनांक 4.1.2021 को फिर से ऐसा समाचार प्रकाशित किया, जिसने शिकायतकर्ता की मां के चरित्र को खराब दर्शाया।

<u>प्रतिवादी द्वारा दिनांक 24.8.2021 को दर्ज उत्तर</u>

प्रतिवादी संपादक ने अपने ईमेल दिनांक 24.8.2021 के जरिए, शिकायतकर्ता पर सार्वजनिक मंच पर उनके लेखन को रोकने का प्रयास करने, सामाजिक हमले का सहारा लेने और उन्हें मुसीबत में डालने के लिए अपनी मृत मां को बीच में लाने का आरोप लगाया है। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता चर्च से जुड़े स्कूल, प्रकाश विद्यालय से प्राप्त 1 करोड़ रुपये और लगभग 30 लाख रुपये के बारे में बताने में विफल रहे। प्रतिवादी ने दावा किया कि शिकायतकर्ता ने दिसंबर 2020 में लगभग 10 उत्तेजक संदेश भेजे, जो क्राइस्ट चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो गए, और उन्होंने उसके बारे में पुणे पुलिस को ऑनलाइन शिकायत की। प्रतिवादी ने बाबूभाई शेवगांववाले के संबंध में चर्च के एक वरिष्ठ सदस्य का एक पत्र प्रकाशित किया, जिसका चर्च की सदस्य, मंदाकिनी नामक महिला के साथ संबंध था। प्रतिवादी ने यह उल्लेख करने से इनकार किया कि श्री बाबूभाई शेवगांववाले की प्रेमिका, मंदाकिनी, शिकायतकर्ता की मां थी। प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता पर अपने फायदे के लिए अपनी मृत मां के नाम और श्री बाबूभाई शेवगांववाले के नाम का फायदा उठाने का भी आरोप लगाया। प्रतिवादी ने आगे दावा किया कि शिकायतकर्ता ने इस मामले में अपनी बेटी को भी घसीटा और अपने बच्चों की परवरिश को साबित करने की कोशिश की। प्रतिवादी ने जांच

की और अपने समाचारपत्र में स्कूल के पैसे और खातों के दुरुपयोग में शिकायतकर्ता की बहन की संलिप्तता को प्रकाशित किया।

<u>शिकायतकर्ता का अगला पत्र</u>

दिनांक 15.9.2021 के एक पत्र में, शिकायतकर्ता ने 'मराठी विश्वास' के प्रतिवादी संपादक के खिलाफ, मानहानि के तीन मामले दर्ज करने की सूचना दी। जांच के बाद, माननीय मजिस्ट्रेट ने पाया कि संपादक ने बिना सत्यापन के एक मानहानिकारक लेख प्रकाशित किया था, और मुद्रक ने यह जानते हुए भी इसे मुद्रित किया था कि यह मानहानिकारक हो सकता है। नतीजतन, मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 500/501 आर/डब्ल्यू धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए कार्यवाही हेतु निदेश दिये। हालाँकि शिकायतकर्ता की शिकायत, संपादक द्वारा प्रकाशित असत्यापित और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टों के आधार पर मानहानि के बारे में थी, लेकिन इस मुद्दे पर माननीय न्यायालय में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।

दिनांक 15.3.2022 की जानकारी में, शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी संपादक और प्रिंटर के खिलाफ मानहानि के लिए, चल रही कानूनी कार्यवाही के बारे में जानकारी दी। अदालत ने उन दोनों को 15,000/- रुपये का पीआर बॉन्ड प्रस्तुत करने का निदेश दिया, और अगली सुनवाई, 19.03.2022 के लिए तय की गई। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता ने प्रकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल के अकाउंटेंट-सह-क्लर्क, नोएल इसाक मपगांवकर के खिलाफ 31,99,194/- रुपये की कथित हेराफेरी के लिए दर्ज एफआईआर का भी उल्लेख किया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

दिनांक 11.10.2022 के पत्र में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने उसके खिलाफ जातिवादी टिप्पणी की और अनियमितता रिपोर्ट के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की, जिसके कारण स्कूल के लेखाकार-सह-क्लर्क के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज की गई।

<u>जांच समिति की रिपोर्ट</u>

यह मामला 2.3.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

यह शिकायत दिनांक 30.10.2019 को श्री चित्तरंजन भास्कर पोल, आईआरएस (सेवानिवृत्त) सचिव, क्राइस्ट चर्च, पुणे, महाराष्ट्र द्वारा संपादक मराठी विश्वास, मराठी साप्ताहिक, पुणे महाराष्ट्र के विरुद्ध असत्यापित, पक्षपातपूर्ण और अपमानजनक समाचारों के कथित प्रकाशन के लिए दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये आक्षेपित समाचारों के शीर्षकों की तारीख और अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है:

क्र.सं.	दिनांक	शीर्षक
1.	18-24 सितंबर 2019	"Story of the disappearance of 2 thousand rupees note from Christ Church"
2.	2-8 अक्टूबर 2019	"Elder (Trustee) fighting against injustice is humiliated"
3.	16-22 अक्टूबर 2019	"No exemption under Section 12A available with Christ Church"

शिकायतकर्ता, श्री पोल जांच समिति के समक्ष उपस्थित हैं। प्रतिवादी उपस्थित नहीं है। उनके जवाब रिकॉर्ड पर हैं, जिसमें उन्होंने शिकायतकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पुनः दोहराया है। अपने अंतिम पत्र में, उन्होंने सचिवालय द्वारा उनसे अंग्रेजी अनुवाद मांगे जाने पर आपत्ति जताई। उनके उत्तर का भावार्थ उत्तम नहीं है। लेकिन जांच समिति ने इसे नजरअंदाज करने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि ऐसा आचरण अवमानना के दायरे में है। फिर भी, अध्यक्ष महोदया के मराठी भाषा से परिचित होने के कारण, उन्होंने मराठी पत्र को पढ़ा। शिकायत से ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता, श्री पोल क्राइस्ट चर्च के सचिव हैं। उन पर कुछ कदाचार के आरोप हैं, जिनका उन्होंने जोरदार खंडन किया है। यह ईसाई समुदाय के दो गुटों के बीच व्यक्तिगत विवाद प्रतीत होता है। इसमें तथ्यों के विवादित प्रश्न शामिल हैं, जिन पर केवल न्यायालय ही विचार कर सकता है और निर्णय ले सकती है। लेकिन पत्रकारिता के आचरण के मानकों के उल्लंघन से जुड़े कुछ पहलू हैं, जिन्हें प्रेस परिषद द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

शिकायतकर्ता द्वारा हमारा ध्यान मराठी विश्वास साप्ताहिक में 16.10.2019 को प्रकाशित लेख की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें विशेष रूप से शीर्षक में शिकायतकर्ता का संदर्भ दिया गया है। लेख में बताया गया है कि कुछ लोग खुद को हिंदू महार बताते हैं, सरकार की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और चर्च जाते हैं और दिखाते हैं कि वे धार्मिक हैं। यह, स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता के संदर्भ में है, जिसमें किसी व्यक्ति की जाति का जिक्र करके, पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2022 के मानक 4(1), जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति की जाति की पहचान से बचना चाहिए, का उल्लंघन किया है। जांच समिति इस तरह की पत्रकारिता की निंदा करती है। मराठी विश्वास के दिनांक 4.1.2021 और 1.2.2021 के अंकों में प्रतिवादी संपादक ने शिकायतकर्ता की मां का जिक्र करते हुए अत्यधिक असंसदीय और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसकी फिर से कड़े शब्दों में निंदा करने की जरूरत है। मराठी विश्वास के दिनांक 21.1.2021 के अंक में, प्रतिवादी संपादक ने शिकायतकर्ता की बेटी के चरित्र के बारे में अभद्र टिप्पणी की, जो पत्रकारिता के आचरण के मानकों के भी विरुद्ध है। तथ्यों के विवादित प्रश्नों से जुड़े अन्य आरोपों और प्रत्यारोपों का निर्णय,

यदि पक्षकार न्यायालय के पास जाना चाहें तो, न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। जांच समिति का मानना है कि जहां तक उपर्युक्त लेखों का संबंध है, प्रतिवादी समाचार पत्र और उसके संपादक की कड़ी परिनिंदा की जानी चाहिए।

प्रतिवादी संपादक के लिए, यह उचित होगा कि वह शिकायतकर्ता का पक्ष, यदि वह उसे अग्रेषित करता है, तो उसे पूरी निष्पक्षता से प्रकाशित करे। इससे उपर्युक्त कठोर और असंसदीय टिप्पणियों के कारण, शिकायतकर्ता को हुई कठिनाई कुछ हद तक कम हो सकती है।

तदनुसार जांच समिति परिषद को प्रतिवादी की **परिनिंदा** करने और शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और प्रतिवादी समाचारपत्र की **परिनिंदा** करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 1797/2020-ए

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
14. श्री सुरज्य कुमार दास,	संपादक,
जिला कामरूप (मेट्रो),	अमर असम,
असम।	गुवाहाटी, असम।

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 13.7.2020 को श्री सुरज्य कुमार दास, जिला कामरूप (मेट्रो), असम द्वारा संपादक, अमर असम, गुवाहाटी, असम के विरुद्ध उनके अंक 20.5.2020 दिनांकित में "बाघरबाड़ी में कथित अवैध संबंध रखने पर ट्रेजरी अधिकारी को किया गया गिरफ्तार'' (शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किया गया अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी वर्तन) शीर्षक के तहत कथित तौर पर झूठा, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक समाचार प्रकाशित करने के लिए" दर्ज की है। शिकायतकर्ता ने आक्षेपित समाचार का अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराया है और उसका सार निम्नानुसार पठनीय है:-

"पुलिस ने कथित अवैध संबंध रखने पर एक ट्रेजरी अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी व्यक्ति, श्री अजीत स्वर्गीय (अनुवाद में उल्लिखित नाम) ट्रेजरी कार्यालय, गुवाहाटी में लेखा अधिकारी के रूप में कार्यरत है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शिव मंदिर पथ के बाघरबाड़ी की रहने वाली एक महिला से अकाउंट ऑफिसर ने एसीएस ऑफिसर की नौकरी दिलाने के लिए 10 लाख रुपये की रकम ली थी। महिला की शादी डेढ़ साल पहले सेरीकल्चर विभाग के एक अधिकारी से हुई थी। वहीं, आरोपी ने नौकरी दिलाने के नाम पर विवाहिता से प्रेम संबंध बना लिया। बेशक, आरोपी ने बड़ी चालाकी से विवाहिता को टैक्स विभाग में टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति दिलवा दी। आरोपी नियमित रूप से महिला के घर जाता था और उसके साथ अवैध संबंध बनाता था। पता चलने पर एवं स्वयं खोजबीन करने पर आज आरोपी एवं महिला को उसके ससुराल बघारबाड़ी में रंगे हाथ पकड़ लिया गया। घटना की सूचना उसके पति ने सतगांवा थाने को दी। पुलिस ने घटना स्थल से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने ले गयी। घटना को लेकर पति ने थाने में एफ़आईआर दर्ज करायी है।" (हिंदी वर्तन)

शिकायतकर्ता, जो उस महिला का पिता है, जिसका उल्लेख आक्षेपित समाचार में किया गया है, ने आरोप लगाया है कि आक्षेपित समाचार झूठा, दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक है और शिकायतकर्ता की निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उनके एक मेहमान, श्री अजीत गायरी (शिकायत में उल्लिखित नाम) अपने बहनोई के साथ 19.5.2020 को उनकी बीमार पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए, उनके अनुरोध पर, उनके घर आए। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वह उन्हें उनकी बेटी, बेटे और सहायकों की मौजूदगी में, अपने साथ ले जा रहा था, तो अचानक सतगांव पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अन्य पुलिसकर्मियों के साथ उसके घर में घुस आए और उनके एक मेहमान, श्री अजीत गायरी को बिना किसी वारंट/एफआईआर के उठा लिया और सतगांवा थाने ले गये। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसकी और उसके परिवार की स्थिति और प्रतिष्ठा से अवगत होने के कारण, प्रतिवादी ने बिना किसी आधार/उचित जांच के झूठी और अपमानजनक खबर प्रकाशित की। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि डॉ. गुनामोनी डेका, जो उनके दामाद हैं, ने पुलिस अधिकारी के साथ मिलकर झूठी एफ़आईआर दर्ज की थी और श्री अजीत गायरी, जो उनके पारिवारिक मित्र हैं, को परेशान किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि डॉ. गुनामोनी डेका ने बाद में प्रतिवादी समाचारपत्र, अमर असम के संपादक और प्रकाशक, के साथ मिलकर शिकायतकर्ता और उसके परिवार की कड़ी मेहनत से अर्जित प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए दुर्भावनापूर्ण समाचार प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है, जैसा कि आक्षेपित समाचार में बताया गया है।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि उसने दुर्व्यवहार के संबंध में, सतगांव पुलिस स्टेशन के खिलाफ पुलिस महानिदेशक, उलुबरी, गुवाहाटी, असम को दिनांक 1.7.2020 को एक शिकायत दर्ज की थी और

डॉ. गुनामोनी के खिलाफ, पुलिस स्टेशन सतगांव में दिनांक 20.5.2020 को एक और शिकायत दर्ज की थी। डेका (शिकायतकर्ता का दामाद) पर अपनी बेटी को परेशान करने और मानसिक/शारीरिक यातना देने और शिकायतकर्ता के परिवार को बदनाम करने और श्री अजीत गायरी को धमकी देने और ब्लैकमेल करने का आरोप है।

शिकायतकर्ता ने दिनांक 25.5.2020 के पत्र के माध्यम से, स्पष्टीकरण प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ प्रतिवादी समाचारपत्र का ध्यान आक्षेपित समाचार की ओर आकर्षित किया था, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने परिषद से प्रतिवादी समाचारपत्र को चेतावनी देकर, फटकार लगाकर या निंदा करके, एक आदेश पारित करने और प्रतिवादी को स्पष्टीकरण प्रकाशित करने का निदेश देने का अनुरोध किया है।

कोई उत्तर नहीं

अमर असम, गुवाहाटी के संपादक और प्रधान संपादक को दिनांक 16.9.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे, लेकिन समयबद्ध अनुस्मारक दिनांक 4.12.2020 जारी करने के बावजूद भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

मामले की सुनवाई, जांच समिति द्वारा 11.10.2022 को की गई और इसे स्थगित कर दिया गया।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 2.3.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है। शिकायतकर्ता पिछली बार भी उपस्थित नहीं हुआ था। कोई भी प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। हालाँकि, दोनों पक्ष उपस्थित नहीं हैं, लेकिन शिकायत में कुछ गंभीर आरोप हैं, इसलिए जांच समिति शिकायतकर्ता के पैरवी न करने के कारण, इसे खारिज करने की इच्छुक नहीं है।

शिकायतकर्ता ने संपादक, अमर असम, गुवाहाटी, असम के खिलाफ झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक, समाचार, जिसका शीर्षक "बाघरबाड़ी में कथित अवैध संबंध रखने पर ट्रेजरी अधिकारी को किया गया गिरफ्तार" (शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किया गये अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी वर्तन) है, प्रकाशित करने के लिए शिकायत दर्ज की है।

वह महिला, जो शिकायतकर्ता की बेटी है, उस पर ट्रेजरी कार्यालय, गुवाहाटी में लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने बताया कि ये आरोप झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं। इस संबंध में, उन्होंने एक शिकायत भी दर्ज कराई है, जो लंबित नजर

आ रही है। जांच समिति ने गौर किया कि शिकायतकर्ता ने दिनांक 25.5.2020 के पत्र के माध्यम से, स्पष्टीकरण प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ प्रतिवादी समाचारपत्र का ध्यान आक्षेपित समाचार की ओर आकर्षित किया था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। मामले की परिस्थितियों में, जांच समिति की राय है कि प्रतिवादी समाचारपत्र के लिए शिकायतकर्ता का पक्ष प्रकाशित करना आवश्यक है। इसलिए शिकायतकर्ता को अपना पक्ष प्रतिवादी समाचारपत्र को अग्रेषित करना चाहिए और प्रतिवादी समाचारपत्र को उसकी प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर, इसे प्रकाशित करना चाहिए। इससे शिकायतकर्ता की शिकायत का कम से कम, कुछ हद तक तो समाधान होना चाहिए।

जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि शिकायत को उपर्युक्त निदेशों के साथ समाप्त किया जा सकता है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और उपर्युक्त निदेशों के साथ मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय
दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 14/18/19-20-पीसीआई

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
15. श्री वी. श्रीकुमार, कोल्लम, केरल।	संपादक, केरल कौमुदी-फ्लैश, कोल्लम, केरल।

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 28.3.2019 को श्री वी. श्रीकुमार, कोल्लम, केरल द्वारा संपादक, केरल कौमुदी-फ्लैश, कोल्लम के विरुद्ध अंक दिनांकित 23.3.2019 में **"अकेले रहने वाली युवा महिला को खतरा- आरटीआई एक्टिविस्ट के विरुद्ध जांच"** (अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी वर्तन) शीर्षक के तहत झूठा, आधारहीन और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की गई है।

शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार, आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि एक आरटीआई कार्यकर्ता के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, जो अकेले रहने वाली एक युवा महिला को लगातार धमकी दे रहा है। आगे यह भी बताया गया कि आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा धमकी और अपमान करने पर उस युवती और उसके 10 वर्षीय बेटे ने स्थानीय पुलिस स्टेशन और उच्च पुलिस अधिकारियों से याचिका की, जिस पर विचार करते हुए, कोल्लम के सिटी पुलिस आयुक्त ने करुनागप्पल्ली पुलिस को इस याचिका की जांच करने का आदेश दिया। करुणागप्पल्ली पुलिस ने महिला और उसके बेटे के बयान लेने के बाद आरटीआई कार्यकर्ता के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। आक्षेपित समाचार के अनुसार, उत्तरी पावुम्बा में बसी महिला, आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा लगातार अपमान किए जाने के कारण आत्महत्या करने को तैयार है। महिला और उसकी विधवा मां, श्री श्रीकुमार पुलाचिलाझिकम द्वारा दी गई धमकी और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के विरुद्ध न्याय मांग रही हैं। श्री श्रीकुमार 2016 में एक निजी संस्थान में साथ काम करने के दौरान, शुरू हुई दोस्ती को लेकर महिला का अपमान कर रहे हैं। एक बार, श्री श्रीकुमार पुथ्याकावु में इस महिला के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस द्वारा पकड़े गए थे। अगले वर्ष, श्री श्रीकुमार को चवारा पुलिस ने मोबाइल पर महिला को आपत्तिजनक संदेश भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उपर्युक्त दोनों मामलों में, श्री श्रीकुमार को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया, लेकिन फिर भी वह लगातार धमकी देते रहे कि या तो उसे मामले वापस लेने होंगे, या फिर उसे अपने बेटे और विधवा मां को छोड़कर श्री श्रीकुमार के साथ रहना होगा। दोनों मांगों को लेकर, श्री श्रीकुमार रात में महिला को उसके घर के पास परेशान करते थे। उपद्रव और बेइज्जती से तंग आकर महिला और उसका बेटा अब अपने रिश्तेदार के घर के पास सोते हैं। श्री श्रीकुमार ने धमकी दी है कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, तो वह उनके बेटे और वृद्ध मां को मार डालेंगे और उनका अपहरण कर लेंगे। आगे यह भी बताया गया है कि श्री श्रीकुमार पर आरोप है कि वह इस मामले में जांच के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों में बाधा डालते थे। संगठन के नाम का दुरुपयोग करने के कारण उन्हें आरटीआई फेडरेशन से बर्खास्त कर दिये जाने पर भी वह इस संगठन के नाम का उपयोग करते हैं और संगठन के साथ अपना नाम जोड़ते हैं। इसके अलावा, श्री श्रीकुमार ने महिला और उसके पति के विरुद्ध अफवाहें भी फैलाई हैं।

आरोपों से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आक्षेपित समाचार गलत, निराधार है और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रकाशित किया गया है। कुल मिलाकर सभी वर्तनों के विवरण में विचारों में सुसंगति नहीं है और न ही मुद्दे के संबंध में कोई पुष्टि की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, वह केरल राज्य के भीतर और आसपास कई मामलों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने केरल के आरटीआई फेडरेशन के राज्य सचिव के रूप में भी कार्य किया है, इसलिए

पुलिस कर्मियों सहित कई लोग हैं, जो शिकायतकर्ता से कड़ा प्रतिशोध ले रहे हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि इस गैरकानूनी और झूठी खबर के पीछे एक पुलिस कर्मी है, जिसने प्रतिवादी अखबार को प्रभावित किया और इस तरह उसके विरुद्ध और अधिक परेशानी खड़ी करने के इरादे से, उसके विरुद्ध यह झूठी खबर प्रकाशित करवाई। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि एक और मामला यह है कि प्रतिवादी ने अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इस घटना के संबंध में पहले झूठी खबर प्रकाशित की थी कि एक महिला ने उसके विरुद्ध अपराध दर्ज़ किया और चावरा पुलिस को गलत जानकारी दी और इस प्रकार पुलिस ने झूठा मामला दर्ज किया। उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर उन्हें तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्रतिवादी द्वारा तुरंत उक्त झूठा मामला और उसके बाद की घटनाओं को प्रकाशित किया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके बाद उसने न्यायपालिका से जमानत पाने के लिए लगातार कोशिश की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी के पास उसके विरुद्ध ऐसी अमान्य और झूठी खबर प्रकाशित करने का कोई अधिकार नहीं है। शिकायतकर्ता ने विवेचित किया कि प्रतिवादी ने अंततः, उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और दोनों पेशे से आने वाली उसकी, दैनिक कमाई बंद हो गई।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 10.5.2019 के माध्यम से, प्रतिवादी का ध्यान आक्षेपित समाचार की ओर आकर्षित किया, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने परिषद से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

12.7.2019 को संपादक, केरल कौमुदी-फ्लैश, कोल्लम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

<u>प्रतिवादी संपादक द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य</u>

श्री एस. राधाकृष्णन, संपादक/यूनिट प्रमुख, केरल कौमुदी-फ्लैश, कोल्लम ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांक 14.8.2019 के माध्यम से, प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित समाचार, शिकायतकर्ता के विरुद्ध, सुश्री ज्योतिलक्ष्मी द्वारा दर्ज़ शिकायत पर आधारित था और उसके विरुद्ध करुणागापल्ली पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 447/294 (बी)/506/354 डी के तहत, अपराध संख्या 446/2019 और सीआरपीसी की धारा 107 के तहत, चावरा पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 474/2018 के रूप में दो अपराध दर्ज किए गए। उनके अनुसार, उपर्युक्त शिकायतों के रिकॉर्ड से यह साबित हो जाएगा कि प्रकाशित आक्षेपित समाचार की सामग्री वास्तविक तथ्यों पर आधारित है और यह कभी भी किसी व्यक्ति को बदनाम करने के दायरे में नहीं आती है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता द्वारा मानहानि का आरोप लगाते हुए अखबार को दिनांक 17.4.2019 को एक नोटिस जारी किया गया था और नोटिस का जवाब उसे विधिवत भेजा गया है, जिससे साबित होता है कि आक्षेपित समाचार, कभी

भी आईपीसी की धारा 499/500/501/502 के दायरे में नहीं आता है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि एक स्वयंभू सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, उसने उस महिला की निजता और व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, जो उसके विरुद्ध दर्ज मामले का मूल विषय है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि आक्षेपित समाचार बिल्कुल भी गलत नहीं है और इसने शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, जैसा कि आरोप लगाया गया है। उनके अनुसार, मामले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पूरी तरह से सत्यापित करने के बाद आक्षेपित समाचार को अधिकतम सटीकता के साथ प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने बताया कि गिरफ्तारी और उन्हें जेल भेजे जाने से संबंधित समाचार, अन्य सभी मलयालम दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था और इन दैनिक समाचार पत्रों ने वही तथ्य प्रकाशित किए, जो उसके समाचार पत्र में प्रकाशित हुए थे। प्रतिवादी ने सूचित किया है कि शिकायतकर्ता के डर से, पीड़ित महिला ने शिकायतकर्ता और उसके नापाक आपराधिक गिरोह, जो लगातार उपर्युक्त स्थान पर अकेले रह रहीं महिलाओं पर हमला कर रहे हैं, पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका मामला संख्या 9583/19 दर्ज की। प्रतिवादी ने आगे बताया कि वह गिरोह, जिसके हैड शिकायतकर्ता हैं, हमेशा निर्दोष नागरिकों को बदनाम करने और पैसे ऐंठने के लिए ब्लैकमेल करने का प्रयास करता रहा है। प्रतिवादी ने कहा है कि आक्षेपित समाचार, उसके विरुद्ध दर्ज अपराध पर उनकी अपनी जांच पर आधारित तथ्यात्मक विवरण है। पत्रकारिता नीति के किसी भी प्रकार से उल्लंघन से इनकार करते हुए, प्रतिवादी ने परिषद से मामले में आगे कार्यवाही बंद करने का अनुरोध किया है।

लिखित वक्तव्य की एक प्रति, शिकायतकर्ता को सूचना/प्रति टिप्पणियों के लिए 27.8.2019 को भेज दी गई थी।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज़ प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणी दिनांकित 20.9.2019 के माध्यम से अपनी शिकायत को दोहराते हुए कहा है कि प्रतिवादी को खोजी पत्रकारिता के रूप में काम करने का कोई अधिकार नहीं है। दैनिक समाचारपत्र के रूप में कार्य करने के लिए माननीय भारतीय प्रेस परिषद द्वारा दिया गया लाइसेंस या अन्य अनुमति, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने या जनता के विरुद्ध अपमान करने का लाइसेंस नहीं देती है। लेकिन प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता के विरुद्ध अपने लिखित वक्तव्य में प्रतिवादी द्वारा पहले से ही की गई अवैधताओं को स्वीकार कर लिया था। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि प्रतिवादी ने जानबूझकर उसकी मानहानि की है। शिकायतकर्ता के अनुसार, सक्षम न्यायालय द्वारा मामले पर फैसला सुनाने से पहले, किसी गलत धारणा वाले मामले को प्रकाशित करने के लिए पुलिस स्टेशनों या न्यायालय से पुलिस रिकॉर्ड एकत्र करने का प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि प्रतिवादी ने जानबूझकर तथाकथित महिला के नाम और पते का दुरुपयोग किया और इस तरह पीड़ित के

नाम का उपयोग करना कानून के प्रासंगिक नियमों द्वारा सख्ती से निषिद्ध है। इस आरोप के संबंध में, कि अन्य समाचारपत्रों ने भी वही समाचार प्रकाशित किया, शिकायतकर्ता ने कहा है कि केवल प्रतिवादी ने विशेष रुचि लेते हुए, उक्त महिला के साथ साँठ-गाँठ करके, गलत और कुख्यात आक्षेपित समाचार को पीले समाचारपत्र में प्रकाशित किया। उनके अनुसार, यह सच है कि उक्त सांठगांठ वाली महिला द्वारा उनके विरुद्ध केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मामला संख्या 9583/2019 दर्ज़ किया गया था, लेकिन उस मामले का निर्णय केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में किया था। उन्होंने परिषद से प्रतिवादी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी का अगला पत्र दिनांकित 19.11.2019

प्रतिवादी ने अपने अदिनांकित पत्र, जोकि सचिवालय में 19.11.2019 को प्राप्त हुआ, के जरिये बताया कि प्रति टिप्पणी में उस महिला के विरुद्ध, जिसने शिकायतकर्ता के विरुद्ध केरल के माननीय उच्च न्यायालय सहित विभिन्न कानूनी प्राधिकारियों के समक्ष मुकदमें और शिकायत दर्ज की थी, प्रयोग किए गए शब्द, अपमानजनक, मानहानिकारक हैं और भाषा तुच्छ है, जिसके कारण आईपीसी की धारा 499 के पहले प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि आक्षेपित समाचार, जोकि शिकायतकर्ता का मूल विषय है, बिल्कुल भी मानहानिकारक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि शिकायतकर्ता को कोई और भी शिकायत है, तो वह ऐसे सक्षम न्यायालय के समक्ष आपराधिक/सिविल शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसे इसका अधिकार हो।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 2.3.2023 को नई दिल्ली में सुनवाई के लिए जांच समिति के समक्ष आया।

शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है। हालाँकि, उन्होंने सचिवालय को एक पत्र लिखकर विवेचित किया है कि दस्तावेजों का अवलोकन करके, शिकायत को समाप्त किया जा सकता है। श्री प्रसून एस कंडथ, विशेष संवाददाता, केरल कौमुदी और श्री अल्जो जोसेफ, अधिवक्ता प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शिकायतकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए हम मामले में आगे बढ़ते हैं।

शिकायत दिनांक 28.3.2019 को श्री वी. श्रीकुमार, कोल्लम, केरल द्वारा संपादक, केरल कौमुदी-फ्लैश, कोल्लम के विरुद्ध उनके अंक दिनांकित 23.03.2019 में **"अकेले रहने वाली युवा महिला को खतरा- आरटीआई एक्टिविस्ट के विरुद्ध जांच"** (अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी वर्तन) शीर्षक के तहत झूठा, आधारहीन और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की गई है।

शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार, आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि एक आरटीआई कार्यकर्ता के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, जो अकेले रहने वाली

एक युवा महिला को लगातार धमकी दे रहा है। आगे यह भी बताया गया कि आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा धमकी और अपमान करने पर उस युवती और उसके 10 वर्षीय बेटे ने स्थानीय पुलिस स्टेशन और उच्च पुलिस अधिकारियों से याचिका की, जिस पर विचार करते हुए, कोल्लम के सिटी पुलिस आयुक्त ने करुनागप्पल्ली पुलिस को इस याचिका की जांच करने का आदेश दिया। करुणागप्पल्ली पुलिस ने महिला और उसके बेटे के बयान लेने के बाद आरटीआई कार्यकर्ता के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। आक्षेपित समाचार के अनुसार, उत्तरी पावुम्बा में बसी महिला, आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा लगातार अपमान किए जाने के कारण आत्महत्या करने को तैयार है। महिला और उसकी विधवा मां, श्री श्रीकुमार पुलाचिलाझिकम द्वारा दी गई धमकी और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के विरुद्ध न्याय मांग रही हैं। श्री श्रीकुमार 2016 में एक निजी संस्थान में साथ काम करने के दौरान, शुरू हुई दोस्ती को लेकर महिला का अपमान कर रहे हैं। एक बार, श्री श्रीकुमार पुथ्याकावु में इस महिला के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस द्वारा पकड़े गए थे। अगले वर्ष, श्री श्रीकुमार को चवारा पुलिस ने मोबाइल पर महिला को आपत्तिजनक संदेश भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उपर्युक्त दोनों मामलों में, श्री श्रीकुमार को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया, लेकिन फिर भी वह लगातार धमकी देते रहे कि या तो उसे मामले वापस लेने होंगे, या फिर उसे अपने बेटे और विधवा मां को छोड़कर श्री श्रीकुमार के साथ रहना होगा। दोनों मांगों को लेकर, श्री श्रीकुमार रात में महिला को उसके घर के पास परेशान करते थे। उपद्रव और बेइज्जती से तंग आकर महिला और उसका बेटा अब अपने रिश्तेदार के घर के पास सोते हैं। श्री श्रीकुमार ने धमकी दी है कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, तो वह उनके बेटे और वृद्ध मां को मार डालेंगे और उनका अपहरण कर लेंगे। आगे यह भी बताया गया है कि श्री श्रीकुमार पर आरोप है कि वह इस मामले में जांच के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों में बाधा डालते थे। संगठन के नाम का दुरुपयोग करने के कारण उन्हें आरटीआई फेडरेशन से बर्खास्त कर दिये जाने पर भी वह इस संगठन के नाम का उपयोग करते हैं और संगठन के साथ अपना नाम जोड़ते हैं। इसके अलावा, श्री श्रीकुमार ने महिला और उसके पति के विरुद्ध अफवाहें भी फैलाई हैं।

शिकायतकर्ता के अनुसार ये आरोप झूठे, निराधार हैं और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रकाशित किए गए हैं। प्रतिवादी समाचारपत्र की ओर से उपस्थित विद्वान परामर्शदाता, श्री अलजो जोसेफ का कहना है कि शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। यह खबर पीड़ित महिला द्वारा पुलिस स्टेशन करुनागप्पल्ली में आईपीसी की धारा 447/294(बी)/506/235 डी के तहत अपराध संख्या 446/2019 और चावरा पुलिस स्टेशन में सीआरपीसी की धारा 107 के तहत अपराध संख्या 474/2018 के रूप में दर्ज शिकायतों के आधार पर प्रकाशित की गई है।

चूंकि समाचार रिपोर्ट एफआईआर की सामग्री पर आधारित है, इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि प्रतिवादी ने पत्रकारिता के आचरण के मानकों का उल्लंघन किया है या शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई खबर गढ़ी है। हालाँकि, प्रकाशित समाचार रिपोर्ट की प्रकृति को देखते हुए, जांच समिति का मानना है कि यदि शिकायतकर्ता अपने पक्ष के साथ प्रतिवादी समाचार पत्र के पास जाता है, तो प्रतिवादी समाचारपत्र को इसे उसी पृष्ठ पर प्रकाशित करना चाहिए, जिस पर केरल कौमुदी फ्लैश में आपत्तिजनक समाचार प्रकाशित हुआ है। जांच समिति को सूचित किया गया है कि यह समाचार मिड डे केरल कौमुदी फ्लैश में प्रकाशित हुआ था, जिसे अब प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। इसलिए, वकील का परामर्श है कि शिकायतकर्ता का पक्ष प्रतिवादी के दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, जो एक मूल कंपनी है। जांच समिति ने रिकॉर्ड किया है कि यदि शिकायतकर्ता के संपर्क करने पर प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता का लिखित वर्तन प्रकाशित करना स्वीकार कर लिया है। इसलिए, उपर्युक्त को देखते हुए, जांच समिति परिषद से शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

<u>निर्णय</u>

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करके कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा उपर्युक्त को देखते हुए, मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 14/409/2019-20-पीसीआई

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
16. डॉ. (सुश्री) अनुपमा कौशिक, प्रोफेसर एवं प्रमुख, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन विभाग, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)	संपादक, राज एक्सप्रेस समाचारपत्र, भोपाल (म.प्र.)

<u>तथ्य</u>

यह शिकायत दिनांक 24.10.2019 को डॉ. (सुश्री) अनुपमा कौशिक, प्रोफेसर एवं प्रमुख, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन विभाग, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) द्वारा संपादक, राज

एक्सप्रेस, भोपाल के विरुद्ध कथित रूप से उनके दिनांक 09.09.2019 के अंक में **"फाइलों में दबी शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच"** शीर्षक के तहत फर्जी, भ्रामक और मानहानिकारक समाचार लेख प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

समाचार लेख में बताया गया है कि डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, वर्ष 2013 में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की सीबीआई जांच को लेकर काफी चर्चा में रहा। जांच में दोषियों का खुलासा हो चुका है, लेकिन जांच अभी भी फाइलों में अधर में लटकी हुई है। आगे बताया गया है कि भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि, 21.12.2010 निर्धारित की गई थी, लेकिन एक आवेदक, जिसका नाम डॉ. अनुपमा कौशिक था, ने अंतिम तिथि के लगभग दो साल बाद आवेदन किया और उनका चयन हो गया। जांच समिति ने सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर व्यक्त किया कि एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त, डॉ. अनुपमा कौशिक ने वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान द्वारा 15.12.2012 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें स्पष्ट शब्दों में बताया गया था कि डॉ. अनुपमा कौशिक 16.01.2005 से वनस्थली विद्यापीठ में राजनीति विज्ञान विभाग में कार्यरत हैं और 01.09.2008 से एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। डॉ. अनुपमा कौशिक के पास न्यूनतम आठ साल का शिक्षण और शोध का अनुभव नहीं था। डॉ अनुपमा कौशिक को 15600-37100 का वेतनमान मिल रहा था, जो कि वर्ष 2006 के एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तय किए गए यूजीसी वेतनमान 37400-67000 के वेतनमान से काफी भिन्न है, जो अपने आप में एक आश्चर्यजनक तथ्य है। जांच समिति की संस्तुति के बावजूद, डॉ. अनुपमा कौशिक के खिलाफ कोई कार्रवाई का किया जाना, वहां के कुलपति की भेदभावपूर्ण कार्यप्रणाली को दर्शाता है। यह बताया गया है कि एक कांग्रेस नेता, श्री संदीप सबलोक की शिकायत पर तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति ने डीन ऑफ़ फैकल्टी अफेयर्स को डॉ. अनुपमा कौशिक की एसोसिएट प्रोफेसर पद पर अवैध नियुक्ति की जांच के आदेश दिए थे। आगे बताया गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के भर्ती सेल ने जांच समिति को आवश्यक दस्तावेज़ नहीं दिए, जिसमें मुख्य रूप से एसोसिएट प्रोफेसर के साक्षात्कार के लिए उपस्थिति शीट्स शामिल थीं। समिति के अध्यक्ष, श्री ए.पी. दुबे ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दिये गये निदेशानुसार मामले की जांच की गयी। कुलपति श्री आर.पी.तिवारी ने कहा कि मामला उनके कार्यभार ग्रहण करने से पहले का है। उनके पास इससे ज्यादा जानकारी नहीं है।

आक्षेपित समाचार में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रोफेसर, एपी दुबे की अध्यक्षता वाली जांच समिति अवैध रूप से कार्यवाहक कुलपति द्वारा गठित की गई थी और इस समिति को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा 20.09.2014 को ऐसी अन्य जांच समितियों के साथ भंग कर दिया गया था। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि जब उसने डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में एसोसिएट प्रोफेसरशिप के लिए आवेदन किया था तो उसके

पास 10 साल से अधिक का अनुभव था। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि उस समय लागू यूजीसी नियम 2010 में वेतनमान और पे बैंड के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि यह कोई सामान्य विज्ञापन नहीं था, बल्कि 30.10.2010 का एक रोलिंग विज्ञापन था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तिथि के बावजूद पूरे वर्ष भी एक रोलिंग तंत्र के तहत आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि एक आक्षेपित समाचार के प्रकाशन से उनकी छवि/प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और यह मानहानिकारक है। उन्होंने कहा है कि शैक्षणिक योग्यता और सेवा अनुभव के उनके सभी प्रमाणपत्रों को विश्वविद्यालय द्वारा सीबीएसई, बीएचयू और वनस्थली विद्यापीठ से सत्यापित किया गया है और सभी सही पाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि डॉ. संदीप सबलोक अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके, उनकी पदोन्नति को रोक रहे हैं, जैसा कि समाचारपत्र ने स्वयं प्रकाशित किया है।

प्रतिवादी संपादक को 20.01.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी संपादक ने 03.03.2020 को परिषद के सचिवालय में प्राप्त अदिनांकित लिखित वक्तव्य के माध्यम से, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि आक्षेपित समाचार, तथ्यात्मक दस्तावेजों के आधार पर और विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं को उजागर करने के लिए प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने आगे कहा कि विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति ने शिकायतकर्ता डॉ. अनुपमा कौशिक की नियुक्ति के संबंध में जून 2014 में चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत के साथ संलग्न किए गए अनुभव प्रमाण पत्र में और विश्वविद्यालय में आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्र में विसंगति है, जिससे स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता ने अपने लाभ के लिए विश्वविद्यालय को गुमराह किया है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि विवादित समाचार में इस्तेमाल किया गया शब्द "चहेते" (पसंदीदा) न केवल शिकायतकर्ता के लिए है, बल्कि सभी चयनित उम्मीदवारों के लिए है। प्रतिवादी ने कहा कि समाचार के प्रकाशन से, पहले अखबार के रिपोर्टर ने विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार, जनसंपर्क अधिकारी और विश्वविद्यालय के कुलपति की राय जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस संबंध में जानकारी नहीं दी। तब अखबार के रिपोर्टर ने समिति के अध्यक्ष श्री ए.पी. दुबे से संपर्क किया और उनका वक्तव्य अखबार में प्रकाशित किया गया। उन्होंने कहा है कि समाचार प्रकाशित होने के बाद, डॉ. अनुपमा कौशिक ने संबंधित रिपोर्टर पर खंडन प्रकाशित करने के लिए दबाव डाला, लेकिन रिपोर्टर ने विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट की मांग की, लेकिन आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया गया। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 24.06.2021 को प्रति टिप्पणियों के माध्यम से अपनी शिकायत को दोहराते हुए कहा है कि समाचार प्रोफेसर, ए.पी. दुबे की अध्यक्षता में अवैध रूप से गठित समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। उन्होंने कहा है कि कार्यवाहक कुलपति, प्रोफेसर कसाना द्वारा अवैध रूप से समिति का गठन किया गया था और इस समिति को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने 20.09.2014 को भंग कर दिया गया था। कार्यकारी परिषद ने यह भी निदेश दिया कि इस समिति सहित भंग की गई जांच समितियों की रिपोर्ट की कोई कानूनी वैधता नहीं होगी और उन्हें कुलपति सचिवालय में सीलबंद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विज्ञापन में वेतनमान की आवश्यकता नहीं थी, सहायक प्रोफेसर के रूप में केवल आठ साल का अनुभव आवश्यक था, जो उनके पास था। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रोफेसर ए.पी. दुबे अवैध समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने अखबार को यह नहीं बताया कि समिति अवैध थी और इसे वापस भंग कर दिया गया था और रिपोर्ट का उपयोग नहीं किया जाना था और इसे सीलबंद रखा जाना था, लेकिन प्रतिवादी अखबार ने उनसे संपर्क करने की जरूरत नहीं समझी। शिकायतकर्ता ने कहा है कि एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में, उनकी सेवा की पुष्टि 25.08.2015 को की गई थी और उन्हें 28.05.2016 से प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया गया था, जो यह दर्शाता है कि प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित समाचार गलत था।

प्रतिवादी से प्राप्त प्रत्युत्तर

प्रतिवादी संपादक ने अपने प्रत्युत्तर पत्र दिनांक 18.01.2021 द्वारा परिषद को सूचित किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा स्थानीय संवाददाता पर अनैतिक दबाव डाला जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि यह खबर सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालय में व्याप्त उच्च स्तर की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए प्रकाशित की गई थी। उन्होंने आगे कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा खबर का खंडन प्रकाशित करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस खबर को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी गयी है। हालांकि, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इस खबर को लेकर प्रेस नोट जारी करता है, तो उसे भी प्रकाशित किया जायेगा। प्रतिवादी ने यह भी बताया कि शिकायत के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों और आरटीआई के तहत विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के बीच काफी अंतर है।

शिकायतकर्ता से प्राप्त अगला पत्र

शिकायतकर्ता डॉ. (सुश्री) अनुपमा कौशिक ने अगले पत्र दिनांक 20.2.2021 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि संपादक ने कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि उक्त रिपोर्ट अवैध रूप से गठित

जांच समिति से ली गई थी। डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति ने 20.9.2014 को आयोजित अपनी 14वीं बैठक में इस समिति के साथ-साथ ऐसी अन्य जांच समितियों द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्ट वापस ले लीं। कार्यकारी परिषद ने यह भी निदेश दिया कि इस समिति सहित भंग की गई जांच समितियों की रिपोर्ट की कोई कानूनी वैधता नहीं होगी और उन्हें कुलपति सचिवालय में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय को उक्त रिपोर्ट आरटीआई में नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन विश्वविद्यालय में उनके जैसे बाहरी लोगों के खिलाफ, प्रोफेसर ए.पी. दुबे के नेतृत्व में एक स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जो उन्हें परेशान करना चाहता है, ताकि वह अपना पद छोड़ दें और वह अपने लोगों को उनके पद पर बैठा सकें। यही एक कारण है कि विश्वविद्यालय की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। उन्होंने आगे कहा कि न केवल 2020 तक उनकी पदोन्नति रोकी गयी, बल्कि प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा अपमानजनक समाचार के प्रकाशन से उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि वह एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए योग्य नहीं थीं और यह भी कि वह पुरुष कुलपतियों की पसंदीदा थीं। उन्होंने परिषद से मामले में फैसला देने का अनुरोध किया है, क्योंकि अब एक वर्ष से अधिक समय बीत गया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 2.3.2023 को नई दिल्ली में सुनवाई के लिए जांच समिति के समक्ष आया। शिकायतकर्ता ने वर्चुअल मोड से सुनवाई में भाग लिया, प्रतिवादी समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व श्री सुरेंद्र सेन ने किया।

यह शिकायत दिनांक 24.10.2019 को डॉ. (सुश्री) अनुपमा कौशिक, प्रोफेसर एवं प्रमुख, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन विभाग, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) द्वारा संपादक, राज एक्सप्रेस, भोपाल के विरुद्ध उनके अंक दिनांकित 09.09.2019 में **"फाइलों में दबी शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच"** शीर्षक के तहत, फर्जी, भ्रामक और मानहानिकारक लेख प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

डॉ. कौशिक का कहना है कि पूरी खबर झूठी है और इस खबर के प्रकाशित होने से उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। प्रतिवादी समाचारपत्र ने उसका पक्ष प्रकाशित नहीं किया है। राज एक्सप्रेस के संपादक द्वारा श्री सुरेंद्र सेन को जांच समिति के समक्ष उनका पक्ष रखने के लिए अधिकृत किया गया है। जांच समिति ने उनके संपादक से संपर्क कर यह पता लगाने को कहा कि यदि डॉ. कौशिक अपना पक्ष राज एक्सप्रेस अखबार को भेजेंगी, तो राज एक्सप्रेस उसे प्रमुखता से प्रकाशित करेगा या नहीं। संपादक, श्री संजय मेहता के निदेश पर, श्री सुरेंद्र सेन, जो संपादक, राज एक्सप्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, का कहना है कि संपादक ऐसा करने के लिए सहमत हो गए हैं। इन परिस्थितियों में, जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि राज एक्सप्रेस समाचारपत्र के संपादक को निदेश देते हुए, कि वह डॉ. (सुश्री) अनुपमा कौशिक का

वर्तन प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर, उसे प्रमुख स्थान पर प्रकाशित करे, शिकायत को समाप्त किया जा सकता है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करके कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा उपर्युक्त निदेशों के साथ मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय
दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 1889/2020-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
17. श्री एस.एस. भागवत, प्रभागीय वनाधिकारी, फील्ड निदेशक का कार्यालय, ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व, चंद्रपुर, महाराष्ट्र।	1. संपादक, लोकमत समाचार महाराष्ट्र। 2. श्री सहाय, पत्रकार, लोकमत समाचार, चंद्रपुर, महाराष्ट्र।

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 29.07.2020 को श्री एस.एस. भागवत, प्रभागीय वन अधिकारी, फील्ड निदेशक का कार्यालय, ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व, चंद्रपुर, महाराष्ट्र द्वारा समाचारपत्र लोकमत समाचार, महाराष्ट्र के संपादक और पत्रकार के खिलाफ अपने अंक दिनांकित 20.06.2020 में **"जानकारी मिलने पर भी वन विभाग ने जांच नहीं की"** शीर्षक के तहत कथित तौर पर गलत और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

आक्षेपित समाचार में ताडोबा अंधारी बाघ परियोजना क्षेत्र के कर्मियों की कथित अक्षमताओं पर रिपोर्ट दी गई थी। खबर में बताया गया कि सम्बद्ध कर्मी जंगल में शिकारियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई करने में विफल रहे।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि जून 2020 के पहले सप्ताह में, उसे टाइगर रिजर्व जंगल में कथित अवैध शिकार के संबंध में कुछ बिखरी हुई और अस्पष्ट जानकारी मिली और जांच शुरू करने में उसे 10 से 15 दिन लग गए, क्योंकि पर्याप्त साक्ष्य के बिना जांच नहीं की जा सकती थी। सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के बाद यह पता चला कि मामला उनके पर्यवेक्षण क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, लेकिन उन्होंने संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया। बाद में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि अखबार ने सही तथ्य दिए बिना, वन विभाग और शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए झूठी खबरें प्रकाशित की हैं। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि 23 जून 2020 को प्रतिवादी समाचारपत्र के संपादक को आक्षेपित समाचार के खिलाफ अपनी आपत्ति बताने के बाद भी उन्हें उनसे कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने भारतीय प्रेस परिषद से प्रतिवादी अखबार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी नंबर 1 और 2 का लिखित वक्तव्य

श्री सैयद अरशद अली, वरिष्ठ प्रबंधक - विधि, लोकमत मीडिया प्राइवेट। लिमिटेड, नागपुर ने दिनांक 28.01.2021 को लिखित वक्तव्य के माध्यम से, शिकायत में लगाए गए आरोपों का खंडन किया। उन्होंने आगे कहा कि उनके रिपोर्टर को विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, किसी अज्ञात व्यक्ति ने 1 या 2 जून 2020 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर के ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के प्रभागीय वन अधिकारी को बाघों और अन्य वन्यजीवों के अवैध शिकार के बारे में विशेष रूप से सूचित किया है। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में जानवरों के संबंध में समाचार प्रकाशित किया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि उक्त जानकारी अधिकारी को उस क्षेत्र का सीमांकन करने के साथ अवैध रूप से शिकार किए गए जानवरों की संख्या के विवरण के साथ दी गई थी, जहां शिकारियों द्वारा शिकार किए गए जानवरों के शवों का निपटान किया गया था। तथापि, टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने ऐसी सूचना पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि सूचक प्रकृति फाउंडेशन (एक गैर सरकारी संगठन) के निदेशक, वन्यजीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षक, श्री दीपक दीक्षित के पास गया और उन्हें टाइगर रिजर्व में चल रही अवैध शिकार गतिविधियों के बारे में बताया। श्री दीक्षित ने मुख्य वन संरक्षक के अपर प्रमुख को सूचित किया, जिन्होंने सूचना प्राप्त होने पर तुरंत कार्रवाई की और संबंधित अधिकारी को जांच करने का निदेश दिया। उक्त मामले में जांच करने पर 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और आरोपी व्यक्तियों के पास से टाइगर की 6 हड्डियां, मूंछ के बाल और 5 नाखून जब्त किए गए। उन्होंने आगे कहा है कि सूचना की सत्यता से संतुष्ट होने पर, प्रतिवादी संपादक ने उक्त जांच के तथ्य प्रकाशित किये।

प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों में प्रस्तुत किया कि वन क्षेत्र में अवैध शिकार के मुद्दे पर

समाचार कवरेज के संबंध में, प्रतिवादी द्वारा उससे संपर्क नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सूचक ने उन्हें अस्पष्ट जानकारी दी थी, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि जानकारी की कुछ पृष्ठभूमि के कारण, कुछ अन्य जांच एजेंसियों ने सावधानी बरतने की सलाह दी थी। शिकायतकर्ता इस बात पर भी सहमत थे कि उसने सूचना मिलने पर वहां तत्काल छापेमारी नहीं की, क्योंकि प्राप्त सूचना अपर्याप्त थी। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने एनजीओ के श्री दीक्षित को छापे की सीमाएं समझाईं और उन्हें आश्वस्त किया कि वह इस पर काम कर रहे हैं और उन्हें कुछ दिनों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वह सुस्त नहीं हैं और सूचना मिलने पर काम कर रहे हैं।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 17.4.2023 को मुंबई में सुनवाई के लिए जांच समिति के समक्ष आया। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं था, श्री मनोज मधुसूदन देशमुख, सहायक प्रबंधक, लोकमत, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए।

शिकायतकर्ता, प्रभागीय वन अधिकारी, क्षेत्र निदेशक कार्यालय, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व चंद्रपुर, महाराष्ट्र है। उन्होंने संपादक, लोकमत समाचार, महाराष्ट्र और श्री सहाय, पत्रकार, लोकमत समाचार, चंद्रपुर, महाराष्ट्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनके अनुसार, अखबार ने वन विभाग की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और शिकायतकर्ता को अपमानित और बदनाम करने के लिए झूठी खबर प्रकाशित की है, जिसका शीर्षक है **"जानकारी मिलने पर भी वन विभाग ने जांच नहीं की"** शिकायतकर्ता मौजूद नहीं है। लोकमत समाचार के सहायक प्रबंधक-विधि, श्री मनोज देशमुख उपस्थित हैं। शिकायतकर्ता को 31 मार्च 2023 को नोटिस भेजा गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरा नोटिस दिनांक 13.4.2023 को शिकायतकर्ता को एक ईमेल द्वारा सुनवाई की तारीख और सुनवाई के स्थान के बारे में सूचित करते हुए जारी किया गया था। परंतु शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि शिकायतकर्ता को मामले पर आगे मुकदमा चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए, जांच समिति, शिकायतकर्ता पैरवी न करने पर, परिषद से शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करती है और शिकायतकर्ता के पैरवी न करने पर, शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय
दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 470/2021-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
18. श्री आर.बी. माने, अधीक्षण अभियंता, एमएसईडीसीएल, वाशी सर्किल, वाशी, नवी मुंबई।	संपादक, स्प्राउट्स न्यूज़, अंग्रेजी दैनिक स्प्राउट्स, भांडुप (पश्चिम), मुंबई।

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 15.07.2021 को श्री आरबी माने, अधीक्षण अभियंता, एमएसईडीसीएल, (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड), वाशी सर्किल, नवी मुंबई द्वारा संपादक, स्प्राउट्स, अंग्रेजी दैनिक, भांडुप (पश्चिम), मुंबई के खिलाफ क्रमशः 21.06.2021, 01.07.2021 और 14.07.2021 के अंकों में "A multi crore scam in "Mahavitaran", "Mahavitaran loses crores of rupees due to Mane's underhand dealings" और "Corrupt officials are leading MSEDCL, towards bankruptcy", शीर्षकों के तहत कथित अपमानजनक, झूठे और तुच्छ समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

एमएसईडीसीएल के वाशी सर्कल के अधीक्षक अभियंता, राजाराम माने पर कई बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व को काफी नुकसान हुआ है। आगे बताया गया कि प्रभावित उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ने के बावजूद, उच्च स्तरीय एमएसईडीसीएल अधिकारी कथित तौर पर दोषी पक्ष को बचा रहे हैं। "स्प्राउट्स" के पास ऐसे दस्तावेज हैं, जो कथित तौर पर इन दावों का समर्थन करते हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 झूठी जानकारी प्रदान करने वाले उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाने की अनुमति देती है, और यदि उपभोक्ता का औचित्य वैध है, तो अधीक्षक के पास बिल वापस लेने का अधिकार है। तथापि, श्री माने पर आरोप है कि उन्होंने बिलों में हेराफेरी करके और करोड़ों रुपये एकत्र करके इस प्रावधान का दुरुपयोग किया। कई उपभोक्ताओं ने इस मामले को लेकर महावितरण में शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायतकर्ता, जो एमएसईडीसीएल में अधीक्षण अभियंता हैं, ने स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत किया है कि एक सरकारी अधिसूचना और एमएसईडीसीएल वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 316 दिनांक

11.03.2019 के अनुसार, उन्हें हाई-टेंशन उपभोक्ताओं के लिए मूल्यांकन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई उपभोक्ता सुनवाई के दौरान पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करता है, तो अंतिम मूल्यांकन आदेश राशि कम हो सकती है। शिकायतकर्ता इस बात पर जोर देता है कि अंतिम मूल्यांकन आदेश राशि को घटाने का अर्थ भ्रष्टाचार या उपभोक्ता के साथ कोई अंडरहैंड लेनदेन नहीं है।

इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने चिन्हित किया कि समाचार रिपोर्ट के संपादक ने अपने आप यह निष्कर्ष निकाला कि अंतिम मूल्यांकन आदेश में घटी हुई राशि, भ्रष्टाचार का संकेत देती है। हालांकि, शिकायतकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उपभोक्ताओं को अंतिम मूल्यांकन आदेश, यदि वे इससे असहमत हैं, उसके खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दर्ज़ करने का अधिकार है,

शिकायतकर्ता का दावा है कि उसने इस मामले पर प्रतिवादी का ध्यानाकृष्ट किया और 29.06.2021, 06.07.2021 और 15.07.2021 को आक्षेपित समाचारों के बारे में चिंता व्यक्त की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने परिषद से प्रतिवादी संपादक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है।

13.10.2021 को प्रतिवादी संपादक को कारण बताओ नोटिस सेवित किया गया।

लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी के परामर्शदाता ने दिनांक 09.11.2021 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया कि श्री योगेश खैरनार, उप महाप्रबंधक (आईटी), कोंकण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एक जांच शुरू की गई, और शिकायतकर्ता, श्री राजाराम माने, अधीक्षण अभियंता, एमएसईडीसीएल वाशी सर्कल के खिलाफ कुछ और जांच परिणाम प्रस्तुत किए गए। दिनांक 03.07.2021 की रिपोर्ट में कुछ विशिष्ट मामलों में सार्वजनिक धन को हुए, महत्वपूर्ण नुकसान पर प्रकाश डाला गया है, जैसे:

(क) मैसर्स लोमा आईटी पार्क डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एचटी उपभोक्ता संख्या 000159042520) को 800 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, क्योंकि श्री माने ने दो बार अनंतिम बिल दिया था, जो कानून का उल्लंघन है। (ख) मैसर्स लोमा को-डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एचटी उपभोक्ता संख्या 000159044930) एमएसईडीसीएल रिव्यू को 5.29 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, क्योंकि श्री माने ने उनके नाम पर दो गुना प्रोविजनल बिल जारी कर दिया था, जो कानून का उल्लंघन है। (ग) मैसर्स जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर (एचटी उपभोक ताओं संख्या 000119019931), उपभोक्ता बिल को धारा 126 मूल्यांकन के स्थान पर उसी अवधि के लिए, प्लेन मूल्यांकन करके गलत तरीके से संशोधित किया गया। वास्तव में, मूल्यांकन अधिकारी को धारा 126 में वर्णित मूल्यांकन प्रक्रिया या प्लेन मूल्यांकन

(केवल उसी मामले में, जहां उपयोग की अवधि स्थापित की जा सकती हो), जो भी अधिक हो, के अनुसार मूल्यांकन देना चाहिए। श्री माने ने न्यूनतम आंकलन करके, एमएसईडीसीएल के राजस्व में 3.61 करोड़ रुपये का नुकसान किया।

प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि रिपोर्ट से पता चलता है कि श्री राजाराम माने (शिकायतकर्ता) ने एचटी उपभोक्ताओं से जुड़े केवल तीन मामलों में एमएसईडीसीएल के राजस्व को 16.90 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। इस बात पर जोर दिया गया कि धारा 126 के तहत मूल्यांकन के लिए मैनुअल बिल जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, और मूल्यांकन बिल विशेष रूप से ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से दिए जाने चाहिए। इसके बावजूद, शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर कदाचार करते हुए, कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के बाद भी, मैनुअल बिल जारी करना जारी रखा। प्रतिवादी ने आगे कहा कि मेसर्स पावरिका और मेसर्स सुरेश फुटवियर जैसे उपभोक्ताओं ने पहले ही शिकायतकर्ता के खिलाफ जबरन वसूली के आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। इस समय, मामले की एमएसईडीसीएल द्वारा विभागीय जांच की जा रही है और यह मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। इसके अलावा, श्री राजाराम माने के खिलाफ माननीय लोकायुक्त के पास एक शिकायत दर्ज की गई है और इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 14 (3) के तहत, प्रेस परिषद किसी भी ऐसे मामले में जांच करने के लिए अधिकृत नहीं है, जिसके संबंध में कार्यवाही किसी भी न्यायालय में लंबित है। प्रतिवादी का कहना है कि एमएसईडीसीएल में उच्च प्राधिकारी, आंतरिक रूप से मामले की जांच कर रहे हैं, और शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान शिकायत, जांच से ध्यान हटाने के लिए दर्ज़ की गई है। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया।

<u>प्रति टिप्पणियाँ</u>

शिकायतकर्ता ने दिनांक 02.12.2021 को प्रति टिप्पणियों के माध्यम से, उसके खिलाफ दर्ज़, किसी भी लंबित कानूनी मामलों से इनकार किया। शिकायतकर्ता ने दो सदस्यीय समिति की जांच का हवाला दिया, जिसने निष्कर्ष निकाला कि प्रथम दृष्ट्या नहीं पाया गया कि कंपनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, और उपलब्ध रिकॉर्ड से, बिलों को जारी करने और उनमें संशोधन करने के पीछे के इरादों को स्थापित नहीं किया जा सका। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि राजस्व की कोई हानि नहीं देखी गई, क्योंकि एचटी उपभोक्ताओं ने आकलन राशि का भुगतान कर दिया है और वे आकलन अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं। शिकायतकर्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी का यह आरोप कि धारा 126 आकलन के तहत, सभी मामलों को मैन्युअल रूप से निपटाया जाता है और एक भी बिल अपलोड नहीं किया जाता है और ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से जारी नहीं किया जाता है, बिलकुल गलत है और उनका खंडन किया जाता है। शिकायतकर्ता ने बिजली उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एजेंट,

सूरज चक्रवर्ती पर आरोप लगाया कि वह एमएसईडीसीएल के अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए आदतन उनके खिलाफ निजी शिकायतें दर्ज करते हैं। उन्होंने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जांच के बाद कोई संज्ञेय अपराध नहीं पाए जाने के कारण कार्रवाई को बंद कर दिया गया।

<u>जांच समिति की रिपोर्ट</u>

यह मामला मुंबई में 17.4.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है, प्रतिवादी समाचारपत्र का प्रतिनिधित्व, सुश्री वैष्णवी वर्तक, अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

आरबी माने, अधीक्षण अभियंता, एमएसईडीसीएल, वाशी सर्कल ने संपादक, स्प्राउट्स न्यूज, अंग्रेज़ी दैनिक, स्प्राउट्स भांडुप (पश्चिम) मुंबई के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का मामला यह है कि प्रतिवादी समाचारपत्र ने दिनांक 21.06.2021, 01.02.2021 और 14.07.2021 के अंकों में ***"A multi crore scam in "Mahavitaran", "Mahavitaran loses crores of rupees due to Mane's underhand dealings"*** और ***"Corrupt officials are leading MSEDCL, towards bankruptcy***", शीर्षकों के तहत झूठी और अपमानजनक खबर प्रकाशित की है।

इन समाचारों में कई प्रश् न शामिल हैं। संक्षेप में कहें तो, समाचार, सैकड़ों बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के साथ हुई कथित छेड़छाड़ के बारे में हैं, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह पूरी तरह से झूठा आरोप है। प्रतिवादी ने अपने लिखित वक्तव्य में जो कुछ भी कहा था, उसे पुनः दोहराया है और यहां तक कि, शिकायतकर्ता के कथित कदाचार के मामलों के नमूने प्रस्तुत किए हैं। जांच समिति को श्री माने द्वारा सूचित किया गया था कि उन्होंने वाशी, पुलिस स्टेशन में प्रतिवादी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की है। प्रेस परिषद यह निर्णय नहीं ले सकती है कि वास्तव में श्री माने ने बिजली बिलों के साथ छेड़छाड़ की है, जैसा कि आरोप लगाया गया है या अन्य अवैधताएं की हैं, जिन्हें समाचारों में सूचीबद्ध किया गया है। इस तरह की कार्रवाई, प्रेस परिषद के दायरे में नहीं आती। श्री माने द्वारा दर्ज़ की गई शिकायत पर संबंधित न्यायालय द्वारा उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा, यदि यह अदालत में जाते हैं। हालांकि, जांच समिति ने पाया कि प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता द्वारा उसे लिखे गए पत्रों का जवाब नहीं दिया है। प्रतिवादी के लिए यह आवश्यक था कि यदि वह इस तरह के हानिकारक समाचारों को प्रकाशित करना चाहता है, जो स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता के हित के खिलाफ हैं, तो शिकायतकर्ता को पत्र भेजकर उसके बारे में उसका पक्ष जानना चाहिए था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता के पत्र का जवाब नहीं दिया, न ही उसने शिकायतकर्ता का पक्ष प्राप्त करने की कोशिश की है। शिकायतकर्ता

का कहना है कि वह 15 दिनों के भीतर प्रतिवादी अखबार को अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा। प्रतिवादी की परामर्शदाता, सुश्री वैष्णवी वर्तक ने कहा कि यदि शिकायतकर्ता अपना पक्ष प्रस्तुत करता है, तो प्रतिवादी इसे प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, प्रतिवादी समाचारपत्र में एक प्रमुख स्थान पर प्रकाशित करेगा। जांच समिति इन वक्तव्यों को स्वीकार करती है। शिकायतकर्ता के वक्तव्य को प्रकाशित किया जाए, जैसा कि प्रतिवादी के परामर्शदाता ने कहा है।

जांच समिति यह स्पष्ट करती है कि यह एक स्वतंत्र कार्रवाई है और शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज़ शिकायत पर मुकदमा चलाने में किसी भी तरह से बाधा नहीं होगी।

इन परिस्थितियों में, जांच समिति परिषद से प्रतिवादी के परामर्शदाता के वक्तव्य को स्वीकार करने और प्रतिवादी को उक्त वक्तव्य का पालन करने का निदेश देने के बाद शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा उपर्युक्त निदेशों के साथ मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय
दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 51/2020-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
19. श्री सुनील जी. गोडबोले,	संपादक,
अंधेरी (पूर्व),	लोकसत्ता,
मुंबई।	मुंबई।

तथ्य

यह शिकायत श्री सुनील जी. गोडबोले, अंधेरी (पूर्व), मुंबई द्वारा संपादक, लोकसत्ता, मुंबई के खिलाफ 11.01.2020 के अंक में **"केंद्र सरकार को नए मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषित संशोधित दंड पर पुनर्विचार करना चाहिए - परिवहन मंत्री"** (हिंदी वर्तन), शीर्षक के अंतर्गत कथित तौर पर झूठे और अपमानजनक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

समाचार में बताया गया कि केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि चूंकि महाराष्ट्र राज्य ने, राष्ट्रपति शासन के नए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के अनुसार संशोधित दंडों को लागू नहीं किया है, इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। लेकिन राज्य परिवहन मंत्री ने सूचित किया कि वे जुर्माना राशि को कम करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव देंगे और नए मोटर वाहन संशोधन अधिनियमों के अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव, उन लोगों को भारी सजा देने के इरादे से किया है जो मौतों और गंभीर दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। दिवाकर राउते ने केंद्र सरकार से इन दंडों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था और इस वजह से नए नियमों के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया गया था। यह बताया गया है कि नए अधिनियम को लागू करने से पहले केंद्र सरकार के साथ इस पर चर्चा की जाएगी।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी समाचारपत्र दावा कर रहा है कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को एक पत्र भेजा है कि अगर नया मोटर वाहन अधिनियम लागू नहीं किया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा और शिकायतकर्ता के अनुसार, यह अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि किसी भी समाचार चैनल, समाचार पत्र ने ऐसी खबर नहीं दी है। इस संबंध में उन्होंने (शिकायतकर्ता ने) अखबार से खबर का अधिक विवरण प्रदान करने के लिए कहा, क्योंकि यह पीटीआई की खबर नहीं है जैसा कि समाचार सामग्री से प्रतीत होता है, यह उनके अपने संवाददाता से द्वारा दी गई खबर है।

प्रतिवादी संपादक, लोकसत्ता को 16.03.2020 को कारण बताओ नोटिस सेवित किया गया था।

लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी संपादक, लोकसत्ता ने दिनांक 10.11.2020 के अपने लिखित वक्तव्य में बताया है कि शिकायतकर्ता, व्यक्तिगत रूप से समाचार रिपोर्ट से प्रभावित नहीं है, तो शिकायतकर्ता को हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है, और शिकायत को खारिज किया जाना चाहिए। प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया है कि समाचार संशोधित, मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं करने के बारे में माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रुख से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य ने अत्यधिक जुर्माने पर आपत्ति की थी और उन्हें लागू नहीं किया था। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि समाचार रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए सरकार के 6 जनवरी, 2020 के पत्र पर आधारित एक सच्ची और सटीक रिपोर्ट है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि अन्य प्रमुख समाचार पत्रों ने भी इसी तरह की खबरें प्रकाशित की हैं। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि लोकसत्ता द्वारा प्रकाशित समाचार रिपोर्ट में "अनुच्छेद 356" के बजाय "राष्ट्रपति शासन" का उल्लेख किया गया है, क्योंकि आम पाठक यह समझ पायें या न समझ पायें कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 356, किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति के संदर्भ में है। प्रतिवादी ने

कहा कि समाचार रिपोर्ट में संशोधित, मोटर वाहन अधिनियम के कार्यान्वयन पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच मतभेदों पर रिपोर्ट की गई है। प्रतिवादी ने कहा है कि आक्षेपित रिपोर्ट सद्भावना और जनहित में दी गई थी और इस विशेष मामले में, शिकायतकर्ता को यह शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 22.12.2020 की अपनी प्रति टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विधि मंत्रालय से सलाह मांगी थी। इसका उल्लेख लोकसत्ता समाचार में कहीं नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर कुबेर के लेख के बारे में प्रेस परिषद के निर्णय का हवाला दिया है, जिसमें भारतीय प्रेस परिषद ने लोकसत्ता के खिलाफ, किसी की शिकायत स्वीकार कर ली है और कुबेर को दोषी घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि लोकसत्ता मुख्यमंत्री के झूठ को उजागर करने वाला कोई भी पत्र प्रकाशित नहीं करेगा।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला मुंबई में 18.4.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। जबकि शिकायतकर्ता श्री गौतम भागवत के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है, प्रतिवादी समाचारपत्र का प्रतिनिधित्व इसके अधिवक्ताओं, श्री प्रणित कुलकर्णी, सुश्री पूर्वी कमानी, सुश्री तेजस्वी घाग और श्री शिवम सिंह द्वारा किया गया।

यह शिकायत श्री गोडबोले ने लोकसत्ता, मुंबई के संपादक के खिलाफ दर्ज की है। शिकायतकर्ता की आपत्ति दिनांक 11.1.2020 के अंक में **"केंद्र सरकार को नए मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषित संशोधित दंड पर पुनर्विचार करना चाहिए - परिवहन मंत्री"** शीर्षक के अंतर्गत समाचार को लेकर है। श्री गोडबोले के अनुसार, उक्त समाचार रिपोर्ट में केवल महाराष्ट्र राज्य का उल्लेख किया गया है, जबकि केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को मोटर वाहन अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में अनुदेश जारी किए थे। जांच समिति ने यहां उपस्थित, श्री गोडबोले को विस्तार से सुना। श्री गोडबोले कहते हैं कि लोकसत्ता को यह प्रस्तुत करते हुए सही खबर प्रकाशित करनी चाहिए थी कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चेतावनी दी थी, न कि केवल महाराष्ट्र राज्य को।

जांच समिति ने प्रतिवादी की ओर से पेश परामर्शदाता, श्री प्रणित कुलकर्णी को भी सुना। उन्होंने हमारा ध्यान केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी, 2020 जारी उस पत्र की ओर आकृष्ट किया है, जिसमें सभी राज्यों को नए मोटर वाहन अधिनियम को सही तरीके से लागू करने के लिए कहा गया है। प्रतिदवंदवी

दलीलों पर विचार करने के बाद, जांच समिति की राय है कि पत्रकारिता के आचरण के मानकों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। प्रतिवादी समाचारपत्र ने कोई गलत या असत्यापित समाचार प्रकाशित नहीं किया है। यह तथ्य कि इसने अन्य राज्यों का संदर्भ नहीं दिया है, इतना गंभीर मुद्दा नहीं है। जांच समिति परिषद से शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 14/437/2019-20-पीसीआई

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
20. श्री भाग्य एम.जी., अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, स्केनरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक।	1. संपादक, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, चेन्नई, तमिलनाडु। 2. सुश्री बाला चौहान, वरिष्ठ विशेष संवाददाता, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, चेन्नई, तमिलनाडु।

तथ्य

यह शिकायत 28.11.2019 को स्केनरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, मैसूरु, कर्नाटक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, श्री भाग्य एम.जी. द्वारा द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के संपादक और न्यू इंडियन एक्सप्रेस की वरिष्ठ विशेष संवाददाता, सुश्री बाला चौहान के खिलाफ उनके अंक दिनांकित 10.11.2019 में शीर्षक ***"I-T Department Raids 3 Medical Equipment*** Firms" के तहत कथित तौर पर झूठी और अपमानजनक खबर प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि आयकर महानिदेशालय (जांच), कर्नाटक और गोवा ने 6 नवंबर को तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान, चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण निर्माण में बड़े पैमाने पर आईटी धोखाधड़ी का खुलासा किया है। इसके अलावा यह बताया गया है कि (समाचार कतरन का प्रासंगिक उद्धरण पुनः प्रस्तुत किया गया है) *"A searched group – Skanray Technologies-have also allegedly admitted unaccounted income of Rs.71.39 crore consequent to transfer of shares held in foreign and domestic companies,"* अधिकारी ने कहा। उन्होंने आगे बताया, *"On examination of their books, the tax officials have reportedly unearthed discrepancies of Rs.174.70 crore. The tax officials have seized Rs.1.77 crore cash and 2 kg jewellery worth Rs.70.00 lakh from the residence of one of their employees,"* आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कर अधिकारियों ने 'उनके बही-खातों की जांच में कथित तौर पर 174.70 करोड़ रुपये की विसंगतियों का पता लगाया है। कर अधिकारियों ने उनके एक कर्मचारी के आवास से 1.77 करोड़ रुपये नकद और 70.00 लाख रुपये मूल्य के दो किलोग्राम आभूषण जब्त किए हैं।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि उक्त समाचारपत्रों में उपर्युक्त वक्तव्य सच्चाई से परे है और ऐसा प्रतीत होता है कि तथ्यों की पुष्टि किए बिना ही उद्धरण समाचारपत्र के संपादकों/पत्रकारों ने इसे गलत इरादे से प्रकाशित किया है, जिसका कारण उन्हें ही पता है। उन्होंने कहा है कि आयकर अधिकारी को कभी भी कोई नकद लेनदेन, सोना या अवैध लेनदेन नहीं मिला, जैसा कि समाचारपत्रों द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसे संबंधित आईटी अधिकारियों द्वारा जारी स्पॉट पंचनामा के माध्यम से ही प्रमाणित किया जाता है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि इस तरह की अपमानजनक खबर के प्रकाशन से कंपनी की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि स्केनरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक द्वारा संपर्क किए जाने के बाद, सुश्री बाला चौहान के न्यू इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दिनांक 09.11.2019 को प्रकाशित किए गए समाचार के ऑनलाइन संस्करण को तुरंत 10.11.2019 को वापस ले लिया गया और एक स्पष्टीकरण भी जारी किया गया, लेकिन समाचारपत्र द्वारा न्यू इंडियन एक्सप्रेस के प्रिंट संस्करण में न तो इसे वापस लिया गया और न ही इस विषय में कोई स्पष्टीकरण प्रकाशित किया गया। 12.11.2019 को, शिकायतकर्ता ने फिर से न्यू इंडियन एक्सप्रेस को एक पत्र जारी किया, जिसमें उनसे स्पष्टीकरण प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया, लेकिन प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने परिषद से अनुरोध किया है कि वह प्रतिवादियों को माफी नामा जारी करने/प्रकाशित करने का निदेश दे।

20.03.2020 को प्रतिवादी संपादक न्यू इंडियन एक्सप्रेस, सुश्री बाला चौहान, वरिष्ठ विशेष संवाद्दाता न्यू इंडियन एक्सप्रेस, चेन्नई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

न्यू इंडियन एक्सप्रेस की वरिष्ठ विशेष संवाद्दाता, सुश्री बाला चौहान द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

सुश्री बाला चौहान, रिपोर्टर, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने दिनांक 05.02.2021 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से उन पर लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए प्रस्तुत किया है कि सम्पूर्ण समाचार रिपोर्ट आईटी कर्मियों द्वारा स्केनरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सहित तीन मेडिकल उपकरण फर्मों पर की गई छापेमारी पर दी गई जानकारी के आधार पर प्रकाशित की गई थी और यह खबर सद्भावना में और शिकायतकर्ता को बदनाम करने के किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे के बिना प्रकाशित की गई थी। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि स्केनरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, श्री विश्वप्रसाद अल्वा ने प्रतिवादी से संपर्क किया और तथ्यों पर अपना पक्ष दिया और उसे तुरंत ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित किया गया, जैसा कि शिकायतकर्ता ने भी अपनी शिकायत में स्वीकार किया था। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि उन्होंने दिनांक 07.12.2019 के अपने अंक में शीर्षक "***we are tax compliant: Skanray Technologies***" के तहत शिकायतकर्ता का वक्तव्य प्रकाशित किया है और 27.12.2019 को शिकायतकर्ता को भी इसके बारे में सूचित किया गया है।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के संपादक द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी संपादक; द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने दिनांक 08.02.2021 के जवाब के माध्यम से द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की वरिष्ठ विशेष संवाद्दाता अर्थात्, सुश्री बाला चौहान द्वारा दर्ज किये गये जवाब को दोहराया है।

शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 09.02.2021 की प्रति टिप्पणी

शिकायतकर्ता ने 09.02.2021 की अपनी प्रति टिप्पणियों में कहा है कि वरिष्ठ आईटी अधिकारियों ने मीडिया को कोई वक्तव्य देने से इनकार कर दिया। उन्होंने परिषद से अनुरोध किया है कि वह सुश्री बाला चौहान को आईटी की आधिकारिक विज्ञप्ति पेश करने का निदेश दें, जिसे अपने पास होने का उन्होंने दावा किया है और यदि उनका वक्तव्य सही पाया जाता है, तो वे मामले में आवश्यक कानूनी सहारा लेंगे। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली झूठी खबरों के लिए व्यापक कवरेज के विपरीत, छोटे प्रिंट में माफी के बिना छोटे फोंट में स्पष्टीकरण प्रकाशित करना जोकि दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक नहीं है। इसके अलावा, सुश्री बाला चौहान और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने स्पष्टीकरण के प्रकाशन द्वारा स्वीकार किया है कि प्रकाशित मूल समाचार गलत था और उन्हें अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

<u>जांच समिति की रिपोर्ट</u>

यह मामला मुंबई में 18.4.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता की ओर से, श्री भाग्य एम.जी., कंपनी सचिव, विक्रांत सिंह और अधिवक्ता प्रिया सिंह पेश हुए, प्रतिवादी अखबार का प्रतिनिधित्व श्री दीपक वाई चिटनिस, अधिवक्ता ने किया।

स्केनरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, श्री भाग्य एम.जी. ने 1. संपादक, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, चेन्नई, तमिलनाडु 2. सुश्री बाला चौहान, वरिष्ठ विशेष संवाद्दाता, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, चेन्नई, तमिलनाडु के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का पक्ष यह है कि प्रतिवादी समाचारपत्र ने 10 नवंबर, 2019 के अपने अंक में प्रकाशित किया कि स्केनरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के व्यावसायिक परिसर पर छापा मारा गया था। समाचार का शीर्षक निम्नानुसार है:

"I-T Department Raids 3 Medical Equipment Firms,"

शिकायतकर्ता से संबंधित प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:-

तलाशी लिए गए अन्य समूह - स्केनरे टेक्नोलॉजीज - ने भी विदेशी और घरेलू कंपनियों में रखे शेयरों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप कथित 71.39 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय की बात स्वीकार की है, "अधिकारी ने कहा, "उनके बही-खातों की जांच में, कर अधिकारियों ने कथित तौर पर 174.70 करोड़ रुपये की विसंगतियों का पता लगाया है। आयकर अधिकारियों ने उनके एक कर्मचारी के आवास से 1.77 करोड़ रुपये नकद और 70 लाख रुपये मूल्य के दो किलोग्राम आभूषण जब्त किए हैं।

स्वीकार किया गया है कि छापा मारा गया था, लेकिन स्केनरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के व्यावसायिक परिसर से या इसके किसी भी कर्मचारी के निवास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था।

इसलिए, यह खबर झूठी है। प्रतिवादियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि समाचार प्रकाशित होने के बाद और प्रतिवादी को इस तथ्य का पता चलने पर कि हालांकि, छापा मारा गया था, शिकायतकर्ताओं के पास से कुछ भी बरामद नहीं किया गया था, उन्होंने 10 नवंबर, 2019 को एक ई-स्पष्टीकरण प्रकाशित किया था जब लेख प्रकाशित हुआ था। प्रतिवादियों द्वारा 7 दिसंबर, 2019 को अपने समाचारपत्र के मुद्रित संस्करण में फिर से स्पष्टीकरण प्रकाशित किया गया था।

जांच समिति की राय है कि यदि प्रतिवादी शिकायतकर्ता के बारे में इस तरह की हानिकारक खबर प्रकाशित करना चाहता था, तो उन्हें शिकायतकर्ता को फोन करना चाहिए था, उचित सत्यापन करना चाहिए था और फिर समाचार प्रकाशित करना चाहिए था। दूसरे, उन्हें एक उचित माफी प्रकाशित करनी

चाहिए थी, न कि केवल एक स्पष्टीकरण। जांच समिति ने दिनांक 7 दिसंबर, 2019 का स्पष्टीकरण पढ़ा है। इसमें कोई माफी नहीं मांगी गई है और कहा गया है कि नकदी और आभूषणों की जब्ती और कथित कर उल्लंघन के बारे में खबर अनजाने में प्रकाशित की गई थी। इसे किसी भी तरह माफी नहीं कहा जा सकता। माफी स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए। जांच समिति ने प्रतिवादी के वकील से पूछा कि क्या प्रतिवादी अपने अखबार में एक प्रमुख स्थान पर माफी नामा प्रकाशित करेगा। प्रतिवादी के विधि अधिकारी, श्री गोपालन से बात करने के बाद विद्वान वकील ने कहा कि प्रतिवादी इस गलत रिपोर्टिंग के लिए बिना शर्त माफी प्रकाशित करेगा। जांच समिति प्रतिवादी के वकील द्वारा दिए गए वक्तव्य को स्वीकार करती है। वकील द्वारा लिखित माफीनामे का एक मसौदा जांच समिति को सौंप दिया गया है। दोनों ने मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उक्त मसौदे को 'ए' चिह्नित किया गया है। प्रतिवादी के वकील का कहना है कि उक्त माफी दो सप्ताह के भीतर प्रकाशित की जाएगी।

जांच समिति इस वक्तव्य को स्वीकार करती है। जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि वह प्रतिवादी के वकील के वक्तव्य को स्वीकार करे और उपर्युक्त शर्तों के साथ शिकायत को समाप्त करे।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और उपर्युक्त निदेश के साथ शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

साम्प्रदायिक, जातीय, राष्ट्र-विरोधी तथा पंथ-विरोधी लेख

न्यायनिर्णय

दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 14/256/19-20-पीसीआई

शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
21. श्री एस. पुष्पवनम, सचिव, उपभोक्ता संरक्षण परिषद, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु।	संपादक, द हिंदू, चेन्नई।

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 29.7.2019 को श्री एस. पुष्पवनम, सचिव, उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा संपादक, द हिंदू के विरुद्ध निम्नलिखित शीर्षकों के तहत आधारहीन और भ्रामक समाचार लेखों के प्रकाशन का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई है:

क्र.सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	Muslim man shot at for his name	28.5.2019
2.	A thread of fear and hate	8.6.2019
3.	Muslim youth lynched in West Bengal	1.7.2019

पहले आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि बिहार के बेगुसराय जिले में एक मुस्लिम व्यक्ति, श्री मोहम्मद कासिम को हमलावर द्वारा उसका नाम पूछे जाने के बाद, कथित तौर पर गोली मार दी गई थी। घटना के बारे में बोलते हुए घायल, श्री कासिम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। समाचार में एक पीड़ित के हवाले से कहा गया है कि "मुझे राजीव यादव ने रोका और मेरा नाम पूछा... जब मैंने उसे नाम बताया, तो उसने मुझ पर यह कहते हुए गोली चला दी कि 'तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पाकिस्तान जाना चाहिए' (हिंदी वर्तन) और जब उसने श्री राजीव यादव को देखा, जो उस समय नशे में थे और अपनी पिस्तौल लोड करने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने उन्हें धक्का दिया और भागने की कोशिश की। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि श्री कासिम द्वारा दर्ज करायी गयी एफ़आईआर पर छापेमारी की गई।

दूसरे आक्षेपित समाचार में बताया गया है कि श्री कासिम घर-घर जाकर डिटर्जेंट बेचते थे। उन्होंने अपनी मोटर साइकिल एक दुकान के बाहर खड़ी की थी, तभी अचानक एक आदमी (बाद में पहचान राजीव यादव के रूप में हुई) ने उन्हें बाइक बंद करने के लिए कहा। उस आदमी ने उसका नाम पूछा और उसने कासिम को पाकिस्तान जाने के लिए कहा। एक ही क्षण में, उसने अपनी कंट्री रिवॉल्वर निकाली और कासिम को गोली मार दी। श्री कासिम श्री राजीव यादव से परिचित नहीं थे और उन्होंने पुलिस को बताया कि मुस्लिम होने के कारण उन पर गोली चलाई गई थी, लेकिन एस.पी., बेगुसराय ने श्री कासिम के दावे के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की।

तीसरे आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि एक मुस्लिम युवक को पांच या छह व्यक्तियों ने पीटा। भाजपा के मुख्य सचेतक और बैष्णबनगर विधायक, श्री स्वाधीन सरकार ने कहा कि मृतक पर मोटरसाइकिल चोरी करने का संदेह था और स्थानीय लोगों ने उसे बाजार क्षेत्र में पकड़ लिया। स्थानीय

युवकों ने पिटाई शुरू कर दी और दुर्भाग्य से उस व्यक्ति की मौत हो गई। घटना को कोई हिंदू-मुस्लिम एंगल नहीं दिया जाना चाहिए।

शिकायतकर्ता ने कहा कि प्रतिवादी समाचारपत्र मुस्लिम समुदाय को भड़काना चाहता है और अगर किसी प्रकार का प्रतिशोध लिया जाता है तो उसे खुशी होगी। दूसरे शब्दों में, वह सांप्रदायिक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि ऐसे मामलों में, प्रेस परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार समुदाय के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे विवेचित किया कि प्रतिवादी ने इस तथ्य को प्रकाशित नहीं किया कि श्री राजीव यादव एक कट्टर अपराधी था और जब घटना हुई तो वह नशे में था और उसकी हरकत मौखिक द्वंद्व की परिणति थी। प्रतिवादी समाचारपत्र ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि जिस व्यक्ति ने श्री कासिम को अस्पताल भेजा था, वह हिंदू था और गोली लगने के बाद, उनकी मदद करने वाले लोगों में कुछ हिंदू भी थे। इसके अलावा, समाचारपत्र ने समाचार के बीच में एक रिवॉल्वर की तस्वीर प्रकाशित करके, हिंसा का महिमामंडन किया है, जिससे पता चलता है कि देश में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने परिषद से इस मामले की जांच कराने का अनुरोध किया है।

परिषद ने दिनांक 24.9.2019 को प्रतिवादी संपादक को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

<u>प्रतिवादी द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य</u>

श्री सुरेश नामबाथ, संपादक, द हिंदू ने दिनांक 1.10.2019 के लिखित वक्तव्य में प्रस्तुत किया है कि समाचार, सद्भावना और सत्य को जानने हेतु प्रकाशित किए गए थे और वे विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र की गई विश्वसनीय जानकारी पर आधारित थे। उन्होंने आगे कहा कि समाचार और लेख के बारे में शिकायतकर्ता की व्याख्या गलत और अत्यधिक कल्पनाशील है। आरोपी के स्थानीय अपराधी होने और उसके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित होने के संबंध में अन्य सभी विवरण बाद के लेख में स्पष्ट रूप से उल्लिखित थे। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि आरोपी के खिलाफ दर्ज की जा रही एफआईआर प्रकाशित की गई थी और पुलिस अधीक्षक का बयान भी समाचार में उद्धृत किया गया था। द हिंदू अपने पाठकों को उसकी गिरफ्तारी के बारे में तभी सूचित कर सकता है, जब आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया हो और यह तथ्य अंततः लेख में प्रकाशित किया गया। जहां तक अखबार समाचारपत्र में प्रकाशित आरोपी के धर्म का संबंध है, प्रतिवादी ने कहा कि समाचार में पीड़ित के धर्म का उल्लेख केवल इस कारण से किया गया था कि एफआईआर में पीड़ित का बयान इस प्रकार है: "मुझे एक मुस्लिम होने के नाते गोली मार दी गई थी" बयान "द हिंदू" द्वारा नहीं दिया गया था, बल्कि स्पष्ट रूप से पीड़ित का था और 'हिंदू' ने कभी भी सांप्रदायिक और/या धार्मिक विवादों/संघर्षों को भड़काने के लिए प्रोत्साहित/या उसका इरादा नहीं किया है, जैसा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 19.11.2019 को अपनी प्रति टिप्पणियों में प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी द्वारा दिया गया उत्तर, उठाए गए मुद्दों से परे है और केवल अंतिम पैराग्राफ में उन्होंने उत्तर देने का एक कमजोर प्रयास किया है। उनका मानना है कि चूंकि उन्होंने दस दिन बाद प्रकाशित एक पेज के लेख में कुछ तथ्य शामिल कर दिए थे, इसलिए 28 मई की उनकी खबर सही हो गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, कोई तर्कसंगत रूप से यह मान सकता है कि पाठक समाचार और लेख को जोड़ने में सक्षम होंगे, यदि उन्हें समाचार याद है। लेकिन प्रतिवादी द्वारा कोई भी संदर्भ नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी ने आक्षेपित समाचार के केंद्र में दर्शायी गई रिवॉल्वर की तस्वीर के पक्ष में कुछ नहीं कहा है, जो एक भयानक संदेश देता है। हिंदू रीडर संपादक द्वारा दिनांक 23.9.2019 के एक अन्य लेख की एक प्रति प्रदान करते हुए, शिकायतकर्ता ने बताया कि न केवल उन्होंने, बल्कि कई अन्य लोगों ने भी अपने समाचारों के माध्यम से सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने के द हिंदू के प्रयासों के खिलाफ शिकायत की है और उन्होंने उनके पत्रकारिता के तरीके के खिलाफ विरोध भी किया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला दिनांक 2.3.2023 को नई दिल्ली में सुनवाई के लिए जांच समिति के समक्ष आया।

उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सचिव, श्री एस. पुष्पवनम द्वारा संपादक, 'द हिंदू' के खिलाफ दिनांक 29.7.2019 को शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें निम्नलिखित शीर्षकों के तहत आधारहीन और भ्रामक समाचार लेख प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है:

क्र.सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	Muslim man shot at for his name	28.5.2019
2.	A thread of fear and hate	8.6.2019
3.	Muslim youth lynched in West Bengal	1.7.2019

पहले आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि बिहार के बेगुसराय जिले में एक मुस्लिम, श्री मोहम्मद कासिम को हमलावर द्वारा उसका नाम पूछे जाने के बाद, कथित तौर पर गोली मार दी गई थी। समाचार में आगे बताया गया है कि घायल श्री कासिम का घटना के बारे में बात करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। समाचार में पीड़ित को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि "मुझे राजीव यादव ने रोका और मेरा नाम पूछा...जब मैंने उसे बताया तो उसने मुझ पर गोली चला दी और कहा, 'तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए।" पीड़ित ने वीडियो में

आगे बताया कि राजीव यादव नशे में था और जब वह अपनी पिस्तौल में दूसरा कारतूस लोड करने लगा, तो पीड़ित ने उसे धक्का दे दिया और अपनी मोटर साइकिल छोड़कर भाग गया. राजीव यादव ने उसकी पीठ में गोली मार दी। समाचार में आगे बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक ने अपने वक्तव्य में बताया है कि श्री कासिम द्वारा दर्ज करायी गयी एफ़आईआर के आधार पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने जनता से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहें न फैलाएं और देश के सामाजिक ताने-बाने को खराब न करें।

दूसरे आक्षेपित समाचार में बताया गया कि श्री कासिम घर-घर जाकर डिटर्जेंट पाउडर बेचते थे। यह बताया गया है कि उसने अपनी मोटर साइकिल एक पान की दुकान के बाहर खड़ी की थी। अचानक एक आदमी (जिसे बाद में राजीव यादव के रूप में पहचाना गया) ने उसे बाइक बंद करने के लिए कहा। उस आदमी ने उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम कासिम बताया, राजीव यादव ने उनसे पाकिस्तान जाने को कहा। एक क्षण में, उसने अपनी कंट्री रिवॉल्वर निकाली और कासिम पर गोली चला दी। आगे बताया गया है कि श्री कासिम, श्री राजीव यादव से परिचित नहीं थे और उन्होंने पुलिस को बताया कि मुस्लिम होने के कारण उन पर गोली चलाई गई थी, लेकिन एस.पी.बेगूसराय ने श्री कासिम के दावे के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की।

दिनांक 01.07.2019 को प्रकाशित तीसरे आक्षेपित समाचार में यह बताया गया कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक मुस्लिम युवक, जिसे उसके कुछ परिचितों ने पीटा था, की चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई। बाद में, श्री सनाउल्लाह शेख, जिनकी उम्र लगभग बीस वर्ष थी, को उनके गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर बैष्णबनगर बाजार में बुलाया गया। उसे बाइक स्टार्ट करने के लिए कहा गया ताकि उसे चोरी करने वाले के रूप में फंसाया जा सके। इसके बाद पांच-छह लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। भाजपा के मुख्य सचेतक और बैष्णबनगर विधायक, श्री स्वाधीन सरकार ने कहा कि मृतक पर मोटरसाइकिल चोरी करने का संदेह था और स्थानीय लोगों ने उसे बाजार क्षेत्र में पकड़ लिया था। स्थानीय युवकों ने पिटाई शुरू कर दी और दुर्भाग्य से उस व्यक्ति की मौत हो गई। घटना को कोई हिंदू-मुस्लिम एंगल नहीं दिया जाना चाहिए।

शिकायतकर्ता ने अपने मामले पर ऑनलाइन तर्क दिये। शिकायतकर्ता का मामला है कि प्रतिवादी समाचारपत्र, मुस्लिम समुदाय को भड़काना चाहता है और इसीलिए ऐसी खबरें प्रकाशित की जाती हैं। श्री पुष्पवनम के अनुसार प्रेस परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी समुदाय के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रेस परिषद के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। आगे यह भी कहा गया है कि श्री राजीव यादव, जिसने घायल हुए कासिम पर गोली चलाई थी, कट्टर अपराधी था। उसके खिलाफ मामले दर्ज किये गये हैं और घटना के वक्त वह नशे में था। श्री पुष्पवनम जो कहना चाहते हैं

वह यह है कि इन तथ्यों के बावजूद 'द हिंदू' ने यह धारणा बनाने की कोशिश की है कि श्री कासिम को गोली मारी गई थी, क्योंकि वह मुस्लिम थे। आगे यह भी कहा गया है कि इस समाचार के बाद 8 जून को लेख प्रकाशित किया गया था। श्री पुष्पवनम के अनुसार, 1.7.2019 को द हिंदू ने खबर प्रकाशित की, कि पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। इसलिए, 'द हिंदू' सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने के लिए लेख प्रकाशित कर रहा है और हिंदुओं को निशाना बना रहा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वास्तव में, कासिम को हिंदुओं द्वारा चिकित्सा सहायता दी गई थी, जिसे प्रकाशित नहीं किया गया है।

हमने 'द हिंदू' की ओर से अधिवक्‍ ता, श्री रामानुजय और सुश्री आर. राधा को सुना। आक्षेपित समाचारों और लेखों को पढ़ने पर हमने कहीं यह नहीं पाया कि कहीं भी पत्रकारिता के आचरण के मानकों का कोई उल्लंघन हुआ है या भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित किसी भी दिशानिर्देश का उल्लंघन हुआ है। समाचारों से यह स्पष्ट है कि श्री कासिम ने अपने बयान में कहा है कि उनसे उनका नाम पूछा गया था और जब उन्होंने अपना नाम बताया तो उनसे कहा गया कि उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए और जब वह वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें पीठ में गोली मार दी गई। समाचार, वीडियो रिकॉर्डिंग और एफआईआर से एकत्र किए गए तथ्यों पर आधारित हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि 'द हिंदू' ने तथ्यों की जांच किए बिना या सामग्री एकत्र किए बिना यह खबर प्रकाशित की है। अजीबोगरीब बात यह है कि खबर में समुदाय का नाम बताया गया है। दरअसल, उसी घटना के संबंध में लेख में यह कहा गया है कि श्री राजा राम साहनी नाम के एक हिंदू ने उन्हें पुलिस के पास ले जाने की पेशकश की। इसके बाद उसे एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। लेख से पता चलता है कि डॉ. अशोक कुमार ने उनका इलाज किया। इसलिए, श्री पुष्पवनम का यह तर्क कि हिंदुओं द्वारा प्रदान की गई सहायता को जानबूझकर समाचारों में नहीं बताया गया था, किसी भी तथ्य से परे है। यह भी कहा गया है कि राजीव यादव नशे में था और स्थानीय अपराधी था। तीसरी खबर भी उस इलाके के लोगों के बयानों पर आधारित है, जहां घटना हुई थी। इन परिस्थितियों में जांच समिति परिषद से शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 14/419 & 613/18-19-पीसीआई

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
22-23. श्री अनिल कुमार बाबूराव सोनकमले, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।	1. संपादक, दैनिक लोकमत, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। 2. संपादक, दिव्य मराठी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 8.11.2018 को श्री अनिलकुमार बाबूराव सोनकमले, औरंगाबाद, महाराष्ट्र द्वारा (1) दैनिक लोकमत और (2) दिव्य मराठी के विरुद्ध उनके निम्नलिखित संबंधित अंकों में कथित तौर पर "दलित" शब्द का उपयोग करने के लिए दर्ज़ की गई है:

क्र.सं.	**शीर्षक (हिंदी वर्तन)**	**समाचारपत्र**	**दिनांक**
1	दलित बस्ती सुधार योजना लंबित	लोकमत	10.12.2018
2	दलित बस्ती के 24 करोड़ रुपये के विकास कार्यक्रम ठंडे बस्ते में	दिव्य मराठी	17.1.2019

शिकायतकर्ता ने समाचारों में 'दलित' शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। उनके अनुसार, अखबारों ने दलित शब्द का इस्तेमाल कर, समाज के एक खास वर्ग के साथ दुर्व्यवहार और उसका अपमान किया है। इसलिए प्रतिवादी समाचार पत्रों ने वृत्तिक कदाचार किया है। उनके अनुसार, दोनों खबरें महाराष्ट्र सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में जिला परिषद के माध्यम से, इलाके में अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए चलाई जा रही योजना से संबंधित हैं। महाराष्ट्र सरकार को अपनी गलती का पता चला कि योजना का शीर्षक दलित वस्ति सुधार योजना रखा गया था, इसलिए उन्होंने इस योजना का नाम बदलकर जिला परिषद समाज कल्याण योजना कर दिया, हालांकि उन अखबारों ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से, दलित शब्द का प्रयोग कर समाज के इस वर्ग पर हावी होने के इरादे से ऐसी खबर प्रकाशित की

थी। शिकायतकर्ता ने कहा है कि वह "दलित" शब्द के इस्तेमाल, को अनुसूचित जाति के लोगों के वर्ग का अपमान मान रहा है और प्रिंट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी गलत इरादे से उक्त शब्द का इस्तेमाल कर रहा है।

लोकमत का लिखित वक्तव्य

कारण बताओ नोटिस दिनांक 4.9.2019 के उत्तर में, श्री सैयद अरशद अली, वरिष्ठ प्रबंधक-कानून, लोकमत ने दिनांक 9.11.2019 को लिखित वक्तव्य के माध्यम से, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए सभी प्रतिकूल तर्कों और आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि शिकायतकर्ता ने यह शिकायत, उसे परेशान करने के उद्देश्य से दर्ज़ की गई है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि उसका इरादा किसी व्यक्ति या व्यक्ति यों के समूह या बड़े पैमाने पर समुदाय को चोट पहुंचाने का नहीं था, लेकिन आक्षेपित लेख जन-लाभ और जागरूकता के लिए प्रकाशित किया गया था, जिसका किसी को चोट पहुँचाने का या निराश करने का कोई इरादा नहीं था। शिकायतकर्ता ने लेख को अन्यथा ले लिया है, इसे पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाचार लेख किसी भी दुर्भावनापूर्ण उद्‌देश्य से प्रकाशित नहीं किया गया था। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि समाचार लेख उन्हें प्राप्त समाचार के अनुसार प्रकाशित किया गया था और यह प्रामाणिक है और इसमें शिकायतकर्ता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। वास्तव में, समाचार को समाज और पाठकों को बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान के बारे में सूचित करने के उद्‌देश्य से प्रकाशित किया जाता है। प्रतिवादी ने यह भी प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता लेख को पूरा पढ़ने में विफल रहा है और केवल दलित शब्द पढ़ा है, और इसलिए, ऐसी क्षतिकारक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें प्रतिवादी द्वारा कोई अपमानजनक संदेश परिचालित नहीं किया गया था। प्रतिवादी के अनुसार, निर्णय प्रेम कुमार सिंह बनाम भारत सरकार के आधार पर था जिसका, भारत के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रेस परिषद विनियम, 1979 के विनियमन 3 को देखते हुए याचिकाकर्ता को शिकायत करने की स्वतंत्रता देने के साथ निपटारा किया गया था। प्रतिवादी ने कहा है कि पूरी शिकायत, शिकायतकर्ता द्वारा कल्पना के आधार पर तैयार की गई है। प्रतिवादी ने इस शब्द का उपयोग अपमान करने के लिए नहीं किया है, बल्कि इसका उपयोग सुधार योजना के बारे में सूचित करने के लिए व्यापक अर्थ में किया गया है, इसलिए, समाचार लेख को पाठकों के लिए जानकारी के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा किसी भी आपत्तिजनक भाषा का उपयोग नहीं किया गया है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि यदि उक्त लेख से शिकायतकर्ता की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वह क्षमा मांगता है, क्योंकि प्रतिवादी किसी व्यक्ति या जाति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

<u>दिव्य मराठी का लिखित वक्तव्य</u>

कारण बताओ नोटिस दिनांक 16.10.2019 के उत्तर में, संपादक, दिव्य मराठी ने दिनांक 11.11.2019 को लिखित वक्तव्य के माध्यम से विवेचित किया है कि उनके मन में जाति और धर्म से परे, समाज के सभी सदस्यों के प्रति पूरा सम्मान है। उनके अखबार का इरादा कभी भी समाज के किसी भी सदस्य को उसकी जाति और धर्म के आधार पर अपमानित करने का नहीं रहा है। प्रतिवादी के अनुसार उक्त शब्द का प्रयोग समाज के किसी विशेष वर्ग को नामित करने के लिए नहीं किया गया है। प्रकाशित समाचार में उस योजना का जिक्र किया गया है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए ठीक से लागू नहीं की गई है। वास्तव में, प्रकाशित समाचार आम जनता के ध्यान में लाता है कि संबंधित सरकारी अधिकारियों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति यों के उत्थान के लिए योजना को ठीक से लागू नहीं किया है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि समाचार में प्रयुक् त उक्त शब्द, जिला परिषद द्वारा कार्यान्वित योजना के नाम के संदर्भ में है। 'दलित वस्ती' शब्द का प्रयोग जिला परिषद के कार्यालय से जानकारी लेकर किया गया था और इसका प्रयोग योजना के संबंध में किया गया है, न कि समाज के किन्हीं विशेष सदस्यों के संबंध में। प्रतिवादी ने यह भी प्रस्तुत किया है कि 'दलित वस्ती' शब्द का उपयोग किए बिना, आम जनता और सरकारी प्राधिकारियों के ध्यान में यह लाना संभव नहीं था कि योजना लागू नहीं की गई है। दरअसल, अखबार द्वारा योजना लागू करने के बारे में ध्यानाकृष्ट करने का प्रयास किया गया और एससी/एसटी के किसी भी सदस्य को कभी भी अपमानित नहीं किया गया। प्रतिवादी ने कहा कि अखबार समाज के प्रत्येक सदस्य के प्रति पूरा सम्मान रखता है और किसी को भी उनकी जाति और धर्म के आधार पर अपमानित करने की कोई मंशा या जानबूझकर और जानबूझकर प्रयास नहीं किया गया है। उनका अखबार किसी भी समाचार लेख को प्रकाशित करने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतता है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि यदि किसी समाचार से समाज के किसी सदस्य की भावना को ठेस पहुंची है, तो वह इसके लिए क्षमा मांगता है। प्रतिवादी ने आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में एससी/एसटी के संबंध में समाचार प्रकाशित करने से पहले यह ध्यान रखेगा।

<u>लोकमत दैनिक मराठी से प्राप्त अगला पत्र</u>

श्री सुधीर महाजन, संपादक, लोकमत दैनिक मराठी ने दिनांक 16.3.2021 को अपने अगले उत्तर में अपने पहले के उत्तर को दोहराते हुए कहा है कि समाचार लेख, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार, झुग्गी-झोपड़ी विकास की सरकारी योजनाओं को पूरा न करने, और उनकी विफलताओं और "दलित बस्ती सुधार योजना", महाराष्ट्र सरकार द्वारा समाज में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए शुरू की गई योजना का अनुपालन न करने के बारे में था। उक्त समाचार में "दलित"

शब्द का प्रयोग ऐसे "अपमानजनक अर्थ" में नहीं किया गया था, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के सदस्यों का अपमान करना हो। इसी मुद्दे पर शीर्ष अदालत के निर्णयों के संबंध में शिकायतकर्ता के संदर्भ का उल्लेख करते हुए, प्रतिवादी ने कहा कि अधिक़तर निर्णयों में "अपमानजनक अर्थ" में एक शब्द के उपयोग पर अधिक जोर दिया गया था, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के सदस्यों का अपमान करना था। शीर्ष अदालत ने मीडिया को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से परहेज करने की सलाह दी है जो अनुसूचित जाति के सदस्य का अपमान करते हैं। इसके अलावा, भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष ने एक लेख में कहा कि 'मीडिया में "दलित" शब्द के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।

दिव्य मराठी से प्राप्त अगला पत्र

प्रतिवादी संपादक, दैनिक दिव्य मराठी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र ने अपने उत्तर दिनांक 17.5.2021 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता ने "दलित" शब्द के उपयोग को रोकने के संबंध में विभिन्न परिपत्रों, सरकारी प्रस्तावों, न्यायालयों के निर्णयों का संदर्भ दिया है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि न्यायालयों के उक्त परिपत्र, संकल्प और निर्णय इस संदर्भ में हैं कि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को अपमानित और बेइज्जत नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिवादी संपादक ने स्पष्ट किया कि उनके समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार लेख का उद्‌देश्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अपमानित या बेइज्जत करना नहीं था। प्रतिवादी के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के साथ हुए अन्याय को उजागर करने या उनकी मदद करने के उद्‌देश्य से आक्षेपित समाचार प्रकाशित किया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि समाचार, जिसका शीर्षक था "दलित वस्त्या सुधार योजना", योजना के नाम को इंगित करता है और इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि, उक्त योजना सही तरीके से लागू नहीं की गई है और "दलित" शब्द का उपयोग अपमानजनक तरीके से नहीं किया गया है, ताकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई भी सदस्य अपमानित और बेइज्जत न हो। उन्होंने आगे कहा है कि उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए, प्रेस परिषद द्वारा कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस संबंध में पूरी सावधानी बरती जाएगी और "दलित" शब्द का प्रयोग बंद करने के संबंध में जारी विभिन्न परिपत्रों, सरकारी प्रस्तावों, न्यायालयों के निर्णयों के विपरीत कोई समाचार प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 17.4.2023 को मुंबई में सुनवाई के लिए जांच समिति के समक्ष आया। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ, श्री मनोज मधुसूदन देशमुख, सहायक प्रबंधक, लोकमत, श्री एच.एच. पडलकर, अधिवक्ता और श्री मंगेह अमले प्रतिवादी समाचारपत्रों की ओर से उपस्थित हुए।

शिकायतकर्ता अनिलकुमार बाबूराव सोनकमले उपस्थित नहीं हैं। उन्हें 31 मार्च, 2023 को नोटिस सेवित किया गया था। 13 अप्रैल, 2023 को एसएमएस भेजकर उन्हें फिर से दूसरा नोटिस सेवित किया गया है। हालांकि, शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है। चूँकि शिकायतकर्ता द्वारा उठाया गया मुद्दा महत्वपूर्ण है, हम उससे डील करेंगे, भले ही शिकायतकर्ता ने उपस्थित न रहने का विकल्प चुना हो। शिकायतकर्ता की शिकायत, दैनिक लोकमत और दैनिक दिव्य मराठी द्वारा दिनांक 10.12.2018 और 17.1.2019 के अंक में क्रमशः **"दलित बस्ती सुधार योजना लंबित" और "दलित बस्ती के 24 करोड़ रू. के विकास कार्यक्रम ठंडे बस्ते में"** (हिंदी वर्तन) शीर्षकों के तहत प्रतिवादी समाचारपत्रों ने अनुसूचित जाति के लोगों के कब्जे वाले इलाके के सुधार के लिए जिला परिषद, औरंगाबाद द्वारा शुरू की गई योजना का उल्लेख किया है। दोनों अखबारों ने दलित शब्द का इस्तेमाल किया है। शिकायतकर्ता की आपत्ति 'दलित' शब्द के इस्तेमाल पर है। शिकायतकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने निर्णय दिया है कि 'दलित' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे अनुसूचित जाति के लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। अपीलकर्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के समक्ष 2016 की जनहित याचिका संख्या 1146, सुप्रीम कोर्ट में दर्ज़ आपराधिक अपील संख्या 8084/2009 और श्री प्रेम कुमार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दर्ज़ रिट याचिका का भी उल्लेख किया है।

जांच समिति ने समाचारों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। यह सच है कि समाचार में दलित शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन जांच समिति की राय में दलित शब्द का प्रयोग अपमानजनक अर्थ में नहीं किया गया है। अखबारों का ध्यान इस महत्वपूर्ण तथ्य पर है कि अनुसूचित जाति के लोगों के इलाकों में सुधार के लिए जिला परिषद द्वारा शुरू की गई योजना, बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है, हालांकि उक्त योजना के लिए 24 करोड़ रुपये की भारी राशि आवंटित की गई है। अखबारों की मंशा बहुत सम्मानजनक है और वे चाहते हैं कि लोग अपना ध्यान इस पहलू पर केंद्रित करें और सरकार काम शुरू करे और जल्दी खत्म करे। दोनों अखबारों ने अपनी प्रतिक्रिया दाखिल की है। दिव्य मराठी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि यदि इस समाचार से अनुसूचित जाति समाज के सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो दिव्य मराठी इसके लिए क्षमा चाहता है और भविष्य में अनुसूचित जाति के संबंध में कोई भी समाचार प्रकाशित करते समय ध्यान रखेगा।

दैनिक लोकमत ने दिनांक 8.11.2019 को अपने उत्तर में कहा है कि लोकमत, किसी भी समुदाय को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता था। यह लेख अनुसूचित जाति के लोगों के लाभ के लिए प्रकाशित किया गया, न कि उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए। आगे कहा गया है कि समाचार लेख नेक इरादे से प्रकाशित किया गया था। कहा गया है कि यदि अनुसूचित जाति समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं तो लोकमत इसके लिए

क्षमा चाहता है। लेखों, शिकायत और प्रतिवादियों की प्रतिक्रियाओं को उचित परिप्रेक्ष्य में पढ़ने के बाद, जांच समिति को लगता है कि प्रतिवादियों का इरादा अनुसूचित जाति के लोगों को चोट पहुंचाना नहीं था।

पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2022 के प्रासंगिक मानक इस प्रकार हैं:

4. जाति, धर्म या समुदाय का उल्लेख

(xvi) “दलित" शब्द/अभिव्यक्ति का उपयोग किसी समुदाय को भड़काने या अपमानित करने के लिए नहीं किया जाए।

जांच समिति का मानना है कि समुदाय को अपमानित करने या भड़काने के इरादे के लिए, प्रतिवादियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, जांच समिति, परिषद को सिफारिश करती है कि हलफनामे में व्यक्त क्षमा को स्वीकार करने और प्रतिवादियों को अनुसूचित जाति के लोगों के मामलों की रिपोर्ट करते समय भविष्य में सावधान रहने के लिए आगाह करने और शिकायत को बंद करने की परिषद से संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और प्रतिवादी समाचारपत्रों को सावधानी बरतने के लिए आगाह करते हुए मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय
दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 440/2021-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
24. श्री मनोज एस. अग्रवाल,	संपादक,
जिला पुणे,	आज का आनंद,
महाराष्ट्र।	पुणे, महाराष्ट्र।

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 21.6.2021 को श्री मनोज एस. अग्रवाल, पुणे, महाराष्ट्र द्वारा संपादक, आज का आनंद, पुणे के खिलाफ दायर की गई है, कथित तौर पर उनके अंक दिनांकित 15.6.2021 में

शीर्षक **"राजनेता जातिगत राजनीति कर समाज में दरार पैदा कर रहे" एवं** उप-शीर्षक **"मराठा आरक्षण को लेकर सांसद उदयनराजे व संभाजीराजे का राज्य और केंद्र पर आरोप"** के तहत आपत्तिजनक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की गई है।

आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि सांसद, श्री उदयनराजे और श्री संभाजीराजे ने पुणे में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मराठा आरक्षण ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। उन्होंने आगे कहा कि वे दोनों कई मुद्दों पर एकमत हैं। उदयनराजे ने कहा कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि देश का फिर से विभाजन हो या नहीं। राजनीतिक नेता इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने देश के सम्मान के खिलाफ खबर प्रकाशित की है, जिससे वह आहत हुआ है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसने पुणे से प्रकाशित सभी समाचारपत्रों की ऑनलाइन/ऑफलाइन जांच की, लेकिन किसी अन्य समाचारपत्र ने देश के विभाजन के बारे में ऐसे शब्द या वक्तव्य प्रकाशित नहीं किया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि दोनों सांसद सम्मानित व्यक्ति हैं और वे देश के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हैं। शिकायतकर्ता ने कहा है कि प्रतिवादी अभद्र और नफरत फैलाने वाली खबरें प्रकाशित करने का आदी है। शिकायतकर्ता ने 21.6.2021 को प्रकाशित आक्षेपित समाचार की ओर प्रतिवादी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने परिषद से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

संपादक, आज का आनंद, पुणे को 6.10.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी ने 23.10.2021 के अपने लिखित वक्तव्य में, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित समाचार 14.6.2021 को सांसद, उदयनराजे भोसले और श्री संभाजीराज भोसले द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आधारित था। प्रतिवादी के अनुसार, उक्त संवाददाता सम्मेलन की 23 मिनट की कार्यवाही लगभग सभी मराठी टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित की गई थी और इसकी क्लिपिंग ज़ी 24 तास द्वारा भी पोस्ट की गई है और अभी भी यूट्यूब पर उपलब्ध है। इसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस, लोकमत, प्रभात, पुधारी आदि ने भी यह खबर दी। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि श्री उदयनराजे ने 14.6.2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि "जैसा हो रहा है, हम एक और विभाजन से इनकार नहीं कर सकते। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों जिम्मेदार होंगी। प्रतिवादी ने कहा है कि शिकायतकर्ता उसके प्रति दुर्भावनापूर्ण था, क्योंकि उनके अपने भाई के पक्ष में खबर प्रकाशित नहीं की थी, जो लोकसभा चुनाव -2019 लड़ रहा था। प्रतिवादी ने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता

ने चुनाव हारने का बदला लेने और अखबार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से यह शिकायत दर्ज की है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला मुंबई में 17.4.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। दोनों तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

श्री मनोज अग्रवाल ने संपादक, आज का आनंद, पुणे के खिलाफ शीर्षक **"राजनेता जातिगत राजनीति कर समाज में दरार पैदा कर रहे"** एवं उप-शीर्षक **"मराठा आरक्षण को लेकर सांसद उदयराजे व संभाजीराजे का राज्य और केंद्र पर आरोप"** के तहत आपत्तिजनक समाचार प्रकाशित करने के लिए यह शिकायत दर्ज की है। शिकायतकर्ता का मुख्य जोर इस बात पर है कि श्री उद-यनराजे ने पुणे में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि वह मराठा आरक्षण के पक्ष में हैं और अब इस बात पर विचार करने का समय आ गया है कि क्या देश को फिर से विभाजित किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक नेता उस दिशा में ही प्रयास कर रहे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार श्री उदयनराजे बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं और वह देश के विभाजन के बारे में ऐसा वक्तव्य नहीं देंगे। समाचारपत्र ने गलत खबर प्रकाशित की है, जिससे लोगों के मन में नफरत पैदा होगी। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है, हालांकि उसे नोटिस सेवित किया गया है। उन्हें 31 मार्च और 13 अप्रैल, 2023 को नोटिस भेजा गया था। आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम अनुपस्थिति की वजह से, इसे खारिज करने के स्थान पर, सुनवाई हेतु शिकायत पर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। लिखित वक्तव्य में प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता के तर्क से इनकार किया है। यह कहा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की कार्यवाही सभी मराठी टीवी चैनलों पर प्रसारित की गई थी और प्रसारण की क्लिपिंग ज़ी -24 द्वारा भी पोस्ट की गई थी और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यह पता लगाने के लिए कि क्या श्री उदयनराजे ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया है, जांच समिति ने यूट्यूब पर साक्षात्कार देखा। जांच समिति ने पाया कि श्री उदयनराजे ने वास्तव में यह वक्तव्य दिया है कि इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या देश का फिर से विभाजन होगा क्योंकि वर्तमान समय के नेता इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आज का आनंद ने बिना सत्यापन के कोई खबर प्रकाशित की है। जांच समिति को शिकायत में कोई आधार नहीं मिलता है और वह परिषद से शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 1877/2020-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
25. श्री सुनील जी. गोडबोले, अंधेरी (पूर्व), मुंबई।	संपादक, लोकसत्ता, मराठी दैनिक, मुंबई।

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 15.06.2020 को श्री सुनील जी. गोडबोले, निवासी अंधेरी (पूर्व), मुंबई द्वारा संपादक, लोकसत्ता, मराठी दैनिक समाचारपत्र के खिलाफ दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि समाचारपत्र ने 05.06.2020 के अंक में **"प्रतिक्रिया और रोकथाम"** (**Response and Prevention**) शीर्षक के तहत एक झूठा और अपमानजनक संपादकीय प्रकाशित किया, जिसमें उप-शीर्षक था, **"Our army will lose to nobody in the field. However, in patrolling and surveillance, we have fallen short is the reality"** (अंग्रेज़ी वर्तन, जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया है) शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि अखबार ने दिनांक 06.06.2020 के अंक में "**Need to give confidence to military and civilians"** (अंग्रेज़ी वर्तन, जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया है) शीर्षक के तहत एक पत्र प्रकाशित किया गया था, जिसने उपर्युक्त संपादकीय का समर्थन किया गया था।

उपलब्ध कराए गए अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार, एक समाचार लेख में भारत-चीन सीमा पर भारतीय और चीनी बलों के बीच झड़पों पर रिपोर्ट की गई थी। देश के रक्षा मंत्री ने आखिरकार तीन सप्ताह की चुप्पी के बाद गंभीर स्थिति का जिक्र किया एवं अप्रत्यक्ष रूप से घुसपैठ की घटना को स्वीकार किया। हमेशा की तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने मध्यस्थता करने की इच्छा व्यक्त की। सैन्य विशेषज्ञ सेवानिवृत्त कर्नल, अजय शुक्ला ने बताया कि जब देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया और लगभग 5,000 कर्मियों और सैन्य वाहनों को तैनात किया है। यह चीन के ऐतिहासिक व्यवहार और उसके महत्वाकांक्षी इरादों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस मामले पर चर्चा करने से इनकार कर दिया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि संपादकीय का लेखक, सैन्य विशेषज्ञ नहीं है और लेख लिखने से पहले किसी सैन्य विशेषज्ञ की राय लेने में विफल रहा है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता का तर्क है कि अखबार ने चीनी घुसपैठ के बारे में लेखक के दावों को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। यह तर्क दिया जाता है कि पत्र और संपादकीय दोनों पूर्ण तथ्यों पर आधारित होने की जगह, सेना और सरकार की नकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि यह प्रेस की स्वतंत्रता की आड़ में देश, सेना और सरकार को बदनाम करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। आगे दावा किया गया है कि संपादकीय और पत्र का उद्देश्य भारत को हमले के प्रति संवेदनशील दर्शाना है और यह सुझाव देना है कि चीन हमारी ताकत का सम्मान नहीं करता है, जो चुनौतीपूर्ण कोविड-19 स्थिति के दौरान नकारात्मकता फैलाने वाला झूठा प्रचार जान पड़ता है।

मामले में संज्ञान लेते हुए, प्रतिवादी संपादक को दिनांक 18.12.2020 को कारण बताओ नोटिस सेवित किया गया।

लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 06.01.2021 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से, वेबसाइट, epaper. loksatta.com से क्लिपिंग डाउनलोड करने की बात स्वीकार की और इसे शिकायत के साथ संलग्न किया। प्रतिवादी का तर्क है कि प्रारंभिक शिकायत माननीय रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह के एक सामान्य साक्षात्कार और एक समाचार चैनल पर श्री अजय शुक्ला की सामान्य टिप्पणियों के संदर्भ में है। हालांकि, प्रतिवादी का दावा है कि संपादकीय में अपनी ओर से अजय शुक्ला के ऐसे किसी साक्षात्कार या अजय शुक्ला के संबंध में पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की टिप्पणियों का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है और न ही इसमें द प्रिंट द्वारा किसी कवरेज का उल्लेख किया गया है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता की कार्रवाई व्यक्तिगत आवेश और लोकसत्ता, मुंबई के संपादक को परेशान करने और डराने की इच्छा के कारण है, जो संपादकीय स्वतंत्रता के विपरीत है।

प्रतिवादी ने आगे कहा कि गलवान में दुखद झड़प के बाद, संपादकीय को प्रकाशित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 20 साहसी भारतीय सैनिकों की जान चली गई थी। वे इस बात पर जोर देते हैं कि संपादकीय में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे देश, सेना या सरकार को अपमानित करने के प्रयास के रूप में माना जा सकता है। प्रतिवादी दृढ़ता से कहता है कि "देशद्रोह" के ऐसे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि संपादकीय, गलवान संघर्ष और चीन की अचानक आक्रामकता पर केंद्रित है, जिसके परिणामस्वरूप सैनिकों की जान चली गई। संपादकीय में इस बात की पड़ताल की गई है कि कैसे भारत को सतर्क कर दिया गया और इसकी तुलना कारगिल की स्थिति से की गई है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारतीय सेना का मैदान में लड़ाई नहीं हारने का एक सराहनीय रिकॉर्ड है।

प्रतिवादी ने आगे कहा कि कारगिल और गलवान दोनों में निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता का सुझाव देना एक वैध टिप्पणी है और संपादकीय में किसी प्रकार के प्रचार की मंशा से नहीं लिखा गया है।

प्रति टिप्पणियाँ

08.02.2021 की प्रति टिप्पणियों में, शिकायतकर्ता ने बताया है कि आक्षेपित संपादकीय, 5 जून को प्रकाशित किया गया था, जबकि गलवान में झड़प 15 जून को हुई थी। इसलिए, शिकायतकर्ता का तर्क है कि प्रतिवादी के लिए यह संभव नहीं है कि उसने एक ऐसी घटना के बारे में लिखा हो जो अभी तक नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता का दावा है कि प्रतिवादी यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि वे संपादकीय और उनकी प्रतिक्रिया दोनों में किस गलवान संघर्ष का उल्लेख कर रहे थे। शिकायतकर्ता का कहना है कि आक्षेपित संपादकीय देश, सेना और सरकार को बदनाम करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है।

प्रतिवादी द्वारा दर्ज़ प्रत्युत्तर

दिनांक 23.3.2021 के प्रत्युत्तर में, प्रतिवादी ने पिछले लिखित वक्तव्य को पुनः दोहराया। इसके अलावा, प्रतिवादी ने जोर देकर कहा है कि शिकायत पूरी तरह से www.loksatta.com वैबसाइट से डाउनलोड की गई सामग्री पर आधारित है, विशेष रूप से ई-पेपर से। प्रतिवादी ने आगे बताया कि शिकायतकर्ता संपादक के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय भाषा का उपयोग करता है और उन पर देशद्रोह जैसे गंभीर अपराधों का आरोप लगाता है। प्रतिवादी संपादक दृढ़ता से दावा करते हैं कि संपादकीय में सेना या भारत सरकार के प्रति निदेशित किसी भी प्रकार का अपमान नहीं है। ऐसी राय वक्तव्य करना, जिससे शिकायतकर्ता असहमत हो, देशद्रोह नहीं माना जाना चाहिए।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला मुंबई में 18.04.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता, श्री सुनील गोडबोले, श्री गौतम भागवत के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, जबकि श्री प्रणित कुलकर्णी, सुश्री पूर्वी कमानी, सुश्री तेजस्वी घाग और श्री शिवम सिंह, प्रतिवादी समाचारपत्र, लोकसत्ता की ओर से पेश हुए।

शिकायतकर्ता, श्री सुनील जी. गोडबोले ने प्रतिवादी, लोकसत्ता, मराठी दैनिक के संपादक के खिलाफ 5.6.2020 के अपने अंक में **"प्रतिक्रिया और रोकथाम" (Response and Prevention)** शीर्षक के तहत एक झूठा और अपमानजनक संपादकीय प्रकाशित किया, जिसमें उप-शीर्षक था, **"Our**

army will lose to nobody in the field. However, in patrolling and surveillance, we have fallen short is the reality”

यह लेख भारत-चीन सीमा पर भारतीय सेनाओं और चीनी सेनाओं के बीच होने वाली झड़पों के संदर्भ में लिखा गया है। लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि हमारी सेना बेहद सक्षम है, यह किसी भी स्थिति का सामना कर सकती है लेकिन इसमें गश्त और निगरानी है।

जांच समिति ने श्री गोडबोले को विस्तार से सुना। श्री गोडबोले ने कहा कि यह कथन कि भारतीय सेना में गश्त और निगरानी की कमी है, सही नहीं है। वास्तव में पिछले पांच वर्षों से अधिक समय में हमारी निगरानी में सुधार हुआ है और इस तरह के वक्तव्य, संपादकीय में नहीं दिए जाने चाहिए थे। श्री गोडबोले ने कहा कि इस तरह के गलत वक्तव्य से लोगों में डर फैलता है कि इस तरह की घटनाएं फिर से हो सकती हैं। जांच समिति ने प्रतिवादी लोकसत्ता के परामर्शदाता को भी सुना। जांच समिति ने लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। लेख में भारतीय सैनिकों की आलोचना या मानहानि-कारक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके विपरीत, इसमें कहा गया है कि भारतीय सैनिक किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। निगरानी की कथित विफलता पर जोर दिया गया है। जांच समिति की राय है कि संपादकीय में ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिसे आपत्तिजनक या राष्ट्र विरोधी कहा जा सके। यह भारतीय बलों और चीनी बलों के बीच हुई झड़पों के बारे में संपादक की धारणा है। प्रेस परिषद, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हालांकि, जांच समिति यह कहना चाहती है कि भारतीय सेना, नौसेना या वायु सेना के बारे में लिखते समय प्रत्येक समाचारपत्र को बेहद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे भारत की रीढ़ हैं और गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं प्रकाशित किया जाना चाहिए, जिससे हमारी सेनाओं का मनोबल प्रभा-वित हो। इन परिस्थितियों में, जांच समिति परिषद से शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है और आशा करती है, कि भारतीय बलों से संबंधित संवेदनशील समाचार या संपादकीय, समुचित सत्यापन और सावधानी बरतने के बाद ही प्रकाशित किए जाएंगे। इस टिप्पणी के साथ शिकायत को खारिज किया जा सकता है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है।

****

स्वप्रेरणा से संज्ञान

न्यायनिर्णय

दिनांकित 29.05.2023

फ़ाइल सं. 44, 182, 203, 417, 503, 504, 505, 1864/ 2020 एसएम-ए

26-33. बलात्कार और हत्या की शिकार नाबालिग लड़की की तस्वीर के प्रकाशन के संबंध में स्वत: संज्ञान लिया गया।

प्रतिवादी

1. संपादक,
   पुढारी,
   कोल्हापुर, महाराष्ट्र।
2. संपादक,
   पुण्य नगरी,
   मुंबई, महाराष्ट्र।
3. संपादक,
   प्रवासी संदेश,
   मुंबई, महाराष्ट्र।
4. संपादक,
   यशोभूमि,
   मुंबई।
5. संपादक,
   राजस्थान पत्रिका,
   मुंबई।
6. संपादक,
   नवभारत,
   मुंबई।
7. संपादक,
   दोपहर का सामना,
   मुंबई।
8. संपादक,
   हिंदी समाचार,
   ठाणे, महाराष्ट्र।

तथ्य

जब परिषद को जनसत्ता समाचारपत्र के दिनांक 9.1.2020 के अंक में **"महाराष्ट्र में नाबालिग बलात्कार पीडिता की तस्वीर छापने का मामला – सात अखबारों के खिलाफ मामला दर्ज" शीर्षक** के तहत समाचार प्रकाशित होने पर यह ज्ञात हुआ कि ठाणे पुलिस द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सात समाचारपत्रों (1) पुढ़ारी (2) दोपहर का सामना (3) पुण्य नगरी (4) हिंदी समाचार (5) नवभारत (6) राजस्थान पत्रिका और (7) प्रवासी संदेश के एक नाबालिग लड़की, जिसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी, की तस्वीरें प्रकाशित करने के लिए, उनके खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, तब परिषद ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया।

मामले पर संज्ञान लेते हुए, 6.2.2020 को महाराष्ट्र पुलिस से मामले के तथ्यों पर एक रिपोर्ट मांगी गई।

महाराष्ट्र पुलिस से प्राप्त रिपोर्ट

श्री कल्याणराव कार्पे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन, भिवंडी, महाराष्ट्र ने दिनांक 18.3.2020 के अपने उत्तर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन, भिवंडी ने POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 23 (2), 23 (4) और IPC की धारा 228 (ए) के तहत (1) पुढ़ारी (2) दोपहर का सामना (3) पुण्य नगरी (4) हिंदी समाचार (5) नवभारत (6) राजस्थान पत्रिका, (7) प्रवासी संदेश और (8) यशोभूमि, जिन्होंने इन अखबारों में सात साल की मृत बच्ची का नाम और फोटो प्रकाशित किए थे, के खिलाफ आपराधिक मामला संख्या 02/2020 दर्ज किया है।

उनके अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि 22.12.2019 को सुभाष नगर करीवाली, भिवंडी, जो भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन, भिवंडी के अंतर्गत आता है में, एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा सात वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। रिकॉर्ड आपराधिक मामला संख्या 421/2020 बनाम ए.364, 376, 376 (एबी), 376 (डीबी) और POSCO अधिनियम, 2012 की धारा 4, 8, 9 (एच), 10, 12 के तहत दर्ज किए गए थे। भरत धनीराम कोरी नाम के आरोपी की तलाश की गई और 10 घंटे के भीतर सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पत्रकारों को एक प्रेस नोट दिया था और प्रेस नोट में किसी भी तरह से मृत बच्चे के नाम, पते और रिश्तेदारों का खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन लड़की का नाम और फोटो नीचे उल्लिखित समाचारपत्रों द्वारा मुद्रित किए गए

(1) पुढारी 23.12.2019 को पृष्ठ संख्या 1 पर, लड़की का फोटो और नाम, पीड़िता के रूप में पाया गया।

(2) दोपहर का सामना में दिनांक 23.12.2019 को पृष्ठ संख्या 7 पर उसी लड़की का नाम पीड़िता के रूप में पाया गया।

(3) पुण्य नगरी में दिनांक 23.12.2019 को पृष्ठ क्रमांक 1 पर, मृत लड़की का नाम प्रेषित किया गया था।

(4) दिनांक 22.12.2019 को हिंदी समाचार ई-पेपर में मृत बालिका की तस्वीर और नाम प्रेषित किया गया।

(5) नवभारत में दिनांक 28.12.2019 को पीड़िता का नाम प्रेषित किया गया।

(6) राजस्थान पत्रिका में दिनांक 23.12.2019 को पृष्ठ क्रमांक 3 पर पीड़ित का नाम प्रेषित किया गया था।

(7) प्रवासी संदेश में दिनांक 23.12.2019 को पृष्ठ संख्या 2 पर, यह पाया गया कि पीड़िता की तस्वीर और नाम प्रेषित किया गया था।

(8) यशोभूमि में दिनांक 23.12.2019 को अखबार ने पीड़िता का नाम और फोटो प्रकाशित किया।

आगे कहा गया है कि माननीय विशेष जिला और सत्र न्यायालय, ठाणे ने समाचारपत्रों पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए, संबंधित समाचारपत्र के संपादकों और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की क्योंकि समाचारपत्रों में मृत लड़की का नाम और फोटो प्रकाशित किया गया था। उक्त समाचारपत्रों के संपादकों और संबद्ध कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इस अपराध को दर्ज करने के बाद, उपर्युक्त सभी समाचारपत्रों के संपादकों को सीआरपीसी की धारा 41 (ए) के तहत नोटिस सेवित किया गया और उन्हें भिवंडी के भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के बारे में बताया गया और उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि वे अन्य समाचारपत्रों में भी मृतक पीड़िता के नाम की जांच कर रहे हैं।

उसके बाद प्रतिवादी समाचारपत्रों को दिनांक 6.1.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

<u>पुण्य नगरी का लिखित वक्तव्य</u>

संपादक, पुण्य नगरी ने दिनांक 27.1.2021 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया कि पीड़िता के पिता ने, अभियुक्त को मौत की सजा दिलवाने के इरादे से उनसे पीड़िता का नाम और तस्वीर प्रकाशित करने का अनुरोध किया। प्रतिवादी ने आगे कहा कि खबर प्रकाशित होने के बाद, उन्हें गलती का पता चला और उन्होंने तुरंत अपना पक्ष रखते हुए, माफीनामा प्रकाशित किया। प्रतिवादी के अनुसार, इस सब के बावजूद, भिवंडी के भोईवाड़ा में पुलिस द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। यह मामला ठाणे जिला और सत्र अदालत में विशेष मामला संख्या 345/2020 के साथ न्यायिक जांच के अधीन है। प्रतिवादी ने परिषद को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए, कानून के सख्त पालन का उचित ध्यान रखा जाएगा।

दैनिक यशोभूमि का लिखित वक्तव्य

संपादक, दैनिक यशोभूमि ने दिनांक 27.1.2021 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से उपर्युक्त पुण्य नगरी के संपादक द्वारा दिए गए वक्तव्य को दोहराया है।

पुढारी का लिखित वक्तव्य

श्री सुरेश पवार, समूह कार्यकारी संपादक, पुढारी ने दिनांक 1.2.2021 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से बताया कि मामले की कार्यवाही कानून की अदालत में लंबित है, इसलिए परिषद को इस मामले में जांच करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने परिषद से इस आधार पर मामला बंद करने का अनुरोध किया है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने तुरंत 9.1.2020 को अपने समाचारपत्र में एक माफी प्रकाशित की। इसके अलावा, उन्होंने संबंधित कार्यकारी संपादक, उप-संपादक और फ्रीलांस रिपोर्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की है और उन्हें 25.12.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि पीड़िता के माता-पिता द्वारा एक हलफनामा दिया गया है और उक्त हलफनामे से यह स्पष्ट है कि माता-पिता ने स्वयं रिपोर्टर से उक्त खबर प्रकाशित करने का अनुरोध किया और अपनी बेटी की तस्वीर दी, ताकि खबर का व्यापक प्रचार हो और जांच मशीनरी पर दबाव पड़े। माता-पिता ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए खुद अपनी बेटी के बारे में सारी जानकारी और उसकी तस्वीर दी। माता-पिता चाहते थे कि समाचारपत्र उनकी बच्ची का नाम और तस्वीर प्रकाशित करें।

दोपहर का सामना का लिखित वक्तव्य

स्थानीय संपादक, दोपहर का सामना, मुंबई ने दिनांक 19.5.2021 के एक लिखित वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनके समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार जिसमें अनजाने में गलती हुई थी, पर बहुत ध्यान दिया गया है। प्रतिवादी ने यह भी प्रस्तुत किया है कि जब उन्हें अनजाने में हुई गलती का पता चला, तो उन्होंने अपने अखबार के दिनांक 9.1.2020 के अंक में एक माफी नामा प्रकाशित किया। इसके बाद, स्थानीय रिपोर्टर को फटकार लगाई और उसे तीन महीने के लिए रिपोर्टिंग से निलंबित कर दिया गया। प्रतिवादी ने कहा है कि प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 (3) के अनुसार, परिषद को जांच शुरू करने के लिए मामले का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह मामला कार्रवाई के समान कारण पर न्यायाधीन है।

पुलिस द्वारा प्रस्तुत आगे की रिपोर्ट

श्री अंकुश बांगड़, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन, भिवंडी ने दिनांक 17.4.2023 के पत्र के माध्यम से अपनी पूर्व रिपोर्ट को दोहराते हुए उल्लेख किया है कि उक्त अपराध में कुल 16

व्यक्तियों को आरोपी दर्शाया गया था और सभी 16 आरोपियों के खिलाफ 23 जून, 2020 को विशेष (POCSO) सत्र अदालत, ठाणे के समक्ष चार्जशीट दर्ज की गई। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि विशेष अदालत मामला संख्या 345/2020 है और ट्रायल की अगली तारीख 28.4.2023 है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला मुंबई में 18.4.2023 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। प्रवासी संदेश के संपादक, श्री अरुण एन उपाध्याय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। श्री कल्याणराव कार्पे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तीसरे पक्ष के रूप में उपस्थित थे।

भारतीय प्रेस परिषद ने बलात्कार और हत्या की शिकार, एक नाबालिग लड़की की तस्वीर प्रकाशित किए जाने पर स्वतः संज्ञान लिया। प्रकाशन, आठ समाचारपत्रों के संपादकों अर्थात् 1. संपादक, पुढारी, कोल्हापुर, माह। 2. संपादक, पुण्य नगरी, मुंबई, माह, 3. संपादक, प्रवासी संदेश, मुंबई, माह, 4. संपादक, यशोभूमि, मुंबई, 5. संपादक, राजस्थान पत्रिका, मुंबई, 6. संपादक, नवभारत, मुंबई, 7. संपादक, दोपहर का सामना, मुंबई, 8. संपादक, हिंदी समाचार, ठाणे, महाराष्ट्र द्वारा किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया था कि महाराष्ट्र पुलिस से इस विषय पर रिपोर्ट मँगवाई जाए। श्री कल्याण राव कार्पे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, भोईवाड़ा, पुलिस स्टेशन, भिवंडी, ठाणे कमीशनरेट आज बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने निदेशानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट दिनांक 8.3.2020 की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 अखबारों के खिलाफ POCSO अधिनियम, 2020 की धारा 23 (2), 23 (4) और IPC की धारा 228 (ए) के तहत आपराधिक मामला संख्या 2/2020 दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने घटना के बारे में पत्रकारों को प्रेस नोट जारी किया था। लेकिन प्रेस नोट में मृतक के रिश्तेदारों के नाम, पते और विवरण का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि, समाचारपत्रों ने अपने आप ही पीड़ित का नाम और फोटो प्रकाशित किया। कुछ समाचारपत्रों द्वारा लिखित वक्तव्य दर्ज किए गए हैं। चूंकि यह मामला प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14(3) के अनुसार न्यायाधीन है, इसलिए प्रेस परिषद ऐसे किसी मामले की जांच शुरू नहीं कर सकती, जिसके संबंध में कार्यवाही न्यायालय में लंबित है। इसलिए मामले को बंद करना होगा। इन परिस्थितियों में, जांच समिति परिषद से मामले को बंद करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और मामले को, न्यायाधीन होने के कारण, बंद करने का निर्णय लेती है।

****